लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation
Fumigated On 29-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२६ अगस्त से ६ सितम्बर १६६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शाक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २६, १६६०/७ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . . २६६५—६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २६६६—६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६६८—६६

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६६६

वर्ष १६६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६६६—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४—३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १६६०/८ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ६०२ और ६०४ से ६१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

पृष्ठ

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . .	२८२९
तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में .	२८३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२८३०–२८३१
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८३१
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	२८३१
आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन .	२८३२–३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	२८३४
उनहत्तरवां प्रतिवेदन	२८३४
विधेयक—पुरस्थापित	२८३४
(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक	२८३४
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६०	२८३४
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . .	२८३४
विचार करने का प्रस्ताव	२८३४—३७
खण्ड २ से ६ और १	१८३७–३८
पारित करने का प्रस्ताव	२८३८
बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . .	२८३८—४२
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२८३८—४२
खण्ड १ से ३ . .	२८४२
पारित करने का प्रस्ताव	२८४२
भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . .	२८४३
विचार करने का प्रस्ताव	२८४३—५५
खण्ड २ से ६ और १	२८५५—५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	२८५८
औषधि (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२८५९—६१
पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	२८६१—६७
दैनिक संक्षेपिका	२८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७	२८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ . . . ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५० से १९५६ और १९५८ से २०३९ . . . ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश . . . ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य . . . ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति . . . ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १९६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . . ३२३९–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति . . . ३२४०–४२

सभा का कार्य . . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . . ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . ३२८०–९०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९१–९२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

	पृष्ठ
सभा पटल पर रख गये पत्र	३५२१,३५२२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३५२१–२२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में भूकम्प	३५२२–२३
विधेयक—पुरस्थापित	३५२३–२४
१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० .	३५२३–२४
२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . .	३५२४
औषधि (संशोधन) विधेयक . . .	३५२४–३०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२४,३५२५–२९
खण्ड २ से ११ तथा १ . . .	३५२९–३०
पारित करने का प्रस्ताव .	३५३०
सभा का कार्य . . .	३५२४
सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	३५३०–३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३०–३१
खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ .	३५३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३१
बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	३५३२–५३
विचार करने का प्रस्ताव	३५३२–४९
खण्ड २ से १० तथा १	३५४९–५२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५५२–५३
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	३५५३–५६
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५५३–५६
दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३५५७–६३
तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां . .	३५६३
दैनिक संक्षेपिका	३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि . ३८९३
स्थगन प्रस्ताव ३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . . ३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन ३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही ३८९५
सभा का कार्य . . ३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
याचिका समिति—
कार्यवाही सारांश . . . ३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
कार्यवाही-सारांश . . ३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
नवां प्रतिवेदन ३८९९
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन . . . ३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
दूसरा प्रतिवेदन ३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी . ३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण ३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . . ३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . . ३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची ३९०१
६. लखनऊ की छतर मंजिल में दरारें . ३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि ३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६–४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप ३९७०–७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०

१६ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भविष्य-निधि दर पुनरीक्षण समिति

+

†*११४६. श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री विभूति मिश्र :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि दर पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या मैं जान सकता हूं कि ये किन उद्योगों पर लागू होंगी ?

†**श्री आबिद अली :** पहले पहले सिगरेट, विद्युत, यांत्रिक तथा सामान्य इंजीनियरिंग वस्तुओं, लोहा और इस्पात तथा कागज उद्योग पर।

†मूल अंग्रेजी में।

1116(Ai) LSD—1.

†श्री प्र० गं० देव : क्या कर्मचारियों को इस भविष्य निधि से कुछ अग्रिम लेने की अनुमति होती है ?

† श्री आबिद अली : उन्हें स समय ६ १/४ प्रतिशत मिल रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने भविय निधि की दर को ६ १/४ प्रतिशत से ८ १/३ प्रतिशत करने के बारे में मालिकों से चर्चा की है; और यदि हां, तो मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी उद्योग ने इसे स्वीकार किया है ?

†श्री आबिद अली : किसी भी उद्योग ने इसे स्वीकार नहीं किया।

†श्रीमती इला पालचौधरी : भविष्य निधि दर में वृद्धि को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा रहा कि इससे सीमान्त कारखाने बन्द हो जायेंगे, किन्तु लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग, सीमेंट और वस्त्र उद्योगों को सीमान्त एकक नहीं माना जा सकता।

†श्री आबिद अली : समिति का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि किसी भी उद्योग पर इतना बोझ न डाला जाये कि उसे कठिनाई का सामना करना पड़े।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : समिति को रिपोर्ट पेश करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

†श्री आबिद अली : समिति ने श्रमिकों और मालिकों के लगभग १२० संगठनों को अपनी प्रश्नावलि भेजी है और समिति की बैठक १० को हो रही है। इसके उश्चात् उसके सदस्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में जायेंगे। इस समय यह कहना कठिन है कि समिति अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी।

†श्री दामानी : क्या सरकार के पास इस बात के आंकड़े हैं कि भविष्य निधि के अन्तर्गत वस्तुतः कितनी रकम इकट्ठी हो रही हैं ? यदि हां, तो दर में वृद्धि होने से कितनी अधिक रकम इकट्ठी होगी ?

†श्री आबिद अली : जी हां। हम बिल्कुल सही और विवरण पूर्वक आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और इन्हें संसद् को भी पेश किया जाता है। यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन ६¼ से ८⅓ प्रतिशत है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इन समितियों में श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनधि भी होंगे ? मैं यह बात इसलिये पूछ रही हूं क्योंकि कई बार इन समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं होते।

†श्री आबिद अली : इन समितियों में मालिकों और श्रमिकों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। इस समिति में भी सभापति के अतिरिक्त एक लेखापाल, एक अर्थशास्त्री और श्रमिकों तथा मालिकों का एक एक प्रतिनिधि है। जब समिति अन्य उद्योगों की जांच का काम हाथ में लेगी तो भी उसमे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने उत्पादन बोनस से भविष्य-निधि काटने का निश्चय किया है ?

†श्री आबिद अली : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री तंगामणि :** सामाजिक बीमें सम्बन्धी मेनन अध्ययन दल ने भी भविष्य-निधि दर को ६ $^{1}/_{4}$ से ८ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। इस बात को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १८वां श्रम सम्मेलन होने से समिति की कम से कम अन्तरिम रिपोर्ट हमें उपलब्ध हो सकेगी ?

†**श्री आबिद अली :** रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दी गई थी और भारतीय श्रम सम्मेलन के सदस्यों को भी उपलब्ध की गई थी।

†**श्री तंगामणि :** मेरा अभिप्राय यह है कि क्या अगले भारतीय श्रम सम्मेलन से पहले इस समिति की कोई अन्तरिम रिपोर्ट तैयार हो सकेगी ?

†**श्री आबिद अली :** निस्सन्देह, मेनन समिति की रिपोर्ट पर भी इस समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि :** मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया है कि किसी भी उद्योग ने भविष्य-निधि दर को ६$^{1}/_{4}$ से ८$^{1}/_{2}$ प्रतिशत तक करना स्वीकार नहीं किया है। कोई समझौता न होने के कारण सरकार द्वारा इसकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** समझौता न होने के कारण ही इस समिति की स्थापना की गई है और समिति इस सम्बन्ध में सिफारिशें देगी। इसके पश्चात् समझौता होने अथवा न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जहां तक अन्य माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, अगले भारतीय श्रम सम्मेलन से पहले इस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट तैयार होना कठिन लगता है।

पैट्रो-केमिकल परियोजना

+

†*११४६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अमजद अली : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मूलभूत "पैट्रो-कैमिकल्स" के निर्माण के लिये एक पैट्रो-कैमिकल परियोजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में भारत में काम करने वाली मुख्य कम्पनियों में से एक के द्वारा पेश की गई प्रस्थापना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) इस सम्बन्ध में किसी पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रस्थापना अथवा योजना पेश नहीं की गई। अभी तक केवल प्रारम्भिक किस्म के कुछ सुझाव दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि कुछ सुझाव विचाराधीन हैं। उनका ब्योरा क्या है ?

†**श्री मनुभाशई शाह :** अभी तक वे प्रारम्भिक निर्माणात्मक अवस्था में हैं। ये पैट्रो-कैमिकल्स की कुछ किस्मों के बारे में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक औपचारिक रूप से सुझाव न आयें, सारे नाम बताना सम्भव नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या ये प्रस्थापनाएं भरतीयों की हैं अथवा विदेशियों की ?

†**श्री मनुभाई शाह :** भारतीय पार्टियों की ओर से भी और विदेशी पार्टियों की ओर से भी। किन्तु अधिकतर ऐसी पार्टियों की ओर से, जिन्हें विदेशियों का सहयोग प्राप्त है।

ग्राम मकान-निर्माण परियोजनायें

+

†*११५०. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राम शरण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम मकान-निर्माण योजना को सफल बनाने के लिये सरकार ने प्रत्येक मकान के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि को १५०० रु० से बढ़ा कर २००० रु० करने का निश्चय किया है ;

(ख) कितने गांवों में मकान-निर्माण परियोजनाओं को चालू किया गया ; और

(ग) इनमें कितनी सफलता मिली है और उसका ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत विकास के लिये जून, १९६० तक लगभग ३००० गांव चुने गये थे।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से, जो इस योजना को क्रियान्वित करते हैं, अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ७०० गांवों में ११,००० मकान बनाने के लिये १४३ लाख रु० ऋण देने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से जून, १९६० तक ९० लाख रु० लोगों को दिया जा चुका है। लगभग १३०० मकान बन चुके हैं और ६८०० मकानों का निर्माण हो रहा है।

†**श्री अ० मु० तारिक :** ऋण की राशि को १५०० से बढ़ा कर २००० रु० करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मूल योजना के अनुसार मकान की अधिकतम लागत ३००० रु० रखी गई थी जिसमें से १५०० रु० ऋण की रकम थी और १५०० रु० का योगदान गांव के व्यक्ति द्वारा श्रम अथवा सामग्री के रूप में था। आवास मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हमें यह बताया गया कि अधिकांश ग्रामवासियों के लिये श्रम अथवा सामान के रूप ५० प्रतिशत तक

†मूल अंग्रेजी में।

योगदान बड़ा कठिन है। इसलिये ऋण की रकम को १५०० से बढ़ा कर २००० रु० कर दिया गया।

†श्री अ० मु० तारिक : ऐसे कितने मामले हुए हैं कि ऋण देने के वावजूद कुछ लोग मकान नहीं बना पाये ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मेरे पास यह जानकारी नहीं है। मैं बता चुका हूं कि ११००० मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है और १३०० मकान बन चुके हैं तथा ६८०० का निर्माण जारी है।

†श्री नंजप्प : क्या इस योजना के अन्तर्गत पुराने और टूटे-फूटे मकानों की मुरम्मत का काम भी हाथ में लिया जा सकता है, और यदि हां, तो कहां तक ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी हां। राज्यों द्वारा वर्तमान मकानों की हालत सुधारने के लिये कुल निर्धारित राशि का १५ प्रतिशत व्यय किया जायेगा।

†श्री पलनियाण्डी : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि ग्राम मकान-निर्माण योजना के अन्तर्गत हरिजनों के गांवों को प्राथमिकता दी जाये ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जहां तक हरिजन कल्याण का सम्बन्ध है, यह गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक पृथक विषय है। किन्तु हमने निश्चित रूप से राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि जहां तक हो सके उन गांवों को प्राथमिकता दी जाये जहां पर हरिजन काफी बड़ी संख्या में रहते हों।

†श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के अन्दर कितने गांवों में यह योजना लागू की गई है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : दूसरी योजना में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में २० गांव निर्धारित किये गये थे। प्रशासन ने ६ गांवों का चुनाव कर लिया है।

†श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सरकार से न्यूनतम मकान बनाने के लिये प्राप्त सहायता के अतिरिक्त, अपनी योजनाएं चालू करने के लिये भी प्रोत्साहन दिया गया है।

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह तो राज्यों का निजी मामला है। मेरा विचार है कि कई राज्यों की मकान बनाने के लिये ग्राम-वासियों की सहायता करने की अपनी योजनाएं हैं। उदाहरण के रूप में बंगाल में 'अपना मकान स्वयं बनाओ' नामक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कई हजार मकान बनाये जा चुके हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि ऋण की रकम को बढ़ा कर २००० रु० कर दिया जाये ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हमने इस बात का निश्चय राज्यों के अवास मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर किया था।

†श्री तिम्मय्या : मैं समझता हूं कि ग्राम मकान-निर्माण योजना का उद्देश्य कुछ चने हुए गांवों को आदर्श गांवों के रूप देना है। यदि इन चुने हुए कुछ गांवों में लोग इस योजना से लाभ उठाने से

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन्कार कर दें तो सरकार इन ग्रामों को किस प्रकार आदर्श गांवों में परिवर्तित करने का विचार है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये गांवों के चुनाव का प्रश्न है, सरकार स्थानीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखती है। जब तक लोगों का पूर्ण सहयोग न मिले, तब तक इस किस्म की योजना सफल नहीं हो सकती।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि 'अपना घर स्वयं बनाओ' योजना में एक त्रुटि यह है कि केन्द्रीय सरकार केवल नालीदार चादरों के लिये धन देती है किन्तु यदि इन चादरों की आवश्यकता न हो तो किसी अन्य कार्य के लिये रुपया नहीं दिया जा सकता ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक 'अपना घर स्वयं बनाओ' योजना का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का इस योजना से कोई सरोकार नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को इस योजना के लिये किन शर्तों पर धन देती है।

†**पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या ये ऋण मकान-निर्माण समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं अथवा व्यक्ति गत रूप से ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ये मुख्यतः व्यक्तिगत रूप से दिये जाते हैं।

†**श्री त्यागी :** इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अग्रिम राशि से भारत की ग्रामीण जनता के केवल अत्यन्त अल्प भाग को ही लाभ हो सकता है, क्या सरकार के लिये यह संभव नहीं कि यह धन राशि सहकारी समितियों को दी जाये जो कि इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है, जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत सहायता मिल सकती है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार ने इससम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है कि लोगों को ऋण किस आधार पर दिया जाये, ताकि ऐसा न हो कि यह ऋण गांवों में उन लोगों को मिल जाये जो पहले से ही साधन-सम्पन्न हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ऋणों की मंजूरी देना राज्य सरकारों का काम है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें ऋण देने से इन सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करती होंगी।

†**श्री शिवनंजप्पा :** ग्रामों में मकान निर्माण करने के लिये दिये गये ऋण कितने राज्यों में व्यपगत हो गये हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** अभी तक तो कोई राशि व्यपगत नहीं हुई, क्योंकि यह तो एक निरन्तर चलने वाला काम है। एक वर्ष के लिये निर्धारित रकम का ७५ प्रतिशत भाग राज्यों को पहले ९ महीनों में अनुपातानुसार दे दिया जाता है। ९ महीनों के अन्त में प्रारम्भ किये गये कार्य पर विचार किया जाता है और हिसाब ठीक किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि किसी वर्ष के दौरान मंजूरशुदा रकम खर्च नहीं की जाती, तो क्या होता है ? क्या वह व्यपगत नहीं हो जाती ?

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री अनिल कु० चन्दा : पहले दो वर्षों में सारी रकम इस्तेमाल नहीं की गयी थी क्योंकि यह एक ऐसी योजना है जो धीरे धीरे गति पकड़ेगी। इसे एक साथ सभी गांवों में शरू नहीं किया जा सकता। काम में गति आ रही है और उसके साथ साथ अधिक रकम निर्धारित की जा रही है।

†अध्यक्ष महोदय : जो रकम इस्तेमाल न की जा सके उसका क्या बनता है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : दूसरी योजना के लिये कुल ५ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्यों को देने के लिये अब तक १.६१ करोड़ रु० निर्धारित किया जा चुका है। हमने दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिये २ $^1/_2$ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

†श्री ब्रजराज सिंह : इसका अर्थ है कि कुल निर्धारित रकम व्यय नहीं की जायेगी।

जलयान डीजल इंजन परियोजना

+

†*११५१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में जलयान डीजल इंजन परियोजना चालू करने की प्रस्थापना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

जलयान डीजल इंजन परियोजना को तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में (घ) वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है।

वर्ग (घ) में वे परियोजनायें शामिल हैं, जिनके प्रारम्भिक कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हुई और जिनके लिये विदेशी ऋण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी। इस वर्ग की परियोजनाओं को योजना में शामिल करने के बारे में अभी निश्चित रूप से कोई निश्चय नहीं किया गया। अभी उनका ब्योरा तैयार किया जायेगा और समयानुसार, उन्हें तृतीय योजना में किन्हीं अन्य परियोजनाओं के स्थान पर अथवा यदि आवश्यक देशीय और विदेशी साधन उपलब्ध हो गये और परिस्थितियां अनुकूल हुईं तो अन्यथा शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण से यह पता चलता है कि वर्ग (घ) में वे परियोजनायें शामिल हैं जिनके बारे में प्रारम्भिक कार्य में अभी कोई प्रगति नहीं हुई तथा जिनके लिये विदेशी ऋण की

†मूल अंग्रेजी में।

व्यवस्था नहीं की गयी। क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है, हम इन्हें उच्च-प्राथमिकता दे रहे हैं और इनके लिये ऋण प्राप्त करने के बारे में हम शीघ्र ही बातचीत चलाने वाले हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने निश्चय किया कि इस परियोजना को शामिल करने पर किस परियोजना को छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह किसी परियोजना को शामिल करने अथवा निकालने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि योजना के प्रारूप की रूपरेखा में बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के सभी अच्छी परियोजनाओं को यदि उनके लिये आवश्यक देशी और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो गयी, शामिल किया जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या विदेशों जाने वाले जहाज़ों के इंजनों का निर्माण भी यहां किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस योजना के अन्तर्गत भारत में निर्मित जहज़ों में सहायक साज सामान लगाने का विचार है। किन्तु समय आने पर जब हमारा उद्योग उन्नति प्राप्त कर लेगा और देश की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी तो अन्य बातों को भी शुरू किया जा सकता है।

†**श्री मि० सु० मूर्ति** : यह परियोजना कहां पर स्थापित की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी इस बात का निर्णय नहीं किया गया। जैसा कि मैंने सभा को कल बताया था इसका सम्बन्ध जहाज बनाने के कारखानों से है और इसकी स्थापना भी लगभग उसी क्षेत्र में होगी।

†**श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या इसे विशाखापत्तनम में स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विशाखापत्तनम में एक कारखाना है।

†**श्री जीन चन्द्रन्** : क्या इसकी स्थापना कोचीन में होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोचीन में एक कारखाना खोलने का विचार है। विशाखापत्तनम में भारत सरकार का जहाज बनाने का कारखाना है।

†**श्री दामानी** : आजकल कितने मूल्य के इंजनों का आयात किया जाता है और क्या तीसरी योजना के अन्त तक हम अपनी आवश्मकताओं को पूरा करने के योग्य हो सकेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी वर्तमान जरूरतों में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि में अधिक संख्या में जहाज नहीं बनते। तीसरी योजना की अवधि में जहाज निर्माण के कार्यक्रम काफी प्रगति होगी। यह संयंत्र तीन दौरों में पूरा होगा। अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए हमने पहले और दूसरे दौर को संयुक्त कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री वी० चं० शर्मा: क्या वर्ग (घ) एक 'शीतागार' है, और यदि हां, तो इस शीतागार वर्ग में कितनी परियोजनाएं रखी गई हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि 'घ' वर्ग में होते हुए भी हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके बहुत शीघ्र लिये जाने की सम्भावना है ।

दंडकारण्य योजना

+
†*११५२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सूपकार : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और लोक-सभा और पश्चिम-बंगाल विधान सभा के कुछ सदस्यों ने दंडकारण्य का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो दौरे के पश्चात् उन्होंने क्या सुझाव दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) :** (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल के अन्त और मई, १९६० के आरम्भ में ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) संघ सरकार के पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में २६ अप्रैल, १९६० को कोरापुट में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों और उड़ीसा के वित्त मंत्री के सम्मेलन में डा० बी० सी० राय ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे :—

(एक) दंडकारण्य विकास प्राधिकार के साथ पश्चिम बंगाल के निकट सम्पर्क के लिये पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव को मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य सचिवों के समान प्राधिकार का सदस्य नियुक्त किया जाये ।

(दो) सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों को योजना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये समय समय पर इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिये ।

दोनों सुझाव स्वीकार कर लिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मुख्य मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत हुई थी और कहा जाता है कि अन्त में प्रधान मंत्री को भी बातचीत में हिस्सा लेना पड़ा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके बात-चीत में हिस्सा लेने और चर्चा करने के परिणामस्वरूप दंडकारण्य प्रशासन के कार्य में और सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** यह प्रश्न अप्रैल और मई, में दंडकारण्य में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और लोक-सभा के कुछ सदस्यों के दौरे के बारे में है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच बात-चीत जून के मध्य में हुई थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस सुझाव का क्या बना कि शरणार्थियों को उन कामों पर लगाना चाहिये जिनका उनके पुनर्वास से सीधा सम्बन्ध है, सड़क बनाने आदि के कामों पर नहीं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** इस प्रश्न पर जुलाई में प्रधान मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री में बात-चीत हुई थी। माननीय सदस्या का ध्यान प्रधान मंत्री के सचिवालय के दिनांक १७ जून के प्रेस-नोट की ओर आकृष्ट किया जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आप के द्वारा अथवा श्री मावलंकर द्वारा यह विनिर्देश दिया गया था कि जब हम किसी ऐसी बात का उल्लेख करते हैं, जो बहुत पहले घटी हो, तो उसका संक्षिप्त विवरण यहां दुहराया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि पिछले रिकार्ड में उल्लिखित बातों का वृत्तान्त यहां दिया जाने लगेगा तो फिर तो इस का कोई अन्त न होगा। माननीय सदस्यों में इतना धीरज और कर्मठता होनी चाहिये कि वे इनका अध्ययन स्वयं करें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** लेकिन यह निर्णय तो पहले दिया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मेरा निर्णय है। मैं उसे नहीं बदल रहा हूं। यदि किसी घटना के बारे में कोई अधिसूचना जारी की गई हो तो यह बात नहीं कि मंत्री महोदय उस अधिसूचना का बराबर निर्देश करते जांये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जहां तक मुझे याद है, वह एक अस्पष्ट अधिसूचना थी। इस विशिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में उसमें कुछ नहीं कहा गया था। इसलिये इस विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में क्या उत्तर है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** प्रेस विज्ञप्ति बहुत ही स्पष्ट थी और उसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी।

†**श्री सूपकार :** क्या शरणार्थियों को अपने शिविरों से दण्डकारण्य अधिक जल्द ले जाने के लिए दल के पास कोई सुझाव था ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** इस प्रश्न पर अभी हाल में चर्चा हुई है, उस समय नहीं हुई थी। उस समय मुख्य कल्पना यह थी कि पश्चिम बंगाल सरकार दंडकारण्य परियोजना से ठीक उसी तरह सम्बद्ध हो जिस तरह कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारें सम्बद्ध हैं, और मुख्य मंत्री योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये समय समय पर, प्रत्येक तीन या चार महीने पर, दण्डकारण्य क्षेत्र में दौरा करें।

†**श्री सूपकार :** क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और लोक-सभा के सदस्यों के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल सरकार या पश्चिम बंगाल के अधिकारी दंडकारण्य के विकास से संबंधित नहीं थे ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** दण्डकारण्य के विकास का सम्बन्ध दो राज्यों से है, मध्यप्रदेश और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध केवल विस्थापित व्यक्तियों को पशिचम बंगाल से दण्डकारण्य भेजने के विषय में है। इस प्रकार वह सरकार संबन्धित नहीं थी यद्यपि मेरे मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बराबर परामर्श होते रहे।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और उक्त दल के दौरे से पहले, प्राक्कलन समिति ने दण्डकारण्य प्राधिकार के पुनर्गठन का सुझाव देते हुये यह भी सिफारिश की थी कि आदिम जातियों की स्थिति से परिचित एक समाजिक कार्यकर्त्ता भी विकास प्राधिकार में रहे। क्या मैं जान सकता हूं कि पुनर्गठन के समय इस पहलू की ओर बिल्कुल ही क्यों ध्यान नहीं दिया गया ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री २४ अप्रैल को दंडकारण्य गये थे। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पांच दिन बाद अर्थात् २९ अप्रैल को सभा पटल पर रखी गई थी। आदिम जाति परामर्श दाता दंडकारण्य विकास प्राधिकार के एक पदाधिकारी के तौर पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका था।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्री एच० सुकुमार सेन ने दंडकारण्य प्रशासन का अध्यक्ष पद संभाल लिया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** जो हां, वह अप्रैल से १ सितम्बर तक आ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने इस दल की रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा है। इस रिपोर्ट से श्री सेन को नियुक्ति का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** उस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि यदि शरणार्थी सरकारी सम्मितियां बनायें, तो उन्हें उद्योग दिये जायेंगे जिससे उनका पुनर्वास संभव हो सकेगा। उस योजना की क्या प्रगति हुई है, कितनी सहकारी समितियां बनायी गई हैं और कौन कौन सी योजनाएं मंजूर की गई हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** कई लघु उद्योग पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। वे व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समितियों के तौर पर चलाये जा रहे हैं यह मुझे मालूम नहीं किन्तु यदि माननीय सदस्य विशिष्ट जानकारी और अलग प्रश्न पूछें, तो मैं आवश्य ही जानकारी दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

"जीओ फोन[1]"

†*११५४. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा "जीओ फोन" नामक यंत्र का आविष्कार किये जाने की ओर दिलाया गया है जिससे कोयला खानों में कोयला अथवा गैस के विस्फोट को, जो खनिकों के लिये बड़ी खतरनाक होता है, कम से कम छः घंटे पहले पता चल जाता है; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने का कोई यत्न किया गया है कि क्या भारतीय खानों में उपयोग किये जाने के लिये यह यंत्र उपलब्ध हो सकता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) इस बारे में समाचार पत्रों में समाचार था ।

(ख) सोवियत अधिकारियों और रूसी खान-सुरक्षा मंत्री से पूरे पूरे ब्यौरे मांगे गये हैं । अभी तक उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह जानकारी कब मांगी गई थी और क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री आबिद अली :** हमने जुलाई के प्रारम्भ में इस जानकारी के लिए प्रार्थना की थी । एक औपचारिक स्वीकृति के सिवा अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस जीओ फोन की क्या कीमत है और क्या अन्य देशों में भी इसका उपयोग किया जाता है ?

†**श्री आबिद अली :** ये ब्यौरे, मूल्य इत्यादि हमें अभी मालूम नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों का प्रसारण

†*११५५. **श्री रामी रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लाभ के लिये, जिनके पास रेडियो-सेट नहीं है, समाचारों, गीतों आदि के प्रसारण की कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस योजना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य की जिन विभिन्न नगरपालिकाओं ने पहले ही से तार द्वारा प्रसारण पद्धति (वायर्ड रीडिफ्यूजन सिस्टम) स्थापित की है, उन्हें आकाशवाणी कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्थानीय सूचनायें और कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जा सकती है ।

---

[1]Geophone.

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वतः नगरपालिकाओं ने पहले केन्द्रीय सरकार से इस बारे में चर्चा की थी और गम्भीर विचार विमर्श के बाद इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। अभी हाल में आन्ध्र सरकार ने स्थानीय जनता के लाभ के लिये नगरपालिकाओं द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रमों के पुनः प्रसारण का सुझाव दिया था।

(ग) और (घ) जब कि स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित करने का नगरपालिकाओं का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका, आकाशवाणी के कार्यक्रम पुनः प्रसारित करने के प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है।

†**श्री रामी रेड्डी**: इस पर विचार करने के लिये सरकार कितना समय लेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: निश्चित प्रस्ताव रखना तो उन पर निर्भर है क्योंकि हमें याद है कि हमने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था करने में कुछ खर्च करना होगा और उसमें कुछ समय भी लगेगा।

†**श्री रामी रेड्डी**: क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र में कुछ दूसरी जगहों पर मीडियम-वेव रिले स्टेशनों का सुझाव दिया है ?

†**डा० केसकर**: जी हां, रिले ट्रांसमीटरों के बारे में, किन्तु यह इस प्रश्न से बिलकुल अलग प्रश्न है।

कालकाजी (दिल्ली) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्ती

+

†*११५८. { **श्री दी० चं० शर्मा**:
श्री राम कृष्ण गुप्त:
सरदार इकबाल सिंह:

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालकाजी में प्रस्तावित बस्ती के नकशे (ले आउट प्लान) बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को अलाटमेंट करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बाह्य-रेखा सर्वेक्षण योजनाएं तैयार की हैं और उसी विभाग के प्रधान वास्तुकला विशारद बस्ती का नकशा (ले आउट प्लान) तैयार कर रहे हैं।

(ख) ले-आउट प्लान तैयार हो जाने के बाद ही जमीनें दी जाने की प्रक्रिया निर्धारित की जायगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: कितनी जमीन के लिए ले-आउट प्लान तैयार किया जा रहा है और यह कितने मकान तैयार किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पू० श० नास्कर** : प्रारम्भ में, २०० वर्ग गज, ३७५ वर्ग गज और ५०० वर्ग गज के लगभग ५०० भूखंड होंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** . इस बस्ती में कुल कितने भूखंड (प्लाट) होंगे ?

†**पुनर्वास तथा अल्प सख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** ले-आउट प्लान में लगभग ५०० परिवारों के लिये व्यवस्था की गयी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों ने इस बस्ती में मकानों का कब्जा लेने के लिये कोई उत्साह नहीं दिखाया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जमीन का अभी सर्वेक्षण हो रहा है । ले आउट प्लान तैयार किया जा रहा है । ले-आउट प्लान पास किये जाने के बाद विकास होगा । अभी यह प्रारम्भिक दशा में है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जो शरणार्थी आवेदन कर सकें ऐसे लोगों के चुनाव का क्या आधार है क्योंकि शरणार्थी एसोसियेशनों से हजारों आवेदन प आये हैं और लोग मकान लेने के लिये तैयार बै हैं ?

†**श्री पू० श० नास्कर** : वे विस्थापित व्यक्ति जो पहले से ही राजधानी में मौजूद हैं और जो लाभप्रद ढंग से काम पर लगे हुए हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि इन शरणार्थीयों का इस प्रकार का एक असोसियेशन है और वे पहले ही माननीय मंत्री को लिख चुके हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूं कि पूर्व पाकिस्तान के जो विस्थापित व्यक्ति दिल्ली में हैं और यहां काम कर रहे हैं उनके प्रति हमारे बहुत सहानुभूति है । हम उन सभी की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे या नहीं यह बताना बहुत कठिन है किन्तु हम यथासंभव अधिक से अधिक उनकी मदद करना चाहते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान के विस्थापितों से एप्लिकेशन्ज़ वग़ैरह लेने की कोई डेट निश्चित की गई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : अभी ो तारीख मुकर्रर नहीं की गई है । अभी तो ज़मीन ही साफ़ नहीं हुई है । जब प्लाट्स बनेंगे, तो एप्लिकेशन्ज़ मांगेंगे । आज एप्लिकेशन्ज़ मांगना तो अपने लिये मुसीबत बुलाना है ।

बंगाल की खाड़ी में चीनी पनडुब्बी

+

†*११५९. { **श्री म० र० कृष्ण** :
श्रीमती मफीदा अहमद : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ४ जून, १९६० के "आसाम ट्रिब्यून" (गोहाटी) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो गयी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) समाचार निराधार है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या हमारी अपनी कोई पनडुब्बियां हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न यह था कि वहां चीनी पनडुब्बियां थीं या नहीं ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†*११६०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के छोटे पैमाने के उद्योगों में अच्छी किस्म की चीज़ों के उत्पादन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या चीज़ों के प्रमाणीकरण की कोई योजना चालू की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब सरकार वस्तुओं के श्रेणी-चिन्हांकन के लिए राज्य में ग्यारह श्रेणी चिन्हांकन केन्द्र चला रही है । इन केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि कुछ वस्तुओं के लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित विस्तृत विवरण के अनुसार माल तैयार करने के लिए छोटे उद्योगों को राजी किया जाये । जहां पर भारतीय मानक संस्था द्वारा कोई विस्तृत विवरण निर्धारित नहीं किये गये हैं वहां संविहित व्यापारियों के परामर्श से तदर्थ विस्तृत विवरण निर्धारित किये जाते हैं । इस योजना के प्रचार से उपभोक्ताओं को भी श्रेणी के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है ।

२. पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक समान सुविधाएं और परीक्षण सुविधाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने लुधियाना में समान सुविधा और परीक्षण केन्द्र भी चालू किया है ।

३. लघु उद्योग सेवा संस्था, लुधियाना, जो केन्द्रीय सरकार का संगठन है, पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों को अपनी वस्तुओं की किस्म सुधारने के लिए टेक्नीकल सहायता और मार्गदर्शन दे रही है । जहां आवश्यक हो, उद्योगों में स्थापित मशीनों में सुधार करने के लिए भी सुझाव दिये जा रहे हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि प्रमाणीकरण का कार्य करने वाली एकमात्र केन्द्रीय संस्था लुधियाना में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्था ही है । क्या माननीय मंत्री को विश्वास है कि यह संस्था बटाला, मलेरकोटला और अमृतसर तथा आस पास की छोटी जगहों में स्थित लघु उद्योगों की सेवा कर रही है और ये सुविधाएं वहां दी जा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री मनुभाई शाह : केवल वही एक मात्र केन्द्र नहीं है। जैसा कि विवरण के अन्तिम पैरा में बताया गया है, पंजाब सरकार ग्यारह प्रकार के उद्योगों के लिए जिनमें खेलकूद का सामान, वैज्ञानिक सामान, पीतल के बर्तन, सायकिल के पुर्जे, सिलाई की मशीनें, चमड़े की चीजें, सजावट के कपड़े, मशीन-औजार आदि भी शामिल है, ग्यारह जगहों पर हमारी ओर से श्रेणी चिन्हांकन केन्द्र चला रही है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार और यह संस्था सेवा भी कर रही हैं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह चिन्हांकन संस्था केवल चिन्हांकन कार्य के लिये ही है और वह छोटे उत्पादकों को कोई शिल्पिक सहायता नहीं दे रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में ये केन्द्र टेक्नीकल मार्गदर्शन देने के लिये नहीं है। वह तो लघु उद्योग सेवा संस्था का मुख्य कार्य है। किन्तु श्रेणी चिन्हांकन सेवा उन्हीं लोगों को दी जाती है जो उस स्तर तक पहुंच गये हों जहां उत्पादन की मात्रा काफी हो और प्रमापीकरण से, उत्पादित वस्तुओं की अधिक बिक्री हो सके।

†श्री अजित सिंह सरहदी : शिल्पिक मार्गदर्शन के लिए क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि केन्द्रीय सरकार को लघु उद्योग सेवा संस्था का फैलाव पंजाब में उन स्थानों पर जहां पर छोटे उद्योग स्थित हैं, टेक्नीकल केन्द्रों के रूप में हों ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में, जैसा कि सभा को मालूम है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप में, हमने उल्लेख किया है कि सेवाओं का काफी अधिक विस्तार करने का हमारा विचार है और तीसरी योजना ८०० से ९०० से ऊपर विस्तार केन्द्र खोले जायेंगे। लगभग ९० केन्द्र काम कर रहे हैं और उनमें ७ पंजाब में हैं।

नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्ती

+

†*११६१. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल की औद्योगिक बस्ती उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यह बस्ती उत्तर प्रदेश सरकार को कब सौंपी जायेगी ; और

(ग) यह किन शर्तों पर सौंपी जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). यह सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार नैनी औद्योगिक बस्ती को अपने हाथ में ले लें। उत्तर प्रदेश सरकार किन शर्तों पर यह बस्ती राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से लेगी इस पर अभी बातचीत चल रही है और बहुत शीघ्र ही वह तय हो जायगी।

†श्री सुबोध हंसदा : चूंकि सरकार ने यह औद्योगिक बस्ती उत्तर प्रदेश सरकार को दे देने का निश्चय किया है, तो क्या यह औद्योगिक बस्ती चलाने में केन्द्रीय सरकार का भी कोई उत्तरदायित्व होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को मालूम है, वास्तव में, दो बस्तियों को छोड़ कर सभी बस्तियां राज्य सरकार बना रही है, एक तो ओखला में अग्रिम प्रयोग और दूसरी नैनी में। अब, राज्य सरकार के अनुभव से, यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह बस्ती भी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दे दी जाये। यहां दिल्ली में, हमने ओखला बस्ती दिल्ली प्रशासन को सौंप दी है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि इन सभी बस्तियों को कुशलता से चलाने के प्राविधिक उत्तरदायित्व से हम बरी हो गये।

श्री भक्त दर्शन : नैनी इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो नए उद्योग-धंधों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, क्या उस की पूर्ति हो गई है या नहीं ? उस का पूरी तरह से विकास किया जा चुका है, या कुछ कमी रह गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं एक हफ्ता पहले नैनी गया था और मुझे देख कर खुशी है कि वहां बड़ी अच्छी तरह से काम चल रहा है।

रेडियो प्रसारण के लेखकों को पारिश्रमिक

†*११६२. **श्री सूपकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो के विभिन्न भाषा के लेखकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरें कब निश्चित की गई थीं; और

(ख) क्या पारिश्रमिक—दरों पर पुनर्विचार करने का कार्य काफी देर से अनिर्णीत पड़ा है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : (क) और (ख). यह कहना गलत होगा कि परिवर्तन करने के लिये किसी सामान्य प्रस्ताव पर छानबीन की जा रही है। विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के लेखकों के लिये भुगतान की दरें समय समय पर निर्धारित की गई हैं और जब कभी आवश्यक हुआ उनमें परिवर्तन किया गया। कुछ दरें १९५३ से जारी हैं और कुछ पिछले वर्ष निर्धारित की गई हैं। कुछ श्रेणियों के लिये भुगतान की दरों में परिवर्तन करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

†**श्री सूपकार** : प्रसारित किये जाने वाले एकांकी नाटकों अथवा संक्षिप्त कहानियों के लेखकों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लेखकों के पारिश्रमिक की क्या दरें हैं और क्या विभिन्न वर्गों में किस्म सम्बन्धी कोई भेदभाव है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** किस्म सम्बन्धी अन्तर होना है और दरें भी बतायी जा सकती है यदि इन ब्योरों के बारे में प्रश्न पूछा जाये।

†**श्री सूपकार** : अधिकतम और न्यूनतम दर क्या है ?

†**डा० केसकर** : क्या प्रत्येक श्रेणी के लिए ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सभी श्रेणियों की अधिकतम और न्यूनतम दर चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री वह जानकारी दे सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†डा० केसकर : यह बहुत कठिन है । वार्ता के लिए श्रेणी अलग है, गीतों के लिये श्रेणी अलग है और इन सभी के लिये अधिकतम और न्यूनतम दर एक दूसरे से भिन्न हैं । सभी की अधिकतम दरें नहीं पढ़ी जा सकतीं । उदाहरण के लिये, वार्ताओं के लिये १०० रुपया अधिक से अधिक फीस है ।

†श्री सूपकार : मैं वार्ता और एकांकी नाटक के लेखकों के बारे में जानना चाहता हूं ?

†डा० केसकर : यों तो लेखकों को कोई अदायगी नहीं की जाती क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति प्रसारण नहीं करता तब तक उसे भुगतान नहीं किया जाता । विभिन्न ढंग के प्रसारण के आधार पर श्रेणियों बनायी गयी हैं, न कि इस आधार पर कि वह लेखक है या कवि है या और कुछ ।

†श्री सूपकार : मेरा प्रश्न बिल्कुल गलत समझा गया है । मैं उन लेखकों की बात कर रहा हूं जो स्वयं प्रसारण नहीं करते बल्कि संक्षिप्त कहानियां या एकांकी नाटक जैसी चीजें लिखते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिए पारिश्रमिक की दरें क्या हैं ?

†डा० केसकर : मुझे खेद है कि प्रश्न को पूरी तरह गलत समझा गया है । माननीय सदस्य उन लोगों के लिये दर जानना चाहते हैं जो प्रसारित नहीं करते वरन् प्रसारण के लिए लिखते हैं उन लोगों को भी अलग अलग तरीके से भुगतान किया जाता है । यदि वह उन लोगों के लिये दर जानना चाहते हैं तो मुझे अलग से उत्तर देना होगा । जो जानकारी प्रस्तुत की गई है वह उन लोगों के सम्बन्ध में है जो प्रसारण करते ह ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सारे भारत में भुगतान का एक सा ढंग नहीं है और पारिश्रमिक के दर निर्धारित करना विभिन्न स्टेशनों के मालिकों पर छोड़ दिया जाता है ?

†डा० केसकर : सर्वप्रथम, भुगतान एक ढंग से किया जाता है क्योंकि स्टेशन डायरेक्टर को कुछ एक से क्रमों का, जो उन्हें दिये गये हैं, पालन करना होता है अन्यथा वित्तीय मंजूरी नहीं मिल सकती । किन्तु फिर भी स्थानीय लोगों की इच्छा पर छोड़ देना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक प्रसारण की यहां से जांच नहीं की जा सकती । इसलिये यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति किस श्रेणी के योग्य है और उसे किस श्रेणी के अनुसार भुगतान किया जाये, वह स्थानीय अधिकारियों के स्वविवेक पर ही छोड़ देना पड़ेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि आकाशवाणी के द्वारा अंग्रेजी के लेखकों को जितना पारिश्रमिक दिया जाता है हिन्दी अगर भारतीय भाषाओं के लेखकों को उससे बहुत कम दिया जाता है, यदि हां, तो क्या इस अन्तर को मिटाने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० केसकर : जहां तक मुझे मालूम है, कोई अन्तर नहीं है ।

†श्री रंगा : क्या विभिन्न प्रकार के लेखकों और उन लोगों के लिये भी, जो प्रसारित करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम सामान्य वेतनक्रम निर्धारित करने में स्थानीय मंत्रणा समिति से परामर्श किया जाता है ?

†डा० केसकर : यदि भत्ते निर्धारित करने का सवाल उस समिति में उठाया जाये तो काफी अवांछनीय झगड़े खड़े हो जायेंगे । समिति के सदस्यों पर दबाव भी डाला जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि लेखकों की श्रेणी निर्धारित करने में, विशेषज्ञों की एक समिति इस विषय पर राय देती है कि क्या अमुक व्यक्तियों को अमुक श्रेणियों में रखा जा सकता है ।

†**श्री रंगा** : क्या स्टेशन डायरेक्टरों द्वारा इस स्वविवेक का दुरुपयोग रोकने के लिये कोई संरक्षण है ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० केसकर** : विशेषज्ञ समिति की राय पर्याप्त है । इन चीजों के बारे में हम हमेशा सावधान रहते हैं । और यदि कोई शिकायतें होती हैं, तो वह नियमित रूप से हमें मिलती रहती हैं और हम तुरन्त उनकी जांच करते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान ऐसी कुछ निराशाजनक असमानताओं की ओर दिखाया गया है जैसे प्रादेशिक लोक-नृत्य पर दिल्ली स्टेशन से अंग्रेज़ी में १० मिनट की प्रसारण-वार्ता के लिये ५० रुपये दिये जाते हैं जब कि प्रादेशिक स्टेशनों से "बर्ट्रेन्ड रसेल रीअसेस्ड" जैसे विषय पर उसी व्यक्ति को अंग्रेजी में १० मिनट की प्रसारण वार्ता के लिये २० रुपये दिये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम बारीकियों पर जा रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : असमानताएं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु क्या हम इन सब बातों पर प्रश्नों के घंटे में ही चर्चा करें ? इस प्रकार की सैकड़ों चीजें होती हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस सदन के बाहर हजारों तरीकों से दिलाया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए विकास कार्यक्रम

*११६४. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री १४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए स्वीकृत विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कामों और उन पर किये गये व्यय का व्यौरा इस बीच प्राप्त हो कगया है ;

(ख) यदि हा, तो क्या इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ के लिए मंजूर किए गए ७३·१३ लाख रुपये के अनुदान के बारे में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

विकास शीर्षक	(लाख रुपये) व्यय १९५९–६०
कृषि उत्पादन	५.६६
लघु सिंचाई	२.४१
वन	५.६६
ग्राम तथा लघु उद्योग	४.४९
सड़कें	९.५२
स्वास्थ्य (पीने के पानी की सप्लाई)	२.९९
योग	३०.७३

(ग) १९६०–६१ के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई, वन, ग्राम तथा लघु उद्योग, सड़कें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य आते हैं ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस विवरण से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा पिछले वर्ष ६० लाख रुपये की योजनायें स्वीकृत की गई थीं और इस राशी में से राज्य सरकार केवल ३०.७३ लाख रुपया ही खर्च कर पाई है और बाकी का रुपया खर्च नहीं किया जा सका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि जितना रुपया वह मांगती है, जब वह उसको खर्च करने के लिए दे दिया जाता है तो फिर वह उसे खर्च करने की भी कृपा करे ? इसके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सही है कि ६० लाख रुपये में से ३० लाख से कुछ अधिक रुपया खर्च हुआ है । लेकिन राज्य सरकार की कुछ दिक्कतें थीं । वह कार्यक्रम का पहला वर्ष था और काम को शरू करने में भी देर हुई । साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में काम का समय बहुत कम होता है । लेकिन अगले साल राज्य सरकार समझती है कि ज्यादा रुपया खर्च वह कर सकेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हाल में तिब्बत के सीमान्त में तीन नए जिले बनाये गये हैं और उन तीन जिलों के विकास के लिए अलग रकमें मुकर्रर को गई हैं । अब जो इस साल की योजना बनाई जा रहीं है वह पर्वतीय क्षेत्रों के शेष भागों के लिए बनाई जा रही है या उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है । क्या व्यवस्था की जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री ल० ना० मिश्र : उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग से रुपये नहीं दिये जाते हैं । सारे पिछड़े हुए इलाके के लिए रुपये दिये जाते हैं । १९६०–६१ के लिए करीब दो करोड़ रुपये दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार उसको पिछड़े इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुन्देलखंड के इलाके में और पर्वतीय क्षेत्रों में बांटेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उपमंत्री महोदय ने बताया है कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही रुपया उपलब्ध नहीं है परन्तु यह उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग ९०० करोड़ रुपये मांगे हैं और यदि हां, तो इस के बारे में सरकार और योजना आयोग ने क्या निश्चय किया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : अभी तृतीय पचंवर्षीय योजना के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं बतायी जा सकती ।

श्री हेम राज : जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को रुपया केन्द्रीय सरकार से दिया गया है, उसी प्रकार से पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों को भी कोई रुपया इस साल के लिए केन्द्र की ओर से दिया गया है और यदि दिया गया है तो कितना और उसमें से कितना खर्च हुआ है ?

श्री ल० ना० मिश्र : पिछले दिनों मैंने बताया था कि पंजाब के लिए भी रुपया दिया गया है । कितना रुपया दिया गया है, यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, इसके बारे में यहां पर मांग की जाती रही है कि उन इलाकों के संसद् सदस्यों और एम० एल० एज़० इत्यादि की एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाए, उसके परामर्श से रुपया खर्च किया जाए, योजनायें बनाई जायें लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि जल्दी ही समिति बनाई जाए और उसकी सहायता ली जाए ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने अनुरोध तो किया है । हाल में वे एक सम्मेलन बुलाना चाहते हैं। एम० पीज और एम० एल० एज० का जो उस डिवेलेपमेंट कमिशनरी के लोग हैं । उसके बारे में सलाह मश्विरा कर रहे हैं ।

फिल्मों का निर्यात

†*११६५. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में विदेशों को निर्यात किये गये वृत-चित्रों तथा अन्य चलचित्रों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने चलचित्र निर्यात किये गये और उनकी लम्बाई कितनी थीं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई और उनका निर्यात किन किन देशों को किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (**श्री सतीश चन्द्र**) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखियें परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०५]**

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि वर्ष १९५९ में १.७० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई। वर्ष १९५८ में कितनी आय हुई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वर्ष १९५८ में १,१९,६९,००० रुपये की आय हुई।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि केवल लंका और सिंगापुर जैसे स्थानों को निर्यात से ही ७१ लाख रुपये की आय हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे तमिल भाषा में फीचर फिल्म हैं और यदि हां, तो क्या इन देशों को निर्यात किये गये विभिन्न भाषाओं के फीचर फिल्मों के कोई पृथक-पृथक आंकड़े हैं ?

†**श्री सतीश चन्द** : भाषावार आंकड़े मेरे पास नहीं है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या साम्यवादी देशों से फीचर फिल्मों की कोई मांग नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये फिल्में उन देशों स निर्यात की गयी थीं। फिल्मों का निर्यात उन देशों के साथ व्यापार करार का एक भाग है। परन्तु यह उन पर निर्भर है कि वे इनका आयात करते हैं या नहीं।

†**श्री जोकिम आल्वा** : चैकोस्लोवेकिया जैसे छोटे से देश ने हमसे ९२,४२० रुपये की फिल्में खरीदी हैं जबकि अमरीका ने केवल ९८,४१६ रुपये के मूल्य की फिल्में खरीदी हैं। ब्रिटेन ने भी १५ लाख रुपये के मूल्य की फिल्में खरीदी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम अमरीका से करोड़ों रुपयों की फिल्में खरीदते हैं, अमरीका को अनुपातत: या अन्योन्य आधार पर फिल्मों का निर्यात करने के बारे में सरकार ने क्या पद उठाये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह प्रश्न प्रथम तो भाषा का है और दूसरे उन देशों में और हमारे देशों में बनी फिल्मों की किस्म का है और वैयक्तिक रूचि का भी प्रश्न है। मैंने आंकड़े बता दिये हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : भारतीय फिल्मों से विदेशों में बड़ी अच्छी आय हो रही है और जब निर्माता फिल्म चलाते हैं तो वे रुपये को उन्हीं विदेशों में रखते हैं। क्या सरकार फिल्मों को राज्य व्यापार निगम जैसा राज्य अभिकरण अथवा हमारे दूतावासों में राज्य प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदर्शित कराने के बारे में कोई पग उठा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस देश में फिल्म उद्योग भली प्रकार संगठित है और इसके संगठनों के विकास के लियं इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य को दुराचरण के बारे में कोई निश्चित बात पता हो, तो वह उसको वित्त मंत्रालय को बतायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं जानना चाहता हूं कि हकूमत को क्या इस बात का इल्म है कि बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स जो बाहर के मुल्कों में हिन्दुस्तानी फिल्में भेजते हैं, उन्हें उन फिल्मों को फारेन लैंगुएजिज में डब करने के लिया या फारेन म्यूजिक देने के लिये इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिलता है, फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो ६–६ और ८–८ महीने तक उनको इंतिजार करना पड़ता है, और अगर है तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कोशिश की जा रही है कि हिन्दुस्तानी तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में डब कराया जाये और इसके वास्ते इस तरह की मशीनों के इम्पोर्ट का लाइसेंस देने का इरादा है, टाइटिलिंग मशीनों का, जिनसे हमारी तस्वीरों में क्या हो रहा है, यह स्क्रीन पर आ जाये।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता चलता है कि वर्ष १९५९ में **मद्रास, महाबलेश्वर, काश्मीर, गोदावरी,** आदि जैसी १९८१, प्रलेखीय फिल्में विदेशों को निर्यात की गयीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रलेखीय फिल्में लोकप्रिय हैं। यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसी फिल्में और बनायी जायेंगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी बहुत सी फिल्में बनायी जा रही हैं और बनायी जायेंगी। माननीय सदस्य को विवरण से पता चलेगा कि इस वर्ष विदेशों को कुछ हजार फिल्में भेजी गयीं। मैं समझता हूं कि मैं व्यापक जानकारी नहीं दे सकूंगा। संभवतः इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री कुछ बता सकेंगे। हम जो प्रलेखीय फिल्म बना रहे हैं, उनमें से अधिकांश का निर्यात किया जा रहा है ?

श्री अ० मु० तारिक : मैं वजीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो फिल्म प्रोड्यूसर आपको हजार पाउंड, या दो सौ पाउंड या तीन सौ पाउंड के लिये एप्लाई करते हैं, ताकि वह बाहर के मुल्कों में इन चीजों को डब करा सकें या म्यूजिक दें, उनको साल साल भर ठहरना पड़ता है जब तक कि उनके बाहर के मुल्कों के मुआहिदे खत्म हो जाते हैं ? उनको रिजर्व बैंक में दिक्कत होती है। इसके लिये आपने क्या सहूलियत दी है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह तो पता नहीं कि जो बात आनरेबिल मेम्बर कहते हैं कि वह कहां तक ठीक है। लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि डबिंग हिन्दुस्तान में होना चाहिये, बाहर के मुल्कों में कराने की जरूरत क्यों पड़े। डबिंग के लिये जिन मशीनों की जरूरत है उनके लिये इम्पोर्ट का लाइसेंस दिया जा सकता है।

हथकरघा-वस्त्र का निर्यात

†*११६९. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में कमी होने के कारण "मद्रास बिलीडिंग" प्रकार का हथकरघा वस्त्र बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कितना माल जमा हो गया है और इसका मूल्य कितना है ; और

(ग) सरकार इस माल को निकालने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) मद्रास और आंध्र प्रदेश राज्यों में "बलीडिंग मद्रास" के जमा होने के बारे में बताया गया है। इसके जमा होने का कारण यह है कि अमरीका में विदेशी आयातकों ने अपने आर्डर बड़ी मात्रा में रद्द कर दिये थे।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि जमा हुआ माल का मूल्य लगभग ३० लाख रुपये है।

(ग) इस संबंध में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और हथकरघा निर्यात संगठन कुछ उपाय कर रहे हैं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : मंत्री महोदय ने बताया है कि आर्डर बड़ी मात्रा में रद्द किये गये हैं। इसके क्या कारण हैं ? क्या यह संभरित माल की किस्म खराब होने के कारण हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। यह मुख्यत: खराब किस्म के कारण नहीं है परन्तु अधिकांश इसलिये कि मूल्य बताने में निर्यातकों की अनुचित छीना झपटी है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम**: क्या सरकार इस जमा हुये माल को निकालने के लिये कोई विशेष छूट देगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं।

†**श्री तंगामणि** : 'बलीडिंग मद्रास' हथकरघे का बना वह कपड़ा है जो धुलने के बाद कई १०–१२ रंग देता है। कंजीबरम और अन्य क्षेत्रों में ३० लाख रुपये का माल जमा होते हुये भी क्या सरकार उन हथकरघा बुनकरों को कोई संरक्षण देगी जिन्होंने इसके उत्पादन का नमूना निकाला है ?

†**श्री कानूनगो** : डिजाइन और सारा तरीका हथकरघा बोर्ड के नमूना केन्द्र द्वारा निकाला गया था और हथकरघा बोर्ड अथवा सरकार इस तरीके पर कोई औद्योगिक स्वामित्वाधिकार नहीं रखते। हर कोई इसका निर्माण कर सकता है। परन्तु इसके लिये हम कोई सहायता या छूट देने को तैयार नहीं हैं।

†**श्री रंगा** : इस कपड़े के निर्यात को अन्य देशों को करने के लिये क्या अखिल भारतीय हथकरघा विपनन फैडरेशन अथवा संस्था को सहायता देने के बारे में कुछ किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। वे प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री रंगा** : क्या मंत्री महोदय एक या दो पग के बारे में बतायेंगे जो वे उठायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : सिंगापुर संस्थान और श्री लंका संस्थान इस सामान को अपने स्थानीय बाजारों में खपाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उनको अभी ये मूल्य मान्य नहीं हैं।

†**श्री अय्याकणु** : हाल ही में हथकरघा बुनकरों का एक शिष्टमंडल अमरीका गया था। अमरीका में इस शिष्टमंडल के दौरे के फलस्वरूप वहां पर क्या अतिरिक्त मांग हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक इस विशेष माल का संबंध है, यह एक नया नमूना है और इसकी अमरीका में अच्छी मांग थी। निर्यात व्यापार में असंगठन के कारण यह गड़बड़ हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री थानू पिल्ले : मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्यात व्यापार में असंगठन और मूल्यों में असन्तुलन के कारण आर्डर रद्द किये गये हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री कानूनगो : वे इस पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। यदि यह चीज़ चलती रही और इसमें सुधार नहीं हुआ, तो हम निर्यातकों को पंजीकृत करने और उनको लाइसेंस देने पर विचार करेंगे जोकि हम इस समय नहीं करना चाहते हैं।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मंत्री महोदय ने बताया है कि मूल्य कुछ अधिक ह, क्या अन्य देशों में इस प्रकार के कपड़े की बिक्री के बारे में विक्रय मूल्य पर कोई छूट देने के बारे में कोई प्रयत्न किया जा सकता है ?

†श्री कानूनगो : मैंने बताया कि केवल मूल्य ही एक मात्र कारण नहीं है। इस कपड़े को सिवाय अमरीका के और संभवतः योरोप के जहां हम प्रयत्न करेंगे, कोई और नहीं लेना चाहता।

प्रधान मंत्री की पाकिस्तान-यात्रा

†*११७०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६० में प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान जाने का निर्णय अन्तिम रूप रूप से किया जा चुका है ; और

(ख) प्रधान मंत्री वहां कितने दिन ठहरेंगे और उनका कार्य-क्रम क्या होगा ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). यह समझने पर कि तब तक नहरी पानी संधि हस्ताक्षर के लिये तैयार हो जायेगी, प्रधान मंत्री जी का १९ से २३ सितम्बर, १९६० तक पाकिस्तान का दौरा करने का विचार है। उनके दौरे के कार्यक्रम के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस बात को देखते हुये कि प्रधान मंत्री महोदय वहां पर लगभग ५ दिन ठहरेंगे, और मैं समझता हूं कि वहां पर काश्मीर के प्रश्न पर भी विचार किये जाने की संभावना है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में प्रधान मंत्री का ध्यान भारत पाक करार के संबंध में इन नदियों के संसाधनों को कब्जे में ले लेने के बारे में राष्ट्रपति अयूब के हाल ही के वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्नों की बौछार की है। पहले तो मैं पास्किस्तान में ४ १।२ दिन ठहरूंगा न कि ६ दिन। दूसरे, मैंने बताया कि मैं अपने अधिकार में सब मामलों पर वार्ता करने को तैयार हूं। कुछ पर मैं बातचीत कर सकता हूं और कुछ पर बातचीत नहीं कर सकता हूं जैसे यदि हम गूढ़ वित्तीय मामलों पर बातचीत करना चाहें तो इस पर तो मेरे साथी ही बात कर सकते हैं।

†एक माननीय सदस्य : श्रीमान् जी ....

†अध्यक्ष महोदय : अभी प्रधान मंत्री महोदय ने अपनी बात पूरी नहीं की है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ज़रा सब्र रखें। मैंने बताया है कि काश्मीर समेत मैं अन्य मामलों पर भी बातचीत करने को तैयार हूं। इसमें कोई नयी बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल ही में राष्ट्रपति अयूब खां के वक्तव्य के बारे में समाचार पत्रों में कुछ समाचार छपे थे—नहरी पानी सन्धि से राष्ट्रपति अयूब खां ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनके बारे में। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इन निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : स्पष्टतः माननीय प्रधान मंत्री नहरी-पानी विवाद के बारे में सन्धि पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात जो राष्ट्रपति अयूब ने अब उठाई है, पहले कभी नहरी पानी विवाद के दौरान भी उठायी गई थी ? यदि हां, तो हमारी सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह बात किसी समय उठायी यी थी।

†**श्री गारे** : अभी प्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि क्यों तीन नदियां उनको मिल गयी हैं, तो इसका यह निष्कर्ष निकालता है कि उन नदियों के ऊपरी मुहाने पाकिस्तान के कब्जे में और नियंत्रण में रहेंगे। क्या वे इस बात से सहमत हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्य ने मेरी बात सुनने का कष्ट किया होगा तो उन्हें याद होगा कि मैंने यह कहा था कि इस बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से के निष्कर्षों से मैं सहमत नहीं हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पाकिस्तान से आने वाला समाचार यह है कि वहां पर काश्मीर प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कुछ प्राथमिक बातें निकाली गई हैं और प्रधान मंत्री के राष्ट्रपति अयूब खां के मिलने से पहले क्या पत्र व्यवहार द्वारा कोई कार्य किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ वर्ष पहले कुछ प्राथमिक बातों पर विचार किया गया था—उसके बाद नहीं।

†**श्री हेम बरूआ** : पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने रेडियो-भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन पश्चिमी नदियों के उद्गम स्थान काश्मीर में हैं और इसलिये नहरी-पानी विवाद के साथ साथ काश्मीर विवाद भी मिला हुआ है। अतः उनका सुझाव है कि दोनो बातों पर वार्ता होनी चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वक्तव्य से नहरी-पानी विवाद सुलझाने में कोई कठिनाई होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उस प्रश्न का उत्तर दो बार दे चुका हूं। क्या मैं तीसरी बार भी इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने एक बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूं कि मैं राष्ट्रपति अयूब खां के निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं। यह मामला यहां समाप्त हो जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अगला प्रश्न मेरा प्रश्न है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : महत्वपूर्ण प्रश्न तो कई हैं। समय समाप्त हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत से अवैध निष्क्रमण

†*११४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से दूसरे देशों को अवैध निष्क्रमण करने वाले लोगों की कितनी संख्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से इस बात को रोकने में कहां तक सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारतीय निष्क्रमण अधिनियम,[1] १९२२ के उल्लंघन में भारत से अन्य देशों को निष्क्रमण के बारे में स्पष्ट रूप से संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति चोरी से और चुंगी अधिकारियों की जानकारी के बगैर भारत से जाते हैं ।

बगदाद में हमारे राजदूतावास ने बताया है कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से रोजगार के लिये फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में गये हैं ।

(ख) क्योंकि श्री लंका को अवैध निष्क्रमण प्रमुख रूप से मद्रास राज्य के दक्षिणी जिलों से होता है, उस राज्य के ऐसे निष्क्रमण को रोकने वाले कर्मचारियों के साथ एक २८ व्यक्तियों का विशेष पुलिस दल लगा दिया गया है । इस दल का खर्च केन्द्र करता है । उक्त विशेष पुलिस बल तटीय क्षेत्रों में छापा मारता है, गश्त लगाता है और भारतीय निष्क्रमण अधिनियम, १९२२ का उल्लंघन कर श्री लंका जा रहे अथवा जाने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है ।

लद्दाख में तिब्बती शरणार्थी

*११४८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में देमचोक क्षेत्र के सीमावर्ती गावों में कितने तिब्बती शरणार्थी गत तीन मास में आये ; और

(ख) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) मार्च, १९६० में लगभग २०० शरणार्थी देमचोक में आए । उसी क्षेत्र में १८० शरणार्थियों का एक और जत्था जुलाई १९६० में आया ।

(ख) जम्मू और काश्मीर की सरकार उन्हें लद्दाख की भूमि पर फिर से बसाने का प्रबन्ध कर रही है ।

हीरों का निर्यात

†*११५३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि अपरिष्कृत हीरों पर लगे मौजूदा ऊंचे सीमा-शुल्क से हीरों के अवैध तथा तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिलता है अथवा नहीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में　　[1]Indian Emigration Act.

(ख) क्या सरकार को पता है कि खम्भात और जयपुर के बहुत से कारीगर, जिन्हें हीरों और अन्य बहुमूल्य जवाहरात को काटने और परिमार्जित करने की अपनी अद्वितीय दक्षता के लिये ख्याति प्राप्त है, या तो बाहर चले गये हैं अथवा उन्होंने वैध व्यापार करना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हीरों को, विदेशों में जिनकी मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है, काटने और पालिश करने की सुविधाएं प्रदान करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कच्चे हीरों पर वर्तमान सीमा-शुल्क की दर से तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिला है ।

(ख) यह सच नहीं है कि इस व्यापार में लगे अधिकांश कारीगर या तो बाहर चले गये हैं अथवा उन्होंने वैध व्यापार करना बन्द कर दिया है ।

(ग) देश में कटे और पालिश हुए हीरों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने आयात किये गये कच्चे हीरों के ; कटे हुए और पालिश हुए हीरों के निर्यात पर शुल्क की छूट दी है ।

मैंगनीज श्रमिक कल्याण निधि संगठन

†*११५६. **श्री पांगारकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज श्रमिक कल्याण निधि संगठन के गठन सम्बन्धी विधान किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) इस विधान के कब तक पेश किये जाने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मैंगनीज अयस्क के निर्यात में वृद्धि होने और इसके मूल्य स्थिर होने तक इस प्रस्ताव को उठा रखा गया है ।

भारत नेपाल सीमा पर अपराध

†*११५७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर जिले (बिहार) के सीतामढ़ी स्थान पर १९ मई-१९६० को नेपाल सरकार और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन भारत-नेपाल सीमा पर अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या मुख्य निश्चय किये गये ; और

(ग) सीमा-अपराधों को कहां तक रोका जा सका है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां । यह बैठक १४ मई, १९६० को हुई थी, १९ मई, १९६० को नहीं ।

(ख) सीमा अपराधों के नियंत्रण में सहयोग सुनिश्चित करने के लिये नेपाल और बिहार के जिला अधिकारियों के बीच निरन्तर बैठक किये जाने का फैसला किया गया । यह भी फैसला किया गया कि अपराधियों का दमन करने में दोनों ओर के पदाधिकारियों द्वारा पूरी सहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी यह पता लगाना कठिन है कि इस सम्मेलन के फैसलों से सीमान्त क्षेत्रों में अपराधों को रोकने में कहां तक सहायता मिली है ।

बागान जांच आयोग

†*११६३. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बागान जांच आयोग पर कितना व्यय करना पड़ा ; और

(ख) कितनी चाय विपणन सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) बागान जांच आयोग पर कुल ४,१८,८०८ रुपये खर्च किये गये ।

(ख) चाय बोर्ड कांगड़ा और मद्रास में लघु उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने के लिये प्रयत्न कर रहा है ताकि उनको अपनी चाय के परिष्करण और विपणन में सहायता मिल सके ।

ब्रिटेन में जाली पार-पत्रों वाले भारतीय

†*११६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का गृह-विभाग भारत के वैदेशिक-कार्य उपमंत्री के इस विचार से सहमत नहीं है कि २०,००० भारतीय जाली पारपत्रों के साथ ब्रिटेन पहुंचे हुए हैं;

(ख) भारत सरकार को किन सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे २०,००० व्यक्ति वहां पर हैं; और

(ग) ऐसे क्या कारण हैं कि लोग इतनी बड़ी संख्या में और वह भी जाली पारपत्रों द्वारा ब्रिटेन जाने के इच्छुक होते हैं ?

†**वैदेशिक-काय मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ब्रिटिश गृह-विभाग से पूछताछ करने पर पता चला है गृह-विभाग के प्रवक्ता ने वैयक्तिक रूप से बात कही है और किसी निश्चिय आंकड़ों के आधार पर नहीं । ब्रिटेन का गृह-विभाग इस बात से सहमत है कि उनके प्रवक्ता द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का यह अर्थ नहीं है कि हमारे प्राक्कलन में बहुत ज्यादा फर्क है ।

(ख) जहां तक २०,००० व्यक्तियों के पहुंचने की जानकारी के सूत्रों का सम्बन्ध है, लन्दन स्थित हमारे उच्चायुक्त ने बताया है कि, इसके अपर्याप्त सूत्रों के अतिरिक्त, इस बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सम्भव है कि सम्बन्धित व्यक्ति दण्ड के भय से ठीक जानकारी न दें । अतः यह २०,००० की संख्या तर्कयुक्त है । इसमें (क) ब्रिटेन के लिये बिना पृष्ठांकन के असली पारपत्र, (ख) जाली पृष्ठांकन के साथ असली परपत्र और (ग) बिल्कुल जाली पारपत्र अर्थात् वे पारपत्र जो वर्तमान अनधिकृत स्वामियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को दिये गये और जिन पर फोटोग्राफ और/अथवा अन्य व्यौरा बदल दिया गया है, शामिल हैं ।

(ग) अधिक संख्या में ब्रिटेन जाने के लिये एक कारण यह है कि वहां पर श्रमिकों के लिये रोजगार की अधिक संभावना है । वे ६ पौंड से लेकर १५ पौंड प्रति सप्ताह तक कमाते हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार उस देश में सम्पत्ति खरीदने अथवा भारत में अपने आश्रितों को धन भेजने के लिये पर्याप्त बचत कर सकते हैं। भारत सरकार, कई कारणों से अशिक्षित और कम शिक्षित भारतीयों को दूर के देशों में जाने के लिये पारपत्र नहीं देती। यही कारण है कि ब्रिटेन जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को इस कार्य के लिये जाली पारपत्र दे कर अवैध यात्रा अभिकर्त्ता लाभ उठा रहे हैं।

ब्रिटेन में बसे व्यक्तियों के कई आश्रित और मित्र उस देश में रोजगार की सम्भावनाओं के बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्टें पढ़ते हैं और वहां जाने की सोचते हैं। इस से समस्या और उलझ गयी है। तथापि, यह काबू में है क्योंकि जाली पारपत्र देने अथवा जाली पारपत्रों पर यात्रा करने के आरोप में ९० व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।

पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारी

***११६७. श्री बाल्मीकी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय में श्रेणी १, २, ३ और ४ के कितने-कितने पदाधिकारी अब तक छंटनी में निकाले जा चुके हैं;

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारियों, विशेषत: श्रेणी ३ और ४ के पदाधिकारियों को और रोजगार दिलाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की भी छंटनी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) कम की गयी आसामियों की संख्या इस प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी	४५
द्वितीय श्रेणी	४०१
तृतीय श्रेणी .	२,५३६
चतुर्थ श्रेणी . . .	१,११२

(ख) गृह मंत्रालय डी० जी० आर० ई० और यू० पी० एस० सी० की परस्पर राय से यह फैसला किया गया है कि सैन्ट्रल सेक्रेटेरियेट और उसके संलग्न कार्यालयों के अलावा जहां भी खाली जगहें होंगी उन्हें भरने के लिये पुनर्वास मंत्रालय के मातहत कार्यालयों के फालतू कर्मचारियों को पहले खपाया जायेगा। डी० जी० आर० ई० ने मंत्रालय के फालतू कर्मचारियों को काम दिलाने में सहायता के लिए एक स्पैशल सैल बनाया है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खपाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को काम दिलाने में कुछ कठिनता हो रही है। इन को सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में खपाने की चेष्टा की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) २९।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघों के कपड़े के मूल्य

†*११६८. **श्री राम गरीब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा-वस्त्र की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) हाल ही में हथकरघा के कपड़े के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) क्योंकि हथकरघा के कपड़े के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण मिल के कपड़े की लागत में वृद्धि है, इस मामले को भारतीय सूती मिल फेडरेशन और दक्षिण भारतीय मिल मालिक संस्था के साथ उठाया गया है और उन्होंने सूत के मूल्य में कुछ कमी की घोषणा की है ।

खादी पर छूट

*११७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्व सेवा संघ की खादी के विक्रय पर तीन आने प्रति रुपया दी जा रही छूट बन्द करने के लिये एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सरकार को इस बारे में किसी योजना की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, यद्यपि खादी कमीशन और सर्व सेवा संघ समय-समय पर इस प्रकार के अनेक उपायों पर विचार करते रहे हैं ।

पोलो के घोड़ों का आयात

†*११७२. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थल सेना के पदाधिकारियों को पोलो के घोड़ों का भारत में आयात करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में भारत में ऐसे कितने घोड़ों का आयात किया गया; और

(ग) इन घोड़ों का आयात करने के लिये उन्हें कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लाहौर में भारतीय मिशन का पुनः खोला जाना

†*११७३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाहौर में पुनः भारतीय मिशन खोलने का है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार के साथ इस सम्बन्ध में किन बातों पर समझौता हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार अन्योन्य आधार पर उप-मिशन पुनः खोलने के बारे में पाकिस्तान सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। अभी तक उस सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

न्यूटन चिकली कोयला खान

†*११७४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूटन चिकली कोयला खान (जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश) द्वारा कोयला खान न्यायाधिकरण पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय जीव-शास्त्री का मनीटोबा की झील में डूबना

†*११७५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २७ अगस्त, १९६० के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मनीटोबा सरकार के अधीन काम करने वाले एक भारतीय जीव-शास्त्री मनीटोबा की एक उत्तरी झील में काम करते हुए डूब गये;

(ख) क्या इस घटना की पूरी जानकारी मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में समाचार-पत्रों में एक समाचार पढ़ा है जिस में यह कहा गया था कि कनाडा में मनीटोबा में एक झील में डा० एस० पी० बसु की डूबने से मृत्यु हो गयी।

(ख) और (ग). ओटावा स्थित हमारे उच्चायुक्त से एक रिपोर्ट मांगी गयी है और यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

दिल्ली में निजामुद्दीन मार्केट और लाजपत नगर में मकान

†*११७६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निजामुद्दीन मार्केट और लाजपतनगर के दो मंजिले मकानों से बहुत से अलाटियों को, जिन्होंने मंत्रालय को देय सारी रकम अदा कर दी है, पिछले कई महीनों से अपने मकानों के मिलकीयत के दस्तावेज़ नहीं मिले;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मिलकीयत के दस्तावेजों की कब तक रजिस्टरी होने और उन्हें मिलने की आशा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). अभी तक प्रादेशिक निबटारा आयुक्त क्षतिपूर्ति दावों के निबटारे और सम्पत्ति के निबटारे के बारे में विचार कर रहे हैं। अतः सम्पत्ति-समर्पण पत्र[1] जारी करने के बारे में कार्य नहीं किया जा सका। अब इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिये भी पग उठाये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही इसमें काफ़ी सुधार हो जायेगा।

नेपाल में अस्पताल

†*११७७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में १० रोगियों के लिये स्थान वाला नया अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर अस्पताल चल रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री क सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने प्रस्ताव मान लिया है। नये अस्पताल की इमारत बनाने और उपकरण लगाने के बारे में प्राथमिक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्लाईवुड का कारखाना

†*११७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्लाईवुड का कारखाना और अन्य ऐसे कारखाने खोलने के लिये ब्रिटिश कम्पनी से इस बीच करार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). इस समवाय के साथ बातचीत पूरी हो गयी है और नये रुपया समवाय के साथ प्रारूप करार की शर्तें परीक्षाणाधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Conveyance Deeds.

पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति

†*११७९. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या प्रधान मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान स्थित चल और अचल भारतीय सम्पत्ति के बारे में हो रही बातचीत समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव :(श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). यह पता चला है कि बातचीत से कुछ और प्रगति हुई है । पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में क्षति-पूर्ति आंकड़े एकत्र करना आरम्भ किया है और एक जिले के बारे में यह कार्य समाप्त कर दिया है ।

कोयले की किस्म

†*११८०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की खराब किस्म के बारे में आई शिकायतों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने राज्य व्यापार निगम के परामर्श से इन शिकायतों की जांच की और उन्हें झूठी पाया ।

भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण चिन्ह

†*११८१. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने यह सुझाव दिया है कि निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण चिह्न लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बारे में भारतीय मानक संस्था से एक से अधिक बार विचार किया गया और उनका सुझाव मानने में जो कठिनाइयां हैं, वे उससे सहमत हैं। दो मामलों में भारतीय मानक संस्था का चिह्न निर्यात के लिये आवश्यक कर दिया गया है। भविष्य में इस बारे में और क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही भारतीय मानक संस्था के साथ विचार किया जायेगा।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आदिम जाति भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें

†*११८२. **श्रीमती मफीदा अहमद**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आदिम जाति भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें देवनागरी लिपि में तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी, हां।

(ख) लोहित सीमान्त डिवीज़न में रहने वाले खम्पतियों को छोड़ कर उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में किसी अन्य आदिम जाति की अपनी लिपि नहीं है। अतः सरकार ने खम्पती को छोड़ कर उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण की आदिम जातीय भाषाओं में लिखी गयी पाठ्य-पुस्तकों के लिये देवनागरी लिपि अपनाने का फैसला किया है। यह अनुभव किया गया है कि इससे राष्ट्रभाषा के अध्ययन में सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) ११ आदिम जातीय भाषाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के लिये पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिये ९१,३०० रुपये।

भिलाई इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†*११८३. { **श्री सुबोध हंसदा**:
श्री रा० च० माझी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात परियोजना क्षेत्र के आस पास छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). मध्य प्रदेश के उद्योग निदेशक की प्रार्थना पर विकास आयुक्त ने भिलाई इस्पात परियोजना क्षेत्र और रायपुर जिले समेत दुर्ग जिले का सर्वेक्षण किया है। जिलों के बारे में क्षेत्रीय-कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

गोआ

†*११८४. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोआ में राजनैतिक बन्दियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो राजनयिक सूत्रों के माध्यम से विरोध प्रकट करने के लिये क्या कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जहां तक सरकार को पता है, गोआ के राजनैतिक बन्दियों द्वारा गोआ की जेलों में स्वच्छता आदि की असन्तोषजनक दशा के विरोध में की गयी भूख हड़ताल केवल एक दिन चली। बदिन्यों को पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जायेगा, हड़ताल समाप्त कर दी गयी। कूटनीतिक सूत्रों के माध्यम से कोई विरोध करने का कोई अवसर नहीं है।

पुनर्वास सलाहकार बोर्ड

†*११८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास तथा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य को न्यायालय द्वारा इस बात के लिये अपराधी ठहराया गया है कि उन्होंने, आयात का लाइसेंस जिन कामों के लिये दिया गया था, आयात की गई चीजों का उपयोग उससे अन्य कामों के लिये किया था;

(ख) वास्तविक आरोप क्या थे; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध मुकदमा प्रारम्भ होने के बाद उन्हें बोर्ड का सदस्य नामजद किया गया था ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) जी हां परन्तु इस मामले में बम्बई के उच्च न्यायालय में एक अपील अभी लम्बित है।

(ख) तीन अन्य व्यक्तियों समेत सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध ये आरोप है कि उन्होंने मुख्य आयात तथा निर्यात नियन्त्रक को धोखा देने के लिये एक आपराधिक षडयन्त्र रचा और उन्हें झूठे अभ्यावेदन पर तीन आयात लाइसेंस जारी करने पर मजबूर किया।

(ग) उनको बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने के समय, उनके विरुद्ध इस मामले में बम्बई के अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडैन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में जांच हो रही थी।

लन्दन में भारतीयों के लिये कल्याण केन्द्र

†*११८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों के लाभ के लिये लन्दन में एक कल्याण केन्द्र खोलने के प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, इसे कब खोलने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यूरोप के अन्य शहरों में भी भारतीय कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसे कल्याण केन्द्र खोलने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों के लाभ के लिये लन्दन में एक कल्याण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव पिछली मई में भारतीय कर्मचारी संस्था के शिष्टमण्डल की लन्दन में मुख्य मन्त्री से भेंट के समय उठाया गया था।

†मूल अंग्रेजी में

संस्था द्वारा अभी उसका व्यौरा तैयार किया जाना है और फिर उस पर सरकार विचार करेगी। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्र के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

(ग) जी, नहीं।

औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल

†*११८७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल की पुराने किस्म की मशीनों और कारखाने की प्रबन्ध-व्यवस्था के बारे में जांच करने के लिये श्री पारिख की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निश्चय किये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कारखाने की प्रबन्ध व्यवस्था की जांच करने के लिये एक दूसरी समिति नियुक्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पहली समिति के निश्चयों को प्रबन्धकों तथा जनता को बताने से पहले ही सरकार को दूसरी समिति नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अगस्त, १९५९ में बम्बई की तत्कालीन सरकार ने इस मिल द्वारा आवेदित ऋण देने के बारे में सिफारिश करने के लिये श्री पारिख की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि या तो इस मिल को भारत का रक्षित बैंक राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर वित्तीय सहायता दे या केन्द्रीय सरकार मिल के भावी कार्यकरण के बारे में निर्णय करने के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन एक जांच करे।

(ग) जी, हां।

(घ) मिल का कार्यकरण असन्तोषजनक होने के कारण राज्य सरकार मिल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकी। प्रथम समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार की विशिष्ट प्रार्थना पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन २५-६-१९६० को एक दूसरी समिति स्थापित की गयी।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा विस्फोटक पदार्थों का इकट्ठा किया जाना

†*११८८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अभी हाल ही में पूंच क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा इकट्ठा किया गया गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थ मिले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९ अगस्त को हमारी एक गश्ती टुकड़ी ने, पूंच के ६ मील दक्षिण पश्चिम और युद्ध-विराम रेखा से १ मील दूर हमारे इलाके में रखे कुछ विस्फोटक पदार्थ बरामद किये । २० अगस्त को कुछ और विस्फोटक पदार्थ, पूंच के छः मील दक्षिण-पश्चिम में और युद्ध विराम रेखा के लगभग ८०० गज़ हमारी ओर बरामद किये गये ।

इसके अतिरिक्त २१ अगस्त को पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के एक व्यक्ति के पास से जो अपने एक साथी के साथ हमारी गश्ती टुकड़ी के साथ मुठभेड़ में मारा गया । विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया । यह दुर्घटना पूंच के पुलिस स्टेशन से १० मील दक्षिण में और युद्ध-विराम रेखा से हमारी ओर ६ मील दूर एक स्थान पर हुई ।

कोयला खानों में महिला कर्मचारियों की छंटनी

†*११८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज और झरिया कोयला-क्षेत्रों में कोयला खानों के मालिक महिला कर्मचारियों की संख्या ५० प्रतिशत से कम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो महिला कर्मचारियों को नौकरियों से हटाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) नये कार्मिक शिशुगृह नियमों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यह बताया गया है कि खान शिशु गृह अधिनियम, १९५९ के जारी किये जाने के बाद नियोजकों में पचास वर्ष की आयु से कम की महिलाओं की संख्या में कमी करने की प्रवृत्ति है ।

(ख) कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

(ग) नियमों में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*११९०. **श्री मोहम्मद ईलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड और कोयला कर्मचारी संघ, गिरीडिह के बीच एक औद्योगिक विवाद का १९५८ से लेकर अभी तक निपटारा नहीं हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विवाद को हजारी बाग के समझौता अधिकारी (सी) के पास समझौता कराने के लिये भेजा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी ने ३१ मार्च, १९५९ को अपनी असफलता की रिपोर्ट दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके पश्चात् इस विवाद को न्यायाधिकरण अथवा श्रम न्यायालय को सौंपने के सम्बन्ध में, जैसा कि कोयला कर्मचारी संघ ने अनुरोध किया था, क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) विवाद में अन्तर्ग्रस्त ४ श्रमिकों के बारे में विवाद को न्याय-निर्णयन के लिये न भेजने के बारे में भारत सरकार के निर्णय को दोनों पक्षों को २४ मई, १९६० को बना दिया गया था। इस विवाद से सम्बन्धित बाकी ११ श्रमिकों को विधि न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्य करने के लिये दण्ड दिया गया और सेशन न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने कुछ संशोधन समेत उनकी सजा को कायम रखा। तथापि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि क्या उनके मामले न्याय-निर्णय के लिये भेजे जायें जबकि मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् द्वारा दायर की गयी एक अपील पटना उच्च न्यायालय में लम्बित है।

जाली पार-पत्र

†*११९१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाली पारपत्रों द्वारा विदेश यात्रा करने की सम्भावनाओं को सीमित तथा समाप्त करने के लिये भारत सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनसे कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) पिछले छः महीनों में भारतीय अथवा विदेशी प्राधिकारियों द्वारा बिना पारपत्रों के यात्रा करने वाले कितने भारतीय पकड़े गये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जाली पारपत्रों पर यात्रा करने की सम्भावनाओं को सीमित तथा समाप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों से अभी तक इतना कार्य हुआ है कि भारत सरकार को किसी भारतीय के जाली पारपत्र पर विदेश जाने की खबर नहीं मिली है।

(ख) पिछले छः महीनों में किसी भारतीय नागरिक के बिना पारपत्र के विदेश यात्रा करने के बारे में कोई मामला नहीं पकड़ा गया है और न ही किसी विदेशी प्राधिकारी ने भारत सरकार को ऐसे किसी मामले के बारे में बताया है।

फिल्म संस्था

†*११९२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नाथ पाई :
श्री ई० मधुसूदन राव : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८११ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म संस्था की स्थापना के बारे में और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यह कब चालू हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री** (**डा० केसकर**) : (क) और (ख) पूना में फिल्म संस्था का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। जनवरी, १९६१ से 'रिफ्रेशर कोर्स' और जुलाई, १९६१ से नियमित पाठ्यक्रम चलाने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

सिंगरेनी कोयला खानों में सहकारी संस्थाएं

†२२४६. **श्री पांगरकर** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खानों में कितनी सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं;

(ख) उनके क्या कार्य हैं; और

(ग) क्या उनको कोई सहाय-अनुदान दिया जाता है ?

†**श्रम उपमंत्री** (**श्री आबिद अली**) : (क) एक।

(ख) उचित दामों पर सदस्यों को उपभोग्य माल देना।

(ग) आवश्यकता नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†२२४७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९५९-६० में आंध्र प्रदेश में खोले गये छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योगों के बारे में २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री** (**श्री कानूनगो**) : (क) और (ख) प्रश्न के भागों (क) और (ख) में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६]** भाग (ख) सम्बन्धी जानकारी अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग

†२२४८. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ मार्च १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों की विभिन्न योजनाओं के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री** (**श्री मनुभाई शाह**) : (क) और (ख) जी, हां। जानकारी एकत्रित की जा चुकी है। और १४-३-६० को लोक-सभा में उत्तर दिये गये अतारांकितप्रश्न संख्या १०५९ के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये सूचना संसद् कार्य विभाग को भेज दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगापुर में भारतीय

†२२४९. श्री १० कं० शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर में इस समय कितने भारतीय हैं; और

(ख) क्या उन्हें कुछ अनर्हताएं हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सिंगापुर सरकार द्वारा अनुमानित जनसंख्या के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर में ३१ दिसम्बर, १९५९ को पाकिस्तान और भारतीय उद्भव के लगभग १,३७,३०० लोग थे । भारतीय राष्ट्रजनों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विदेशियों सम्बन्धी सामान्य नियम और विनियमन भारतीय राष्ट्रजनों पर भी लागू होते हैं । जहां तक सरकार को विदित है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

आकाशवाणी के कर्मचारी

†२२५०. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ५, १० और १५ वर्षों में आकाशवाणी में कितने कर्मचारी थे और उनमें से कितने ठेके पर थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

	५ से १० वर्षों के लिये के	१० से १५ वर्षों लिये	१५ वर्ष से अधिक के लिये
ठेके पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या . .	२	२	—
शुल्क पर स्टाफ आरटिस्टों के रूप में ठेके पर नियुक्त लोगों की संख्या . . .	२९७	३४९	१३२

हिमाचल प्रदेश में ऊन की मिलें

†२२५१. श्री न० म० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ऊन की मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) वे कब कार्य आरम्भ करेंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पियोटा में घटिया किस्म का ऊनी धागा बनाने के लिये एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी फर्म को लाइसेंस दिया गया है । यह इकाई जुलाई १९६१ में उत्पादन आरम्भ कर देगी ऐसी आशा है ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में मिल

†२२५२. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में सीमेंट, कागज, चीनी, सूतीवस्त्र और ऊनी कपड़े के कितने मिल खोलने का विचार है; और

(ख) क्या ये मिल सरकारी क्षेत्र में होंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में सब राज्य के लिये चर्चाएं चल रही हैं। अभी पंजाब के बारे में चर्चा नहीं हुई। इसलिये इस समय कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

अनुशासन संहिता का उलंघन

†२२५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को नियोजकों से मजदूरों पर अनुशासन संहिता के उलंघन सम्बन्धी लगाये गये आरोपों को कितनी शिकायतें मार्च १९६० से प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४५।

(ख) (१) २३ मामलों में अनुशासन उलंघन की शिकायतें सम्बद्ध दलों या उनके केन्द्रीय संगठनों को बताई गई थीं।

(२) राज्यों में १३ मामले हुए थे जिनकी सूचना कार्रवाई के लिये उन राज्य सरकारों को दी गई थी।

(३) जांच करने पर ४ शिकायतें सिद्ध नहीं हुई।

(४) एक मामले में संबद्ध दलों में समझौता हो गया।

(५) ४ मामलों की अभी जांच हो रही है।

पाकिस्तान के लिये पासपोर्ट

†२२५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक भारतीय नागरिकों की ओर से अपने सम्बंधियों को मिलने जाने के लिये जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के लिये पासपोर्टों की कितनी अर्जियां आई हैं;

(ख) कितने लोगों को पासपोर्ट दिये गये हैं;

(ग) अभी कितनी अर्जियां विचाराधीन हैं; और

(घ) कितनी अर्जियां अस्वीकार कर दी गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

पंजीबद्ध व्यक्तियों को रोजगार

†२२५५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी-जून १९६० के बीच पंजाब में पंजीबद्ध स्नातकों, इण्टर पास और मैट्रिक पास लोगों में से कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया है ?

†श्रमउपमंत्री (श्री आबिद अली) :

श्रेणी	जनवरी से जून १९६० के बीच रोजगार दिलाये गये लोगों की संख्या
स्नातक	५८६
इन्टर पास	३०६
मैट्रिक पास	३४२२
योग	४३१४

ब्रह्माण्ड रश्मि अनुसंधान केन्द्र, गुलमर्ग

†२२५६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री २२ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलमर्ग (काश्मीर) में ब्रह्माण्ड रश्मि अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अधिकतर इमारती सामान अब उस स्थान पर भेजा जा चुका है । प्रयोगशाला की इमारत का ऊपर का ढांचा संतोषजनक हो रहा है । कर्मचारी क्वार्टरों की दीवारें पूरी हो चुकी हैं और अब छतें डल रही हैं । जल सम्भरण तथा गर्म करने के प्रबन्ध के डिजाइन तैयार हो चुके हैं और इन कामों तथा बिजली लगाने के लिये टेंडर मांगे गये हैं ।

(ख) ३१ जुलाई, १९६० तक ६५,६०७ रुपये खर्च हुए हैं ।

दिल्ली में आवास योजनाएं

†२२५७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में दिल्ली में आवास योजनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है और इस बारे में संघ राज्य क्षेत्र को क्या हिदायतें दी गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली में १९६१ में विभिन्न आवास योजनाओं में की गई प्रगति को दर्शाने वाला टिप्पण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०७] चूंकि उपलब्ध साधनों के मुकाबले में समूची प्रगति सन्तोषजनक रही है, दिल्ली प्रशासन को कोई विशेष हिदायतें देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

चाय की मशीनें

†२२५८. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के लिये सुखाने और बेलने की छोटी मशीनें लंका में बनाई जाती हैं और वे संतोषजनक काम देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में ऐसी मशीनें बनाने के लिये शिल्पिक ज्ञान प्राप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) लंका में ऐसी मशीनों का मूल्य क्या है और भारत पहुंचने पर उनका मुल्य क्या होगा ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) ऐसी सूचना मिली है कि लंका में कुछ फर्में बहुत सी चाय मशीनें बना रही हैं। ऐसा ख्याल है कि लंका में जिस प्रकार की मशीनें हैं प्रायः उसी क्षमता की मशीनें भारत में भी तैयार होती हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी मशीनों के भारत में सीमित उपयोग का यह कारण नहीं है कि उनके बनाने के शिल्पिक ज्ञान का अभाव है, बल्कि उत्पादकों के पास ऐसी मशीनें खरीदने के लिये कम साधन हैं और ये महंगी तथा उनके साधनों कपरे हैं, इस कारण वे इनमें दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिये लंका से इन मशीनों को मंगवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखबारी कागज

†२२५९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९६० से अब तक इन अखबारों के लिये कितना अखबारी कागज आयात करने की अनुमति दी गई है :

१. इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप
२. टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप
३. हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप
४. स्टेट्समैन ग्रुप ; और
५. हिन्दू ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त में से प्रत्येक को नेपा से कुल कितना माल मिला ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चालू वर्ष में प्रत्येक अखबार द्वारा विदेश से मंगवाये गये माल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि १९६०–६१ के लिये प्रत्येक समाचार-पत्र के लिये अखबारी कागज मंगवाने के हक को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८**]

(ख) उपरोक्त समाचार पत्रों को निम्न विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई थी :—

	रुपये
१. इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप	४०,९७,०८४
२. टाइम्स आफ इण्डिया	९२,९९,७४८
३. हिन्दुस्तान टाइम्स	३२,७४,७५६
४. स्टेट्समैन	२७,२१,६१४
५. हिन्दू	२९,६५,६४४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन समाचार पत्रों को निम्न मात्रा में नेपा अखबारी कागज मंगवाने का अधिकार है जिसके लिये नेपा मिल को अधिकार पत्र दिया गया है:—

	टन
१. इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप	७७८.५४
२. टाइम्स आफ इण्डिया	६७७.०४
३. हिन्दुस्तान टाइम्स	३६७.४४
४. स्टेट्समैन	३१०.१६
५. हिन्दू	३३५.६२

'जाब में औद्योगिक बस्तियां

†२२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में और क्या प्रगति हुई है और कितना विकास हुआ है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मार्च, १९६० से पंजाब में विभिन्न औद्योगिक सम्पदाओं में की गई प्रगति नीचे दी जाती है:

१. **लुधियाना** : ५६ वर्कस शैड बन चुके हैं, उनमें जल और बिजली का प्रबन्ध हो चुका है और वे किराये पर दे दी गई हैं। ५५ शैडों पर कब्जा किया जा चुका है। ७८ और शैड पूरे हो चुके हैं। और उनमें अन्दर तारें लगानी हैं। १२१ शैड विभिन्न स्तरों पर बन रहे हैं। ४४ कक्टरियां चल रही हैं और उनमें से ३६ में प्रति मास २.१६ लाख रुपये का माल तैयार हो रहा है तथा लगभग ३४४ व्यक्ति काम पर लगे हुये हैं।

२. **बटाला**: भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। निर्माण कार्य के टैंडर मंगवाये गये हैं और जिन ठेकेदारों को काम दिया जाता है उन्हें कहा गया है कि वे शीघ्र ही कार्य आरम्भ करें।

३. **नीलोखेडो**: १४ शैड बन रहे हैं, जिन में ४ प्लिथ लैवल पर हैं और १० ट्रैस लैवल पर।

४. **मालेर कोटला**: भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है और निर्माण कार्य के लिये टैंडर मंगवाये गये हैं। जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है उन्हें तुरन्त कार्य आरम्भ करने को कहा गया है।

५. **सोनीपत** : १४ शैड बन रहे हैं जिन में ४ खिड़की स्तर तक और १० ट्रस लैवल तक पहुंच गये हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये फैक्टरी स्थान

राज्य सरकार को मंजूर किये गये २० लाख के ऋण में से १५.२५ लाख रुपये १४७ दलों को दे दिये गये हैं।

पंजाब सरकार ने ३१ मार्च, १९६० तक अपनी औद्योगिक सम्पदा योजनाओं के लिये ५७.९६ लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की हैं। राज्य सरकार ने ३१ मार्च १९६० तक ५२.५७ लाख रुपये के व्यय की सूचना दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी फर्मों और बागान का भारतीयकरण

†२२६१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी फर्मों और बागानों के भारतीयकरण के बारे में क्या कार्रवाई की गई हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९]।

निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती

२२६२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती करने के लिये उपयुक्त भूमि ढूंढने में रबड़ बोर्ड को कहां तक सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : चीफ कमिश्नर द्वारा नियुक्त किये गये एक सर्वेक्षण दल ने जिसकी सहायता रबड़ बोर्ड के अफसर करते हैं, इस द्वीपसमूह का दौरा किया है। चीफ कमिश्नर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य निकोबार समूह के कटचाल द्वीपसमूह में लगभग १०,००० एकड़ और अण्डमान समूह के रटलैण्ड द्वीप में लगभग ३,५०० एकड़ भूमि रबड़ की खेती के उपयुक्त है।

उड़ीसा में मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†२२६३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा सरकार को मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत १५ लाख रुपये दिये हैं ।

(ख) क्या राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि अभी तक उसने राज्य के विभिन जिलों में इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि ऋण के रूप में दी है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितना ऋण दिया गया है ।

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चंदा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ३.६८ लाख रुपये ।

कराची में भारतीय दूतावास का भवन

२२६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराची में हाल ही में भारतीय चांसरी (दूतावास) भवन का निर्माण किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस पर कितना व्यय किया है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा १५,७०,०००,०० रुपये का खर्च किया गया है जिस में जमीन, फरनीचर, लिफ्टों तथा टेलीफोनों, आदि का खर्च भी शामिल है।

विदेश सेवा निरीक्षणालय

†२२६५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित विदेश सेवा निरीक्षणालय का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नवीन ढांचा कैसा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु)** : (क) विदेश सेवा निरीक्षणालय का पुनर्गठन नहीं किया गया। इस समय पदाधिकारियों की कमी के कारण इसे स्थगित किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैथानोल संयंत्र सिन्दरी

† २२६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मीरारका :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी के मैथानोल संयंत्र को जो पिछले आठ वर्षों से बेकार पड़ा है, उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : शिल्पिक समिति और रूसी विशेषज्ञों के १९५६ में उपलब्ध प्रतिवेदनों के आधार पर यह फैसला किया गया था कि देश में मैथानोल की वर्तमान और प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये संयंत्र की एक इकाई लगाने और उससे मैथानोल तैयार करने के लिये आध वर्ष तक चलाने की आवश्यकता है।

शिल्पिक सलाहकारों की कुछ फर्मों को दिये गये निमंत्रण के उत्तर में, जर्मनी की मैसर्स बासफ ने जो मैथनोल रैपेरेशन प्लांट के मूल स्वामी है, मार्च-अप्रैल १९५६ में अपने शिल्पिकों द्वारा उपकरण का निरीक्षण करवाने के पश्चात्, १९६० के आरम्भ में एक परियोजना प्रतिवेदन पेश किया जब कि प्रतिवेदन में पूरा मथानोल संयंत्र लगाने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त उपकरण की संभावित लागत का अनुमान था, इस में सम्पूर्ण कार्य पूरा करने के लिये दाम नहीं दिये गये थे। मैसर्स बासफ ने सरकार को अभी सूचित किया है कि कार्य पूर्ण कर देना उन के लिये संभव नहीं है।

अग्रतर कार्रवाई के लिये इस मामले पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊनी कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

†२२६७. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़ा उद्योग के पुनर्-स्थापन तथा आधुनिकीकरण की समस्याओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अभी हाल में ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) कार्यकारी दल का प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर रखा जायेगा ।

पीतल के बर्तनों का उद्योग

†२२६८. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के पीतल के बर्तनों के उद्योग के विकास की व्यापक योजना अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

घटिया प्रकार के पालिश करने वाले कच्चे माल के उपयोग के कारण मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग को चीजों के गुण प्रकार में लगातार होने वाली गिरावट को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५०-५१ में एक योजना सरकार को अलोह धातु योजना आरम्भ की । योजना में बर्तन बनाने के विभिन्न कामों में युवक कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना की है चूंकि केन्द्र इस के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा करता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक विस्तार कार्यक्रम सम्मिलित किया गया था और केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी थी । केन्द्र को उत्तम प्रशिक्षण और उत्पादन के लिये आधुनिक मशीनरी और औजार मिल गये थे । बर्तनों की किस्म चिह्न के लिये स्टैण्डर्ड माल बनाने के हेतु एक निरीक्षण डिपो खोला गया था । पीतल के लगभग छः बर्तन अर्थात् थाली, थालो (खोमचे) ग्लास, कटोरी, लोटा, चम्मच, कांटे आदि पर इस डिपो में किस्म का चिह्न लगाया जाता है । इस योजना में २३ निर्माता शामिल हो चुके हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

†२२६९. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री पांगरकर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २० अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सम्बन्धित पक्षों में से अधिकांश के मन्तव्य प्राप्त हो चुके हैं और उन की जांच की जा रही है। इस योजना को अन्तिम रूप देने से पहले इस मामले पर त्रिपक्षीय सम्मेलन में चर्चा करने का विचार है।

दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण

†२२७०. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के औद्योगिक सर्वेक्षण के बारे में यदि कोई और प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : दिल्ली प्रशासन ने जिन ३००० औद्योगिक इकाइयों को पत्र लिखे थे उन में से लगभग ११५० ने निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक जानकारी भेज दी है। सर्वेक्षण को शीघ्र ही पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति

†२२७१. श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या निर्माण आवास, और सम्भरण मंत्री १४ अप्रैल, १९६० को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या की जांच करने और उस के उन्मूलन के लिये अर्थोपाय सुझाने के लिये एक टैक्नीकल समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की मात्रा का पता लगाने और उसके उन्मूलन के लिये अर्थोपाय का सुझाव देने के लिये ऐसी समिति कहां तक लाभदायक सिद्ध होगी। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि मंत्रालय में तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सतर्कता विभाग पहले से ही काम कर रहे हैं जो विभाग के विरुद्ध कदाचार और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं। इस के अतिरिक्त मंत्रालयों में एक मुख्य टैक्नीकल परीक्षक, हैं, जिनका अपना स्टाफ है और जो मुख्य इंजीयर से बिल्कुल स्वतन्त्र हैं। इन का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कामों का निरन्तर और समवर्ती टैक्नीकल लेखा-परीक्षा करना है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन

†२२७२. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री रामजी वर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २५ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में, संशोधन के प्रस्ताव किस प्रक्रम पर हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है।

अनिवार्य बचत

†२२७३. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या योजना मंत्री १४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य बचत सम्बन्धी अध्ययन के पूरा होने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): अनिवार्य बचत शुरू करने का प्रश्न संसाधनों में वृद्धि करने की समस्या का एक अंग है। तीसरी योजना के प्रारूप की रूपरेखा में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचारों का उल्लेख किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति

२२७४. श्री पद्म देव : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मुसलमान कितने एकड़ भूमि और कितने मकान छोड़े गये हैं जिन पर स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है; और

(ख) इन व्यक्तियों से सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) (क) कोई नहीं। यदि मामला सरकार के सामने लाया जाए तो उस पर मुनासिब कार्यवाही की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रीठे का उत्पादन

२२७५. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रीठे के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है; और

(ख) देश में ये किस काम आते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रीठे के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये अभी तक कोई पग नहीं उठाये गये हैं। इसका कारण यह है कि बाजार में दूसरे संश्लिष्ट उत्पादनों ने इसका स्थान बड़ी अच्छी तरह से ले लिया है।

(ख) इस के सूखे छिलके में साफ करने का अच्छा गुण होता है। यह छिलका कपड़े (रेशमी भी) धोने के काम में लाया जाता है।

सुपारी और लौंग की कीमतों में वृद्धि

†२२७६. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपारी और लौंग की कीमतों में असाधारण वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पिछले कुछ महीनों में सुपारी की कीमतों में वृद्धि हुई है किन्तु लौंग की कीमतों में कमी हुई है।

(ख) ऐसा लगता है कि सुपारी की कीमतों में वृद्धि मार्केट में आने वाले सामान्य उतार चढ़ाव के कारण हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अग्रिम औद्योगिक परियोजनाएं

†२२७७. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्रिम औद्योगिक परियोजनाओं में गैर-सरकारी उद्योगपतियों का अधिकतम योगदान और सहयोग लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है।

विवरण

यह अनुमान किया जाता है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध सामुदायिक विकास खंडों की अग्रिम परियोजनाओं (उद्योग) से है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात के लिये कि गैर-सरकारी व्यक्ति इन औद्योगिक अग्रिम योजनाओं में अधिकतम योगदान दें और भाग लें, कारीगरों, सहकारी समितियों और रजिस्टर्ड संस्थाओं को, उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों में कुटीर और लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों/खादी आयोग द्वारा भी वित्तीय और टेक्निकल सहायता दी जाती है।

स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थानीय उद्यम और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये व्यापक विकास आन्दोलन चालू किये गये हैं। इससे पहले औद्योगिक सम्भाव्यताओं का सर्वेक्षण किया गया था ताकि पदाधिकारियों और वर्तमान तथा आगामी उद्योगपतियों तथा व्यापारियों एवं कारीगरों में निकट सम्पर्क स्थापित हो सके। राज्य सरकारों और लघु उद्योग संस्थाओं के पदाधिकारी इन आन्दोलनों में भाग लेते हैं; सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को लघु उद्योगों के विकास के उद्देश्यों और इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों से उपलब्ध सहायता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये जिला अधिकारियों की सहायता सभाओं का आयोजन किया जाता है। पुस्तिकाओं का वितरण किया जाता है और आदर्श योजनाएं बेची जाती हैं। कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में जानकारी देने वाला अन्य साहित्य भी बांटा जाता है। जहां पर सम्भव हो, दैनिक देहाती कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र सम्बन्धी विशेष वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं और विशेष 'फीचरों' का आयोजन किया जाता है। दृश्य साधनों जैसे फिल्म आदि के माध्यम से चीजें तैयार करने के सुधरे हुए तरीकों को दिखाया जाता है। चलती फिरती वर्कशापों द्वारा क्रियात्मक प्रदर्शन के अतिरिक्त, उद्योग चालू करने वाले सम्भाव्य व्यक्तियों को आवश्यक मशीनों का चुनाव करने और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से उन मशीनों को किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर लेने के लिये आवेदन पत्र भेजने में सहायता दी जाती है।

तेल की खली का निर्यात

†२२७८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खली का निर्यात करने के नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेल की खली का निर्यात करने के नियमों मे अभी हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मूंगफली की खली का निर्यात करने की अनुमति १९५९ से (१९५९ से पहले सुस्थापित जहाजरानी द्वारा निर्यात की जाने वाली थोड़ी सी मात्रा को छोड़ कर) दी गयी थी, जिसका एकमेव उद्देश्य मूंगफली के तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देना है। तेल निकाली हुई मूंगफली के चूरे के निर्यात के लिये बिना किसी रोक टोक के लाइसेंस दिय जाते हैं, चाहे उसकी मात्रा कितनी ही हो। खोपरे और अलसी की खली के निर्यात के लाइसेंस सभी निर्बाध दिये जाते हैं किन्तु इसकी अधिकतम सीमा समय-समय पर निश्चित कर दी जाती है। अन्य तेलों की खली के निर्यात के लिये, मात्रा सम्बन्धी किसी प्रतिबन्ध के बिना, जुलाई, १९६२ तक दीर्घकालीन लाइसेंस निर्बाध दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. मूंगफली की खली के निर्यात को मूंगफली के तेल के निर्यात के साथ इसलिये जोड़ा गया है क्योंकि मूंगफली की खली के निर्यात से काफी लाभ होता है और इससे मूंगफली के तेल का निर्यात करने वालों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मूंगफली के तेल का निर्यात करने से होने वाली हानि की पूर्ति हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप १९५९ में मूंगफली का ४१,३८० टन तेल, जिसका मूल्य ५.७ करोड़ रु० था, निर्यात किया गया। अन्यथा यह सम्भव नहीं था।

मकान बनाने के लिये पेशगी

†२२७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय के कितने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये अब तक पेशगी दी जा चुकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा)** : मकान-निर्माण पेशगी नियमों के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय ने मकान बनाने के लिये ३१ जुलाई, १९६० तक अपने तीन कर्मचारियों के लिये पेशगी स्वीकार की थी। दो अन्य आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में शीघ्र ही स्वीकृति दिये जाने की आशा है।

दिल्ली में भूमि का विकास

२२८०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के गृह-निर्माण विभाग ने भूमि के ५०० प्लाटों के विकास के लिये एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सी बस्ती चुनी गई है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने नजफगढ़ रोड (राजौरी गार्डन्स) पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक परियोजना बनाई है, जिससे कम आय वालों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पट्टे पर देने के लिए ६६३ प्लाट तैयार किये जा सकें।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि इस परियोजना की १९६०-६१ के अन्त तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है।

अल्युमिनियम उद्योग

†२२८१. **श्री अ० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की अल्युमिनियम सम्बन्धी आवश्यकता अनुमानतः कितनी होगी;

(ख) देश में अल्युमिनियम का कुल कितना उत्पादन होता है और किस उद्योग द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या देश में अल्युमिनियम के नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन फर्मों को और उनकी उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक देश में प्रति वर्ष अनुमानतः १,५०,००० टन अल्युमिनियम की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) इस समय देश में प्रति वर्ष लगभग १७,५०० टन अल्युमिनियम का उत्पादन होता है, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

		टन
मेसर्स इंडियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता : .		
[अलवाय (केरल) स्थित कारखाने में उत्पादन]	लगभग	५,०००
[हीराकुड (उड़ीसा) स्थित कारखाने में उत्पादन] .	,,	१०,०००
मैसर्स अल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता :		
[आसनसोल) (पश्चिम बंगाल) स्थित कारखाने में उत्पादन]	,,	२,५००
जोड़ . .		१७,५००

(ग) और (घ) —नये कारखाने खोलने अथवा पुराने कारखानों का विस्तार करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत निम्नलिखित लाइसेंस दिये गये हैं :—

नये कारखानों के लाइसेंस	वार्षिक
	टन
(एक) मैसर्स हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, — रिहंद (उत्तर प्रदेश) में कारखाना . . .	२०,०००
(दो) मैसर्स तेन्दूलकर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, को चना क्षेत्र (महाराष्ट्र) में कारखाना . .	२०,०००
(तीन) श्री आर० वेंकटस्वामी नायडू आफ कोयम्बटूर,—सेलम जिला (मद्रास) में मेत्तूर में कारखाना . . .	१०,०००
वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस	
(एक) मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता — हीराकुड स्थित कारखाने का विस्तार . . .	२०,०००
(दो) मैसर्स अल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता—आसनसोल स्थित कारखाने का विस्तार . .	७,५००

†मूल अंग्रेजी में

आमों का निर्यात

†२२८२: **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका, इटली, आस्ट्रिया और जापान द्वारा भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हमारी सरकार ने प्रतिबन्ध को हटाने का यत्न किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और इटली में भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबन्ध है किन्तु आस्ट्रिया में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ख) आयात करने वाले देशों में फलों की मक्खियों के आने के खतरे के कारण ऐसा किया गया है ।

(ग) और (घ) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात

†२२८३. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात की अनुमति देती है;

(ख) इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सहकारी समितियों द्वारा किसी चीज का आयात अथवा निर्यात किया गया है ?

है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) जो कदम उठाये गये हैं उनकी जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

विवरण

जहां तक आयात का सम्बन्ध है , सहकारी समितियों को, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि का ध्यान रखते हुए , आयात व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। सहकारी समितियों को, जिन के सदस्य 'वास्तविक प्रयोक्ता ' हैं और जो चीजों का उत्पादन करते हैं, उन के सदस्यों की 'वास्तविक प्रयोक्ता' के रूप में आवश्यकताओं के लिये निर्यात लाइसेंस बिना किसी रोक टोक के दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में 'वास्तविक प्रयोक्ताओं ' को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, वे सहकारी समितियों को भी दी जाती हैं। ये समितियां

†मूल अंग्रेजी में

अपने सदस्यों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, आयात व्यापार नियंत्रण नीति-पुस्तक (लाल पुस्तक) में निर्देशित विधि के अनुसार समेकित आवेदन-पत्र भेजती हैं। जनवरी—जून १९५६ की लाइसेंसिंग अवधि से एक योजना चालू है जिस के अनुसार उपभोक्ता सहकारी समितियों को, उन के सदस्यों के इस्तेमाल की आवश्यक चीज़ों का आयात करने में सुविधा प्रदान करने के लिये, आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

जहां तक निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है, सहकारी समितियों को आजकल मैंगनीज अयस्क, एच० पी० एस० मूंगफली (गिरी और छिलके सहित), सूखी लाल मिर्च, प्याज और दालें इन पांच चीजों के निर्यात के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

भारी मशीनी औजार निर्माण संयंत्र

†२२८४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीनी औज़ारों की एक नई सूची बढ़ाने के कारण, भारी मशीनी औजार निर्माण संयंत्र की परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट के तैयार होने में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण इस में कितना विलम्ब हुआ है ;

(ग) परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने का काम किसको सौंपा गया था ; और

(घ) क्या परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इस पर विचार कर लिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट ने भारी मशीनी औजार संयंत्र की परियोजना के बारे में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट मार्च, १९६० के अन्त में भारत सरकार के विचारार्थ पेश की थी। इस में ५० किस्म की मशीनों के, जिन में इन मशीनों की १७ विभिन्न मदें शामिल हैं, निर्माण का कार्यक्रम दिया हुआ था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त टैक्निकल विशेषज्ञों की एक समिति ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और चैक विशेषज्ञों की सहमति से ७ किस्म की मशीनें और २२ विभिन्न मदों के उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्य में एक महीने का समय लगा।

इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट को सौंपने का विचार है।

राष्ट्रमंडल के देशों में भारतीय माल पर आयात शुल्क

†२२८५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र मंडल के कितने देशों पर भारतीय माल के आयात पर ब्रिटेन के माल से अधिक आयात-शुल्क लगाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): राष्ट्र मंडल के निम्नलिखित देशों में भारतीय माल पर, कुछ मामलों पर में ब्रिटेन के माल से , उन देशों और ब्रिटेन के बीच प्रशुल्क-अधिमान के विनिमय सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौते के अनुसरण में, अधिक आयात-शुल्क लगाया जाता है :—

१. आस्ट्रेलिया

२. फैडरेशन आफ रोडिशिया और न्यासालैंड

३. पाकिस्तान

४. दक्षिण अफ्रीका ।

खादी हुंडियां

२२८६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राजस्थान में कितनी खादी हुंडियां बेची गई ;

(ख) क्या यह सच है कि कई लोगो ने हजारों रुपये की हुंडियां बेची हैं किन्तु खादी बोर्ड को अब तक कोई सूचना नहीं दी ; और

(ग) यदि हां, तो कितने लोगों ने अभी तक रुपया जमा नहीं किया और प्रत्येक व्यक्ति को कितना पया देना है और उन्होंने किन कारणों से रुपया जमा नहीं कराया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में रु० ३०,५३,८०४ की खादी की हुंडियां बेची गई हैं।

(ख) खादी की हुंडियां केवल डाकघरों और भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड । आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिये बेची गई हैं और इन्हीं पर विभिन्न एजेंसियों और अथवा उन व्यक्तियों से जिनको उन्होंने हुंडियां बेची थीं, उनका रुपया वसूल करने की पूरी जिम्मेदारी थी। खादी हुंडियां भूतपूर्व बोर्ड । आयोग ने सीधे या किसी व्यक्ति के जरिये नहीं बेची हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उल्हास नगर बस्ती में दुकानें

†२२८७. श्री परूलेकर : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पहले यह निश्चय किया था कि महाराष्ट्र के थाना जिले में उल्हास नगर के उन प्लाटों को, जिन पर दुकानें बनायी गई हैं, दुकानदारों को बेच दिया जाय और इस के लिये १९५२ में आवेदन पत्र भी मांगे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुकानों के निर्माण के समय सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की थी और दुकानदारों को ऋण प्राप्त करने के लिये "आपत्ति नहीं" प्रमाण पत्र भी दिये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्लाट न बेचने का निश्चय कब किया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने दुकानदारों को उन के मौजूदा प्लाटों पर बसाने की योजना तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसकी जानकारी दुकानदारों को दी गयी थी ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राज्य सरकार ने प्लाटों को, जिन पर दुकानदारों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, बेचने का कभी निश्चय नहीं किया है था, क्योंकि नगर की वृहद् योजना के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने के लिये इन प्लाटों की आवश्यकता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से लाभ

†२२८८. श्री पडलेकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वर्ष १९५९–६० में कुल कितना वार्षिक लाभ हुआ ; और

(ख) यह लाभ विनियोजित पूंजी का कितने प्रतिशत था ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और ख) कम्पनी अधिनियम की धारा ६३९(१) के अनुसार, सम्बन्धित कम्पनी की साधारण वार्षिक सभा द्वारा हिसाब-किताब स्वीकार किये जाने के पश्चात्, प्रत्येक सरकारी औद्योगिक उपक्रम की वार्षिक लेखा-परीक्षित रिपोर्ट और तलपट, उन पर मन्तव्यों सहित, सभा-पटल पर रखे जाते हैं । कम्पनियों को अपने हिसाब-किताब बन्द करने के पश्चात् वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिये नौ महीने दिये जाते हैं । इसलिए हो सकता है कि सभी उपक्रमों की सामान्य रिपोर्टें १९६० के अन्त से पहले उपलब्ध न हों । । तथापि अगले केन्द्रीय बजट अधिवेशन से पहले, इन में से अधिकांश आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे जिन से यह पता चल सकेगा कि विनियोजित पूंजी पर कितना लाभ हुआ है ।

ब्रिटेन के माल का आयात

†२२८९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसार के कितने देशों में ब्रिटेन के माल के आयात के लिये अधिमान दिया गया है और वह भारत को क्यों नहीं दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : निम्न देश ब्रिटेन के साथ अपने द्विपक्षीय करार के अनुपालन में, कुछ मामलों में ब्रिटेन के माल पर जो प्रशुल्क अधिमान देते हैं, वह भारतीय माल पर नहीं देते :—

१. आस्ट्रेलिया
२. रोडेशिया और न्यासालेंड संघ
३. पाकिस्तान
४. आयर गणतंत्र
५. दक्षिण अफ्रीका

आयात

†२२६०. श्री कालिका सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और मार्च १९६० के त्रिमास में श्रेणीवार कितना माल आयात किया गया और उसकी कितनी लागत थी तथा पूंजी, औद्योगिक तथा उपभोक्ता माल की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में इसके आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) अन्तर का क्या कारण है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) (क) और (ख). पूंजी, औद्योगिक तथा उपभोक्ता माल के अन्तर्गत आयात की लागत तथा १९५७ से १९६० (जनवरी-मार्च १९६०) में उनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) अन्तर का कारण बताने वाला विवरण भी संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ११०]

अखबारी कागज का आयात

†२२६१. श्री कालिका सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ तथा आज तक विदेश से कितना अखबारी कागज मंगवाया गया है ;

(ख) कुल आयात में से कितना अखबारी कागज इन वर्षों में वास्तविक उपभोक्ताओं ने मंगवाया था ;

(ग) क्या बहुत से वास्तविक उपभोक्ताओं ने विधि के विरुद्ध आयात किये गये अखबारी कागज को बेच दिया है ;

(घ) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं ने अखबारी कागज के रील के किनारों समेत अखबारी कागज को रद्दी अखबारी कागज के रूप में बेचने का तरीका निकाल रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के कितने मामले हैं और सरकार ने कानून के उल्लंघन को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५६–५७,१९५७–५८,१९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ (अप्रैल, मई १९६०) में भारत में विदेश में मंगवाये गये अखबारी कागज की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ठ, ३, अनुबन्ध संख्या १११]।

(ख) आयातकों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आयात की सांखियकी पृथक नहीं रखी जाती । इसलिये सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ). कुछ शिकायतें आई हैं कि कुछ वास्तविक उपभोक्ता आयात किया गया अखबारी कागज बेचते हैं। उन की जांच की जा रही है ।

विमान, विमानों के इजन और इंजन के पुर्जे

†२२९२. श्री कालिका सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और आज तक विभिन्न देशों से हमने कितन और कितनी लागत के विमान, विमानों क इंजन और इंजन के पुर्जे खरीदे हैं ;

(ख) इन वर्षों में देश की किन २ इकाइयों ने विमान खरीदे हैं और इकाईवार कितनी २ लागत के ; और

(ग) हमारे देश को ब्रिटेन और अमरीका ने कितने कितने विमान बेचे हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भारत द्वारा खरीदे गये माल संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है । १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ (अप्रैल-मई १९६०) में विमानों, विमानों के इंजनों और उन के पुर्जों के देशवार आयात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२]

(ख) जिन विभिन्न इकाइयों ने विमान खरीदे हैं उन के बारे में भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कुल आयात में ब्रिटेन और अमरीका का अंश दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

टिप्पण. उत्तर में की गई सूचना में भारतीय विमान बल के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये आयात के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

भारत द्वारा गेहूं की सहायता

२२९३. श्री पहाड़िया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने कितने देशों को गेहूं की सहायता दी है ; और

(ख) भारतीय रुपयों में इस सहायता की कीमत क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) : ६५० टन गेहूं का आटा कांगो भेजा गया है । उसका मूल्य है —४,०२,५०० रुपए ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पशमीने का व्यापार

†२२९४. **डा० सामन्तसिंहार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेषकर लद्दाख में पशमीने के व्यापार पर केन्द्रीय एशिया व्यापार मार्ग के बन्द होने के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या भारतीय व्यापारियों को पशमीना देने के लिये कोई और उपाय किया गया है ;

(ग) भारत में प्रति वर्ष कितने पशमीने की जरूरत होती है ;

(घ) क्या भारत में सफ़ेद तिब्बती भेड़ें पालने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस स्थान पर और किस लागत से ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** . (क) जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर पशमीने के व्यापार में किसी बड़े परिवर्तन की सूचना नहीं मिली ।

(ख) से (ङ). जम्मू और काश्मीर सरकार ने राज्य में सफेद तिब्बती भेड़ें पालने की योजना की है । इसके अतिरिक्त और कोई योजना नहीं है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी निवास स्थान का आवंटन

†२२९५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब के कितने मामलों की सूचना सरकार को मिली है, जिससे सरकार को १९५९ और १९६० में किराये की हानि हुई है ;

(ख) क्या इस हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ।

(ग) यदि हां, तो सम्बद्ध पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन मामलों में क्या निगरानी रखी जाती है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १९५९ में ९१, और १९६० में ३१ जुलाई तक ३९ मामलों में, सम्पदाओं के निदेशालय, नई दिल्ली के अधीन क्वार्टरों के आवंटन में, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकार न किये जाने पर जिन्हें वे आवंटित किये गये थे, या उनके खाली होने पर एक सप्ताह से अधिक का विलम्ब हुआ था ।

(ख) तथा (ग). अधिकतर उपरोक्त मामलों में क्वार्टर इस कारण खाली रहे कि या तो वे किसी सार्वजनिक काम के लिये निर्धारित किये गये थे या उनके आवंटन के बारे में फैसला नहीं हुआ था । स्थानीय एक मामले में सम्पदा निदेशालय के एक कर्मचारी की गलती के कारण अनावश्यक विलम्ब हुआ था, और ११ मामलों में क्वार्टर खाली इस कारण रहे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से उनके खाली होने की सूचना देर से प्राप्त हुई । सम्बद्ध व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कार्रवाई चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) (१) खाली होने वाले या आवंटन होने के लिये तैयार क्वार्टरों सम्बन्धी सब सूचनायें एक पृथक रजिस्टर "दैनिक खाली" "डेली वैकेंसी" रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं और सम्बद्ध अधिकारी स्वयं समय पर उनके आवंटन के बारे में ध्यान रखते हैं।

(२) आवंटन के प्रत्येक मामले पर एक स्पष्ट प्राथमिकता चिन्ह दिया होता है ताकि सब स्तरों पर इसका शीघ्रतापूर्वक निपटारा हो सके।

(३) १५ दिन से अधिक समय तक खाली रहने वाले क्वार्टरों सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन सम्पदा निदेशालय द्वारा एकत्रित किये जाते हैं और मंत्रालय उनकी जांच करता है।

(४) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जांच अधिकारियों को प्रति ' दिन सम्पदा निदेशक को मध्याह्न पश्चात् खाली पड़े और आवंटित न हुए क्वार्टरों के बारे में सूचना देनी पड़ती है।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

२२९६. श्री नकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मजदूरों को दो या तीन मास के बाद वेतन मिलता है ;

(ख) इस समय ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं जिनमें गत कई मास से वेतन नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) मजदूरों को समय पर वेतन मिले, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). नहीं। परन्तु कुछ मजदूर ऐसे अवश्य हैं, जो अपना घर का पता दिये बिना काम छोड़ कर चले गये, या वेतन बंटने के दिन अपना वेतन लेने के लिये उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार के मजदूरों की संख्या सुप्राप्य नहीं है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने वेतन बांटने वाले अफसरों को आदेश जारी कर दिये हैं कि वे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अगले महीने की १० तारीख तक कर दिया करें और ऐसे मजदूरों के घर के पते हाजिरी रजिस्टर में लिख लिया करें, जिससे यदि कोई मजदूर बिना वेतन पाये काम छोड़ दें, तो उनका वेतन मनीआर्डर से उनके पास भेजा जा सके। महीने में कुछ दिन ऐसे भी नियत कर दिये गये हैं, जिनमें मजदूर आकर अपनी चालू और पिछली बाकी मजदूरी ले सकते हैं।

छत्तीसगढ़ी बोली में आकाशवाणी के कार्यक्रम

२२९७. **श्री जांगड़े :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के भोपाल, इन्दौर, दिल्ली और नागपुर केन्द्रों से अलग अलग छत्तीसगढ़ी बोली के 'सूआ' 'कर्मा', 'डंडा', 'ढोला', और 'चेनी' गीतों के कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९-६० में इन पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इन केन्द्रों में ति सप्ताह, मास अथवा वर्ष कितने कार्यक्रम रखे जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) १९५९-६० में आकाशवाणी के भोपाल, इन्दौर और नागपुर केन्द्रों से छत्तीसगढी बोली में जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये उनकी संख्या क्रमशः ११६, २ और २७ थीं। दिल्ली केन्द्र से स अवधि में ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया ।

(ख) इस पर हुए व्यय के निश्चित आंकड़ों का हिसाब लगाना मुमकिन नही है क्योंकि यह सम्बन्धित केन्द्रों के सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का एक अभिन्न भाग है।

(ग) आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र से ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ी संगीत सप्ताह में दो बार और छत्तीसगढ़ी कविताएं मास में एक बार प्रसारित की जाती हैं इसके अलावा कुछ रिकार्ड किये हुए विषय भी जो उपयुक्त समझे जाते हैं, सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित किये जाते हैं। छत्तीसगढी क्षेत्र के इन्दौर-भोपाल केन्द्रों के प्रोग्राम ज़ोन में तबदील होने के कारण छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम अब आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं ।

केरल में चमड़े का कारखाना

†२२९८. **श्री कुन्हन** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनियामिकुलम् (केरल) में चमड़े के सामान के लिये विस्तार केन्द्र के दफ्तर की इमारत कब किराये पर ली गई थी और उसका मासिक किराया कितना है ;

(ख) अधिकारी किस तिथि को नियुक्त किया गया था और उसका मासिक वेतन क्या है ;

(ग) चौकीदार किस तारीख से लगाया गया और उसका मासिक वेतन क्या है ;

(घ) १८,२०० रुपये की मशीनें किस तारीख को आईं ; और

(ङ) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि बहुत सी मशीनरी बिना काम में लाये खराब हो गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

वनियामिकुलम् मे चमड़े के माल के लिये विस्तार केन्द्र की इमारत १ नवम्बर, १९५८ को किराये पर ली गई थी और उसका मासिक किराया ८६ रुपया है । अभी तक केन्द्र के लिये कोई अफसर या चौकीदार मंजूर नहीं किया गया। एक जूनियर फील्ड अफसर और एक चौकीदार जूता सेवा केन्द्र, त्रिचूर से अस्थायी रूप में, चल रहे काम का अधीक्षण करने तथा क्रमशः मशीनरी की देखभाल करने के लिये, इस केन्द्र में भेज दिये गये हैं। जूनियर फील्ड अफसर का वेतन क्रम २५०—५०० रुपये और चौकीदार का ३०—½—३५ रुपये है । केन्द्र के लिये मशीनरी १९५७-५८ और १९५८-५९ में प्राप्त की गई थी । यह मशीनरी अच्छी हालत में रखी हुई है और खराब नहीं हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

विजयवाड़ा में प्रसारण स्टूडियो

†२२९९. कुमारी मं० वेदकुमारी : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाडा में पुराने प्रसारण स्टुडियो के स्थान पर नया स्टुडियो लगाने के बारे में कोई फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). वर्तमान इमारत और स्थान को अधिग्रहण करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बातचीत हो रही है । जगह अधिग्रहण होने के पश्चात् वर्तमान स्टुडियो में सुधार करने का विचार किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों का प्रशिक्षण

२३००. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगत हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्तियों को चमड़े, लोहे, लकड़ी और कपड़ा सीने के उद्योगों में प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति प्रशासन के अधीन काम करके, गैर-सरकारी तौर पर काम करके, आजीविका कमा रहे हैं और कितने बेरोजगार हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिये कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है ।

विवरण

उद्योग	पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशासन के अधीन तथा गैर-सरकारी तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या (क)	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (ख)	बेरोजगारों के लिये योजना (ग)
१	२	३	४	५
चमड़ा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
लोहा	२२१	२११	१०	
लकड़ी	१०२	९०	१२	
दर्जीगिरी	१८७	१६३	२४	

(क) ये आंकड़े कालम संख्या (२) और (४) के आंकड़ों के अन्तर बताते हैं।

सरकारी नौकरी तथा गैर-सरकारी तौर पर रोजगार में लगे व्यक्तियों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ये आंकड़े काम दिलाउ दफ्तरों के रजिस्टर के अनुसार हैं ।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के पास से इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं प्राप्त हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

फरीदाबाद के समीप नया उपनगर

†२३०१. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों को जगह देने के लिये फरीदाबाद के पास एक नया उपनगर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या ब्योरा है ;

(ग) नये उपनगर में निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

(घ) नया उप नगर कब पूर्ण हो जाने की आशा है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कौन से दफ्तरों को नये उपनर में ले जाने का प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार के एक या अधिक दफ्तर ले जाने की संभवता पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

†२३०२. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ की तुलना में १९५९ में हथकरघा कपड़े का निर्यात बढ़ा है ;

(ख) १९५९ में कितना निर्यात हुआ है ;

(ग) क्या पुरानी मंडियों में निर्यात बढ़ा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) १९६० के लिये निर्यात का क्या अनुमान है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां । १९५८ में ६६० लाख रुपये के मूल्य का ३५६ लाख गज हथकरघा कपड़ा निर्यात किया गया था जब कि १९५८ में ५२३.५० लाख रुपये के मूल्य का ३५१.६० लाख गज़ कपड़े का निर्यात हुआ था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अंशतः इस कारण कि कुछ विदेशी सरकारों ने हथकरघा कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और अंशतः इस कारण कि जापान से प्रतियोगिता होती है ।

(ङ) अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता । तथापि १९६० वर्ष के ५०० लाख गज के लक्ष्य में से वर्ष के पहिले चार महीनों में १०० लाख गज का निर्यात किया जा चुका है और साधारणतया वर्ष के अन्तिम भाग में निर्यात अधिक होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गिण्डी (मद्रास) में औद्योगिक बस्ती

†२३०३. **श्री स० र० अरतुगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक गिण्डी (मद्रास) में औद्योगिक बस्ती ने कितने मूल्य का सामान तैयार किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक गिण्डी (मद्रास) की औद्योगिक बस्ती ने लगभग २४४ लाख रुपये का माल तैयार किया है ।

श्रमिक सहकारी समितियां

२३०४. **श्री जांगड़े :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने श्रमिक सहकारी समितियों को मान्यता देने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी राशि नियत की है और इस प्रयोजन के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये जाने वाले उपबन्धों की रूपरेखा क्या है ;

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में कितनी श्रमिक सहकारी समितियां हैं और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कितना अनुदान दिया है ; गौर

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में मध्य प्रदेश में चावल, आटा और चीनी आदि के कितने कारखाने सहकारिता के आधार पर खोले जायेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश की पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन श्रम सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के लिये एक लाख रुपये की रकम नियत की थी । तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितनी रकम नियत की गई है, इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) और (ग). सूचना प्राप्त नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानि की निदेशालय[1]

†२३०५. { **श्री मनियंगाडनि :**
श्री राम गरीब : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० पी० डब्ल्यू० डी० के औद्यानि की निदेशालय में कितने ओवरसीयरों को अप्रैल, १९५९ से सहायक निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) क्या इस विषय का विनियमन करने के कुछ नियम हैं और क्या अप्रैल, १९५९ से सब पदोन्नतियों के मामले में उन नियमों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने मामलों में और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह शिकायत हुई है कि पदोन्नति के लिये जो लोग योग्य नहीं थे उन्हें योग्य व्यक्तियों के दावों की परवा न करते हुए पदोन्नत किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticultural Directorate.

(ङ) यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**निर्माण, आवास और सभरण उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा)** : (क) तीन ।

(ख) तथा (ग) . जी, हां । भर्ती के नियम मई १९६० में बनाये गये थे । इससे पहले की पदोन्नतियां तदर्थ आकार पर की गई थीं ।

(घ) एक व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे सितम्बर, १९५८ में तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया ।

(ङ) अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

भारत और पाकिस्तान में निष्क्रांत सम्पत्ति

†२३०६. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों के पास (१) पाकिस्तान से भारत में निष्क्रांत लोगों की पाकिस्तान में, और (२) भारत से पाकिस्तान में निष्क्रांत लोगों की भारत में, कितनी राशि पड़ी है ;

(ख) क्या पाकिस्तानी दावेदारों के दावों से भारतीय दावेदारों के दावों का भुगनान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) मामले को निपटाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है और इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) पाकिस्तान में सरकारी विभागों द्वारा विस्थापित लोगों को देय कुल राशि तथा भारत में सरकारी विभागों द्वारा निष्क्रातों को देय राशि सम्बन्धी सही सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है । इस सूचना को एकत्र करने में जितना समय और धन खर्च होगा वह इससे प्राप्त होने वाले परिणाम से कहीं अधिक होगा ।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं । परन्तु सरकार इस बात का विचार कर रही है कि क्या पाकिस्तान द्वारा जब तक दावों का सत्यापन नहीं किया जाता, दावे को प्रमाणित करने के लिये जहां संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध हों ऐसे कुछ मामलों में अन्तरिम भुगतान कर दिया जाए ।

त्रिपुरा में औद्योगिक प्रशिक्षण

†२३०७. { **श्री दशरथ देव** :
श्री हाल्दर :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के कितने लड़कों और लड़कियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितने लड़के और लड़कियां दूसरी पंच वर्षीय योजना में स्थानीय विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम पर लगाई गईं; और

(ग) प्रशिक्षण तथा रोजगार की अधिक सुविधाएं देने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अनुसूचित जातियां —४६

अनुसूचित आदिम जातियां -- सूचना उपलब्ध नहीं

पिछड़ी श्रेणियां — ४९

(ख) अनुसूचित जातियां -- ५

अनुसूचित आदिम जातियां --सूचना उपलब्ध नहीं ।

पिछड़ी श्रेणियां -- ३

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनुसूचित जायतियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कुछ प्रतिशत स्थान रक्षित होते हैं। उन विद्यार्थियों को अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अनुदान और ऋण भी दिये जाते हैं ताकि वे अपने धन्धे चला सकें।

त्रिपुरा की सहकारी समितियां

†२३०८. { **श्री दशरथ देव :**
श्री हाल्दर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में सहकारी समितियों को कुल कितना अनुदान और ऋण दिया गया तथा १९५९ तक उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त सहकारी समितियों में कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, तथा १९५९ तक विभिन्न योजनाओं में उनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई ;

(ग) कितनी सहकारी समितियां, लाभ या हानि या लागत के आधार पर चलीं: और

(घ) इनमें से कुछ सहकारी समितियों को घाटे पर क्यों चलाया जा रहा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: सहकारी समितियों को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। सहकारी समितियों को कुल २६.५८ लाख रुपये का अनुदान दिया गया इसके योजनावार आकड़े इस प्रकार हैं :

	रुपये (लाख)
धान की भूसी निकालना	१३
घानी योजना .	५
बीड़ी बनाने की योजना	.९१
बुनाई	३.०६
आरा मिलें .	.८९
मेज कुर्सी बनाना	.९२
विविध योजनायें	२.८०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन सहकारी समितियों में कुल २४१४ व्यक्ति नियुक्त हैं। योजनावार उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

धान की भूसी निकालना	१३३३
घानी योजना	३२
बीड़ी बनाने की योजना . . .	२७५
बुनाई .	५३१
आरा मिलें . .	२०
मेज कुर्सी बनाना	२७
विविध योजनायें . . .	१९६
	२४१४

(ग) और (घ). सहकारी समितियों के हिसाब किताब की जांच की जा रही हैं। लेखा परीक्षा हो जाने के पूर्व यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी सहकारी समिति लाभ पर चल रही है और कौन सी घाटे पर।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का परित्याग

†२३०६ { **श्री दशरथ देव :**
श्री हाल्दर :

क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शरणार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने आद्य रूप और भूमि खरीद योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा के बेलोनिया, सबरूम, सदर और खवाई में स्थापित बस्तियों का परित्याग कर दिया है ;

(ख) उन बस्तियों को छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में बस्तियों का इस प्रकार परित्याग न किया जाये इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) ४५९२ विस्थापित परिवारों में से ७२४ परिवार छोड़ कर चले गये हैं।

(ख) बस्तियों को परित्याग करने का कारण यह था कि वे परिवार उसी स्थान पर जम गये थे जहां उन्हें सिविरों में शरण दी गई थी। पुनर्वास ऋण मिलने के पश्चात् वह अपने पहिले स्थानों को लौट आये हैं।

(ग) लोगों को बस्तियों का इस प्रकार परित्याग करने से रोका नहीं जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

रेशम उद्योग

†२३१०. **श्री यादव नारायाण जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेशम बुनवाई और रेशम लपेटने के उद्योग के सम्बन्ध में जांच सामान नियुक्त करने का विचार कर रही है ;

(ख) उक्त उद्योगों के केन्द्र कहां कहां हैं ;

(ग) इस उद्योग में श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त उद्योगों के श्रमिकों ने सरकार से जांच समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: जी नहीं।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११३**]

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिलमें

†२३११. **श्री तंगामिण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें बताया गया हो कि १९५९ में भाषावार कितने प्रलेख चित्र निर्मित हुए और केन्द्रीय विवाचन बोर्ड द्वारा प्रामाणित किये गये; तथा यह बतायेंगे कि :

(क) क्या तमिल भाषा में निर्मित प्रलेख चित्रों की भाषा में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तामिल भाषा की फिल्मों को क्या विशेष सहायता दी गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: १९५२ के चलचित्र अधिनियम के अधीन १९५९ में भारत में निर्मित और फिल्म विवाचन बोर्ड द्वारा प्रामाणित प्रलेख चित्रों के भाषा-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :

१	आसामी	५
२	बंगाली	३९
३	अंग्रेजी	१
४	हिन्दी	१२१
५	कन्नड़	५
६	मलयालम	३
७	मराठी	१०
८	उड़िया	२
९	पंजाबी	१
१०	तामिल	७९
११	तैलुर	४६

†मूल अंग्रेजी में

(क) जी हां, १९५७ में इनकी संख्या केवल ४६ थी ।

(ख) सरकार फिल्म निर्माण के लिये फिल्म उद्योग को केवल चलचित्र वित्त निगम द्वारा ही सहायता देती है, इसकी स्थापना भी अभी हाल की गई है, इस प्रकार तमिल फिल्म उद्योग को कोई सहायता नहीं दी गई ।

फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में

†२३१२. **श्री तंगामणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९ के दौरान भारतीय फिल्में विभिन्न फिल्म समारोहों में दिखाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों, चित्रों व उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे प्रदर्शित की गईं ; और

(ग) हमारी फिल्मों को कौन-कौन से पुरस्कार मिले ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]

नगरपालिका कर्मचारियों के लिये मकान

२३१३. **श्री बाल्मीकी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरपालिका कर्मचारियों को, विशेषकर भंगियों को मकान देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य ने उक्त धनराशि में से कितना धन व्यय किया है ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है और कितने मकान बनाये गये हैं ;

(घ) क्या सभी राज्यों में एक सी सन्तोषजनक प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ङ). तक : राज्यों को नगरपालिका-कर्मचारियों के आवास के लिए अलग से धनराशि का विनिधान (एलोकेशन) नहीं किया जाता । परन्तु राज्य सरकारें चाहें तो वे केन्द्र से प्राप्त सहायता का उपयोग 'कम आय वालों के लिये आवास योजना' के अन्तर्गत इन व्यक्तियों के आवास के लिए कर सकती हैं । २५ जुलाई १९६० से राज्य सरकारें अपने विनिधानों का ७॥ प्रतिशत तक इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को ऋण देने के लिए उपयोग कर सकती हैं, जिससे वे स्थानीय निकाय अपने कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये, विशेष रूप से भंगियों और डोमों के लिये मकान बनवा सकें । वे इन निकायों को गृह मंत्रालय की "अनुसूचित जातियों की जीवन-निर्वाह की दशाओं को सुधारने की योजना' के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने के हेतु सहायता दे सकती हैं । इसके अतिरिक्त, 'गन्दी बस्ती सफाई योजना' के अन्तर्गत सफाई

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए चुनी गई गन्दी बस्तियों में रहने वाले कम वेतन वाले नगरपालिका कर्मचारी गन्दी बस्तियों के अन्य निवासियों के साथ साथ नये मकानों की सुविधा पाने के पात्र हैं। राज्यों द्वारा नगरपालिका-कर्मचारियों के आवास पर व्यय की गई धन राशियों और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में दित्ता (डैटा) सुप्राप्य नहीं है।

फिल्म निर्माता

†२३१४. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि देश के कई फिल्म निर्माता और वितरक विदेशों को जाकर वहां के फिल्म निर्माता और वितरकों से व्यवसायिक समझौते कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार को ऐसे सौदों का पता है और क्या उनके निश्चित हो जाने से पूर्व सरकार की स्वीकृत ले ली गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). फिल्म निर्माता और वितरक किसी अन्य यात्री की तरह, विदेशों में जाने और वहां के वितरकों और निर्माताओं से व्यापार करने को तब तक स्वतंत्र हैं, जब तक कि वे भारत तथा उन देशों के सामान्य विनियमनों का उल्लंघन नहीं करते हैं। सरकार को उन सौदों की कोई जानकारी नहीं रहती है, ऐसे सौदों के लिये सरकार की स्वीकृति की तभी आवश्यकता रहती है जब कि विधि के अधीन ऐसा करना अनिवार्य हो।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी विभाग

†२३१५. **श्री रामगरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी विभाग के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र दूसरे विभागों या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिये प्रेषित नहीं किये जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे अर्हता प्राप्त व्यक्ति, जिनके आवेदन पत्रों को बाहर नहीं भेजा जाता है, उन्हें उद्यान विभाग में उन्हीं पदों में स्थान दे दिया जाता है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या औद्यानिकी विभाग में प्रार्थना पत्रों को भेजने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उल्लिखित नियमों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ग). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान निदेशालय के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र विभाग द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार भेजे जाते हैं। ये नियम गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर बनाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पात्रता के लिये निश्चित मानदंड के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के मामलों पर भी पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग क औद्यानिकी निदेशालय में विभागीय परीक्षायें

†२३१६. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी निदेशालय में ऊंचे पदों को भरने के लिये विभागीय परीक्षा लेती है, यदि हां तो ये पद क्या है ;

(ख) परीक्षा में शामिल होने के लिये उम्मीदवारों क लिये क्या शैक्षणिक अर्हता निश्चित की गई है, और

(ग) यह विभागीय परीक्षा पदोन्नति के प्रयोजनों के लिये बी० एस० सी० (कृषि) के समकक्ष समझी जाती हैं या एम० एस० सी० (कृषि) के ; और

(घ) निदेशालय द्वारा संचालित यह विभागीय परीक्षा किस प्रकार की होती है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) उद्यान निदेशालय में ऊंचे पदों को भरने के लिये कोई परीक्षा विहित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रबन्ध अभिकरण

†२३१७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५६ में उद्योगवार कुल कितने प्रबन्ध अभिकरण थे ;

(ख) उद्योग-वार कितने अभिकरणों ने पुनर्नवीकरण के लिये आवेदन किया ;

(ग) कितनों को पुनर्नवीकरण की अनुमति दी गई ;

(घ) उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) उनमें क्या परिवर्तन किय गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस सम्बन्ध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस समय आंकड़ें एकत्र करने में काफी श्रम और समय लगेगा जो उससे निकलने वाले नतीजों को देखते हुये उचित नहीं होगा । "मैनेजिंग एजेंसीज इन इण्डिया-फर्स्ट राउण्ड : बेसिक फैक्ट्स" के पृष्ठ ३५ से ३९ में दिये गये विवरण संख्या ९ में, १९५४-५५ वर्ष के कुछ आंकड़े दिये गये हैं । यह प्रकाशन कुछ वर्ष पूर्व समवाय विधि प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था । इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (ङ). संगत जानकारी एकत्र की जा रही है। सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायगा।

मद्रास राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति

†२३१८. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने, मद्रास राज्य हथ करघा बुनकर सहकारी समिति की रजत जयंती के अवसर पर होने वाले हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर विशेष रियायत करने के लिये, उपकर निधि से कुछ सहायता राशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, कितनी राशि मांगी गई और स्वीकार की गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने १,८०,००० रुपय का अनुदान देने को कहा था। केन्द्रीय सरकार ने अभी कोई राशि मंजूर नहीं की है।

नमक का आयात

२३१९. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौरी नमक (सेंधा नमक) भारतीय पर्वतों से उपलब्ध नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पाकिस्तान से इसका आयात करने की योजना बनाने का विचार है ताकि यह उपयोगी नमक बाजार में उचित मूल्य पर मिल सके ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि अनेक व्यक्ति (नगर क्षेत्रों में) इसे कुछ अधिक मूल्य दे कर भी नैपाल से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि यह धार्मिक व्रतों में प्रयोग होता है; और

(घ) क्या सरकार का नेपाल से इस के आयात का प्रबन्ध करन का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लाहौरी नमक (सैंधा नमक) की कुछ खाने मण्डी में मौजूद हैं लेकिन वह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है।

(ख) पाकिस्तान के साथ हाल में जो ब्यापार करार किया गया है उसमें विशेष प्रबन्ध के अन्तर्गत वहां से सैंधा नमक का आयात करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

कास्टिक सोडा और उर्वरकों का उत्पादन

†२३२०. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिण्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी फर्मों ने भारत की सरकार से उड़ीसा के कोरापट जिल में कास्टिक सोडा और उर्वरक के कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस की मांग की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या अनुज्ञप्तियां प्रदान कर दी गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दो फर्मों ने (१) जे० के० एजेन्टस् प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता और (२) मैसर्स केरलवल बुलन एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १६५१ के अधीन क्रमशः (१) कास्टिक सोडा और तरल क्लोरीन तथा (२) संश्लेषिट उर्वरकों (नाइट्रोफास्फेट) के निर्माण के लिये लायसेंसों का आवेदन किया है ;

(ग) आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

प्रति व्यक्ति आय

†२३२१. { **श्री हेम राज :**
श्री नरसिंहन् :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संघ के विविध राज्यों में पहिली और दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय निश्चित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जानकारी देने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने अभी विभिन्न राज्यो की प्रति व्यक्ति आय का हिसाब नहीं लगाया है। कुछ राज्यों के सांख्यकीय ब्यूरो ने अपने क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय का हिसाब लगाया है और उन्हें अपने सांख्यकीय प्रकाशनों में प्रकाशित भी किया है। तथापि उन आंकड़ों की राज्यों तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के अनुमानित आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आकाशवाणी के कर्मचारी

†२३२२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पति-पत्नी दोनों आकाशवाणी में काम करते हैं तो भी उन्हें एक स्थान पर नहीं रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इससे कर्मचारियों के परिवार तथा बच्चों को काफी परेशानी होती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क), (ग) और (घ). आकाश वाणी की सेवाओं में किसी अन्य ऐसे विभाग की तरह, जिसकी शाखायें समस्त भारत में फैली हुई हो, देश में किसी भी स्थान में सेवा करने की शर्त होती है। यदि आवश्यकता को देखते हुये विना अनुशासन भंग किये हुये पति और पत्नी दोनों एक ही स्थान पर रह सकते हैं तो उन्हें एक ही स्थान पर काम करने की अनुमति दे दी जाती है। परेशानी के जो मामले सरकार के सम्मुख रखे जाते हैं उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। तथापि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो एक स्थान पर काम करते हुये शादी कर लेते हैं उन्हें यह चेतावनी दे दी जाती है कि वे भविष्य में साथ साथ नहीं भी रह सकते हैं। जिसके कि वे बाद में शिकायत न कर सकें।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

†२३२३. { **श्री बि० दास गुप्त** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक पश्चिम बंगाल के कितने राजनैतिक पीड़ितों ने पुनर्वास मंत्रालय से पुनर्वास सहायता के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया और कितनों को अस्वीकृत किया गया ;

(ग) अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों को अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हो चुका है, और कुल कितनी राशि दी जा चुकी है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि दी गई ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). एक विवरण सभां-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अगस्त, १९६० तक, पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये १७३२ विस्थापित राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से ९९६ प्रार्थना पत्रों की जांच हो चुकी है, और ४४८ मामलों में आवश्यक सहायता/पुनर्वास सहायता प्राप्त हो चुकी है। ३६१ आवेदकों से पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होने का प्रमाण देने को कहा गया है, जो लोग आवश्यक प्रमाण देंगे उनको सहायता देने पर विचार किया जायेगा। १८७ अर्जियां खारिज की जा चुकी हैं।

४४८ स्वीकृत मामलों में ७.२८ लाख रुपयों की आर्थिक सहायता दी गई। ये मामलें उनके आवेदन पत्रों में उनके राजनैतिक पीड़ित होने तथा तत्संबंधी अन्य लिखित तथ्यों के प्रमाणीकरण के पश्चात्, सहायता की राशि देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के सुपुर्द कर दिये गये हैं

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकृत योजनाओं की राशि मंत्रालय देती है। उक्त ४४८ मामलों के लिये ७.२८ लाख रुपये उन्हें दिये जा चुके हैं। जैसे जैसे अन्य मामले मंजूर किये जाते रहेंगे, अतिरिक्त राशि उन्हें दी जाती रहेगी।

अवशेष ७३६ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

मध्य प्रदेश में बेकार व्यक्ति

†२३२४. **श्री रा० च० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में १९५९–६० में कितने व्यक्तियों ने रोजगार दफ्तरों में अपना नाम पंजीयित करवाया ;

(ख) उस अवधि के दौरान कितने स्नातक, इन्टर पास व्यक्ति तथा मैट्रिक पास व्यक्ति बेकार रहे; और

(ग) ऐसे पंजीयित बेकारों की क्या संख्या है, जिन्हें रोजगार दिया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १,३६,४८३

(ख)

वर्ग	१९५९–६० में पंजीयित हुये व्यक्तियों की संख्या
स्नातक	२३५१
इन्टर पास व्यक्ति	३२७५
मैट्रिक पास व्यक्ति	२२,६३४
योग	२८,२६०

(ग) १९५९–६० के दौरान १८,५३६।

मंडी की सेंधा नमक की खानें

†२३२५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंडी की सेंधा नमक की खानों से मशीन से नमक निकालने में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) जोगेन्द्रनगर में नमक तैयार करने का कारखाना कब तक लग जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)**: (क) २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर में बताई गई स्थिति में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) जोगेन्द्र नगर में नमक तैयार करने की मशीनें लगाने के बारे में 'ड्राई माइनिंग' द्वारा खानों का विकास पूर्ण हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा। इस काम में कितना समय लगेगा यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

† मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कर्मचारियों के लिये पुस्तकालय

२३२९. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये एक पुस्तकालय है ;

(ख) क्या उक्त पुस्तकालय का अपना कोई स्थान नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में इस बारे में प्रबन्ध करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) गत तीन वर्षों में उक्त पुस्तकालय से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष पुस्तकें खरीदने पर कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) पुस्तकालय ब्राडकास्टिंग हाउस के एक कमरे में है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) औसतन ५०० ने पुस्तकें ली । जिन अधिकारियों ने पुस्तकालय में पढ़ कर किताबों का उपयोग किया उनकी संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ङ) पुस्तकें खरीदने पर जो खर्च हुआ वह इस प्रकार है :—

	रुपये नये पैसे
(१) १९५७–५८	४२५.३९
(२) १९५८–५९	१३४८.२०
(३) १९५९–६०	८७९.७३

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी संस्थायें

†**२३३०. श्री रामजी वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९ से अब तक दिल्ली में कौन-कौन सी गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें पंजीबद्ध हुई हैं ;

(ख) उनकी जमीन कहां पर है तथा उस जमीन का क्या क्षेत्रफल है ;

(ग) इस जमीन का अर्जन या क्रय किस वर्ष किया गया, और

(घ) ये जमीनें किस-किस ने दी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी दिल्ली प्रशासन से मंगाई जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग

†२३३१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७०-ख के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में जांच कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार पत्र कौन कौन से हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामले की अभी जांच की जा रही है ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के संधारण नियम

२३३२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के संधारण नियम निश्चित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके कब तक निश्चित हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) अगले साल के शुरू में ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) में भरती

२३३३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) में विभिन्न पदक्रमों (ग्रेड्स) के कितने पद भरती के दूसरे क्षेत्र से भरे गए ;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकरियों के अतिरिक्त ऐसे कितने पदाधिकारी राज्यवार भरती किए गए ;

(ग) विदेशों में प्रत्येक भारतीय मिशन (दूतावास) में कितने पदाधिकारी स्थानीय रूप से भरती किए गए ; और

(घ) उनके चुनाव की कसौटी क्या थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क)

पदक्रम (ग्रेड) १	१०
पदक्रम (ग्रेड) २	१६
पदक्रम (ग्रेड) ४	१२५
आशुलिपिक (उप-वर्ग)	
पदक्रम (ग्रेड) २	५७

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

आंध्र प्रदेश	१२
असम	३
बिहार	८८
बम्बई	७
दिल्ली	२
हिमाचल प्रदेश	३
केरल	८
मद्रास	१६
मध्य प्रदेश	५
मणिपुर	१
मैसूर	६
पंजाब	१७
पांडिचेरी	३
त्रिपुरा	३
उत्तर प्रदेश	२३
पश्चिम बंगाल	७

(ग)

लंदन	१२
गंगतोक	३
ग्यांत्से	२
काठमांडू	२
सिंगापुर	२
कुआला लम्पुर	३
रंगून	१०
रोम	१
तेहरान	१
नैरोबी	२
कोलम्बो	६
कराची	२
ढाका	१४
जेद्दा	१

(घ) सेवा की प्रारंभिक रचना से संबद्ध ज्ञापन में जो व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उनके अनुसार चुनाव बोर्डों ने संघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की सलाह-मश्विरे से चुनाव किए थे ।

छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारी

†२३३४. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७०-घ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संविहित और अर्द्ध सरकारी संगठनों में कुल कितने व्यक्तियों को लगाया गया है और इन संगठनों के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कर्मचारियों की १ मार्च, १९६० को अथवा उससे पहले छंटनी की गई थी उन्हें अब तक अर्द्ध सरकारी अथवा संविहित संगठनों में नहीं लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) छंटनी किये गये दस सरकारी कर्मचारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून, में लगाये गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 'स्पेशल सैल' में पंजीबद्ध ८९८ छंटनी किये गये कर्मचारियों में से २५ को छोड़ कर अन्य सभी को सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं।

छंटनी में निकाले गये कर्मचारी

†२३३५. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन और नगर आयोजन संगठन के कितने छंटनी किये गये लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफरों के नाम पुनस्संस्थापन तथा रोजगार महानिदेशालय में ३१ अगस्त, १९६० तक श्रेणीवार पंजीबद्ध थे ;

(ख) पुनस्संस्थापन तथा रोजगार महानिदेशालय में १ मार्च, १९६० अथवा उससे पहले से कितने व्यक्ति (श्रेणीवार) पंजीबद्ध हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पुनस्संस्थापन तथा रोजगार महानिदेशालय में १ मार्च, १९६० से पंजीबद्ध उपरिलिखित वर्ग के बहुत से कर्मचारियों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है;

(घ) यदि नहीं, तो ३१ अगस्त, १९६० तक कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियां दिला दी गई हैं ;

(ङ) शेष कर्मचारियों को रोजगार दिलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) कितने समय में इनको रोजगार दिला दिये जाने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन और नगर आयोजन संगठन के कर्मचारियों के बारे में वर्गवार सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गई है। पुनर्वास मंत्रालय के बारे में श्रेणीवार आंकड़े मालूम न होने के कारण ऐसे कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

	एल० डी० सी०	यू० डी० सी०	स्टैनो०
(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	४८	३८	७
नगर आयोजन संगठन	६	—	१
			तीसरी श्रेणी
पुनर्वास मंत्रालय . . .			१३१६

	एल० डी० सी०	यू० डी० सी०	स्टैनो०
(ख) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	४८	३८	७
नगर आयोजन संगठन	६	—	१
			तीसरी श्रेणी
पुनर्वास मंत्रालय			३०९

(ग) जी नहीं ।

	एल० डी० सी०	यू० डी० सी०	स्टैनो०
(घ) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	४८	३८	७
नगर आयोजन संगठन	५	—	१
			तीसरी श्रेणी
पुनर्वास मंत्रालय . .			७३९

(ङ) उपयुक्त रिक्त स्थानों की कमी ।

(च) यह बताना संभव नहीं है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सेवानिवृत पदाधिकारी

†२३३६. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कुछ सेवानिवृत्त पदाधिकारी वाणिज्यिक फर्मों में नियुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० में कितने सेवा निवृत्त हुये और कितने वाणिज्यिक फर्मों में नियुक्त हुये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयात तथा निर्यात मंत्रणा परिषदें

†२३३७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात मंत्रणा परिषदों की बैठक अगस्त १९६० में हुई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कार्यसूची क्या थी ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक की कार्य सूची में प्रधान का समारम्भ भाषण, आयात तथा निर्यात नीति पर चर्चा और आगामी लाइसेंसिंग अवधि के लिये नीति का विशेष निर्देश करते हुये, लाइसेंसिंग प्रक्रिया आदि विषय शामिल थे ।

(ग) इन परिषदों का काम केवल सलाह देना है और इसीलिये इनकी बैठकों में कोई निर्णय नहीं किये गये थे ।

दण्डकारण्य में कुटीर उद्योग

†२३३८. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की बहुत योजनायें चालू की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुटीर उद्योगों की क्या श्रणियां हैं ;

(ग) क्या इन योजनाओं से अनुसूचित आदिम जातियों को लाभ होगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). जी हां । कई योजनायें स्वीकार की गई हैं । माननीय संसद सदस्यों का ध्यान इस संबंध में दण्डकारण्य प्रगति प्रतिवदन की ओर आकर्षित कराया जाता है जो १० अगस्त, १९६० को परिचालित किया गया था ।

(ग) और (घ). अभी यह बताना कठिन है क्योंकि योजनायें अभी आरम्भ की गई हैं ।

काली मिर्च का निर्यात

†२३३९. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ वर्ष से अब तक प्रत्येक महीने में भारत के प्रत्येक बन्दरगाह से कितनी काली मिर्च का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : प्रत्येक बन्दरगाह के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जनवरी १९५७ से अब तक प्रत्येक महीने के तथा प्रत्येक बन्दरगाह के आंकड़े इकट्ठे करने में जो समय तथा श्रम लगेगा उससे परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे । माननीय सदस्य कृपया भारत में विदेशी व्यापार की 'मासिक सांख्यकी' नामक प्रकाशन की प्रतियां देखें जिनमें उन्हें विशिष्ट जानकारी मिल सकेगी ।

हिमाचल प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन अधिनियम

†२३४०. **श्री रामम** : क्या **योजना** मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की मान्यता के विरोध में दी गई लेख याचिका उच्चतम न्यायालय में किस प्रक्रम पर लम्बित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : उच्चतम न्यायालय में अधिनियम की मान्यता को स्वीकार कर लिया है ।

भारत सेवक समाज

†**२३४१. श्री रामम्** : क्या योजना मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सेवक समाज से जम्मू तथा काश्मीर में लोक कार्य क्षेत्र के कार्यवहन के बारे में प्रतिवेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० में उसके द्वारा किये गये काम का क्या व्यौरा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में तीन क्षेत्र हैं । माढ़ (जिला जम्मू) हंडवाड़ा और कुलगाम (उतरी काश्मोर) । १९५९-६० में पूरे वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में तीन पूर्णकालिक कर्मचारियों—एक सहयोगी तथा दो उप-सहयोगी—ने काम किया था ।

प्रारम्भिक कार्य :

कर्मचारियों ने ३६२ गांवों का दौरा किया और इन गांवों में बहुत काम किया । ७४ सार्वजनिक सभायें, ८३ समुदाय सभायें तथा ५९ कर्मचारियों की बैठकें वहां पर हुईं । इन बैठकों में उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की :—

१. सफाई ।

२. सड़क निर्माण ।

३. सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण ।

४. स्कूल के भवनों का निर्माण, खाद के गढ़ों की खुदाई तथा सिंचाई की नालियों की खुदाई ।

५. राष्ट्रीय एकता ।

६. ग्राम्य विकास योजनाओं का बनाना ।

सामाजिक उत्थान :

५७ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे कथा, कवि सम्मेलन या मुशायरा, सामूहिक नृत्य अथवा गान, नाटक, तथा फिल्में दिखाना । सामाजिक सदाचार, दहेज विरोध, आदि कसमें लगभग १००० व्यक्तियों ने खाईं । भारत के सभी नर और नारियों के लिए प्रधान मंत्री द्वारा जारी की गई पन्द्रह बातों की अपील का प्रचार करने के लिये ४५ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमदान :

छोटे छोटे कामों के लिए श्रमदान का प्रबन्ध करने के साथ साथ निम्नलिखित कामों के लिए बड़े पैमाने पर श्रमदान किए गए :—

(क) गांव की सड़कों का निर्माण ।

(ख) पाखानों, गलियों तथा सड़कों की सफाई ।

(ग) सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण ।

(घ) कूवों तथा नहरों की सफाई ।

(ङ) नालियों का निर्माण ।

पंचायतों तथा सहकारी समितियों से सहयोग :

भारत सेवक समाज के कर्मचारियों ने उस क्षेत्र की पंचायतों तथा सहकारी समितियों के सहयोग से काम किया । गांव की इन संस्थाओं को सक्रिय बनाने के प्रयत्न किए गए । अच्छे बीज के वितरण के लिए सहायता दी गई । निजी प्रयत्नों से एक लड़कियों का स्कूल आरंभ किया गया ।

मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स

†२३४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स' ने 'टाटा', 'अशोक मोटर्स' तथा 'प्रीमियर आटोमोबाइल्स' के निर्माण लक्ष्यों के समान अपने निर्माण लक्ष्यों को लगभग पूरा कर लिया है ; और

(ख) भारत में निर्मित कुल कारों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा निर्मित कारों की क्या प्रतिशतता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) 'मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स' तथा 'मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स' को यात्री कार तथा वाणिज्यिक गाड़ियों दोनों के निर्माण के लाइसेंस दिए गए हैं ; परन्तु अन्य दोनों फर्मों, यथा, 'टेल्को' और 'अशोक लेलैंड' को केवल दो प्रकार की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लाइसेंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनकी लाइसेंस की क्षमता में भी अन्तर है । इसलिए दोनों में तुलना करना ठीक नहीं है । परन्तु फिर भी १९६० के पूर्वार्द्ध के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

फर्म का नाम	जनवरी—जून १९६० में उत्पादन	
	कार	वाणिज्यिक गाड़ियां
१. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	४३९२	३८०७
२. मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड .	३२१०	३२५८
३. मैसर्स टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड . . .	—	४३४०
४. मैसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड . . .	—	८०८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, 'मैसर्स टैल्को' तथा 'मैसर्स अशोक लेलैंड' कार नहीं बनाते हैं। देश में कार निर्माता तीन हैं। १९६० के पूर्वार्द्ध में देश में निर्मित कुल कारों में से तीनों कार निर्माताओं द्वारा कारों के निर्माण की अलग अलग प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड . . .	४७.८३	प्रतिशत
प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड . . .	३५.०४	प्रतिशत
स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड	१७.१३	प्रतिशत

सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

†२३४३. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, १९६० को दिल्ली / नई दिल्ली में ऐसे कितने केन्द्रीय सरकारी पदाधिकारी हैं जो डी १ में अथवा इससे भी ऊंची श्रेणी के क्वार्टरों के अधिकारी होने पर पर भी (१) 'जी' टाइप (२) 'एफ' टाइप और (३) 'ई' टाइप क्वार्टरों (अलग अलग) में रह रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अधीन किसी भी अधिकारी को सामान्यतः नियमित क्वार्टरों से तीन श्रेणी कम को क्वार्टर आवंटित नहीं होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १३६ ऐसे पदाधिकारी नीचे बताई गई श्रेणियों में रहते हैं :—

(१)	'जी' क्लास	१
(२)	'एफ' क्लास	१७
(३)	'ई' क्लास	११८

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'कस्तूरी' का निर्यात

†२३४४. **श्री प्र० कें० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को कस्तूरी का निर्यात करता है ;

(ख) १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में प्रत्येक विदेश से कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा की आय हुई है तथा कितनी धनराशि की कस्तूरी का निर्यात किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या हाल के वर्षों में इसमें कुछ कमी हुई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) विदेशों में कस्तूरी का किस काम में उपयोग होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संबद्ध है ।

(ग) १९५८–५९ की तुलना में १९५९–६० में निर्यात कम हुआ ।

(घ) कस्तूरी हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और उत्तर प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर पाये गये 'कस्तूरी मृग' से मिलती है । इसका निर्यात इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ङ) मुख्यत: 'इत्र' के निर्माण के लिए ।

कैमरों का निर्माण

†२३४५. **श्री प्र० कें० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मैसर्स निपोन कोगाकू, टोकियो, से ३५ एम० एम० कैमरों के निर्माण के लिए कोई समझौता किया है ;

(ख) समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कैमरों का निर्माण कहां होगा ;

(घ) बाजार में यह कितने मूल्य का बिकेगा ; और

(ङ) कैमरे बनने कब तक लगेंगे और बाजार में बिकने लगेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी, हां । २६ अगस्त, १९६० को जापानी समवाय से समझौता हुआ ।

(ख) समझौते के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

(१) समझौते के अनुसार जापानी समवाय कैमरों तथा अन्य दर्शन यंत्रों के निर्माण के पेटेंटों का उपयोग भारत सरकार के विकल्प से किया जा सकेगा ।

(२) अभी मैसर्स निपोन कोगाकू के बीच के मूल्य के कैमरे के सब से नये माडल "निकोरैक्स" (Nikkorex) कैमरे का निर्माण करने का विचार है ।

(३) समझौते के अनुसार जापान में विदेशी समवाय के कारखाने में भारतीय प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण होगा ।

(३) ३५ एम० एम० कैमरों का अनुसूचित उत्पादन एक हजार कैमरे प्रति माह होगा ।

(५) जापानी समवाय को चार किस्तों में १२,००० पौंड प्रविधिक फीस दी जायेगी ।

(६) भारतीय करों के अतिरिक्त जापानी समवाय को कारखाने के मूल्य पर २ प्रतिशत की 'रायल्टी' दी जायेगी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(७) समझौता १० वर्ष के लिये है परन्तु और पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) नेशनल इन्स्टुमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता में जो कि एक सरकारी उपक्रम है।

(घ) उत्पादन आरम्भ होने के बाद इसका प्राक्कलन किया जा सकता है।

(ङ) १२ से १५ महीनों में उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

रिजर्व बैंक उधार प्रत्याभूति योजना

†२३४६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, १९६०, १९६० का अधिनियम संख्या १८, के उपबन्धों की कार्यान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) विभिन्न इकाइयों से अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं तथा सहायता देने के लिये कितने बैंक ने कितने अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है ;

(ग) ३१ जुलाई, १९६० तक तथा अन्तिम लेखावधि तक स्वीकृत सीमायें तथा विभिन्न इकाइयों के ऋण के रूप में दी गई कुल राशि क्या थी ; और

(घ) सहायता प्राप्त करने का तरीका क्या है और ऋण देने के लिये प्राथमिकतायें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). छोटे उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक उधार प्रत्याभूति योजना १ जुलाई, १९६० से लागू कर दी गई है। योजना के कार्यों के परिणामों के बारे में बताना इस समय संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में तिब्बती शरणार्थी

२३४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, जुलाई और अगस्त, १९६० के महीनों में कितने तिब्बती शरणार्थी उत्तर प्रदेश में आये ;

(ख) वे किन-किन दर्रों से आये और प्रत्येक दर्रे में से कितने शरणार्थी आये ;

(ग) उन्हें किन-किन स्थानों पर रखा गया है ; और

(घ) उनके पुनर्वास और उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १ जून, १९६० से २५ अगस्त, १९६० तक ४३३ तिब्बती शरणार्थियों ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये शरणार्थी निम्नलिखित दर्रों से भारत में आये :—

(१) मंगश्यांग दर्रा	४३
(२) थगला दर्रा	१०८
(३) लिपुलेख दर्रा	२६
(४) लिम्पिया दर्रा	१७१
(५) माना दर्रा	४३
(६) निति दर्रा	४०
(७) किंगरी बिंगरी दर्रा	२
कुल	४३३

(ग) और (घ). सन्देव शिविर में २४२, खरसेन में ८३ और हरसिल में १०८ शरणार्थी ठहराये जायेंगे। उन्हें फिर से बसाने का प्रबन्ध करने के विषय में विचार किया जा रहा है। इस बीच उन्हें अस्थायी तौर पर ऐसा काम धंधा दिया जायेगा जो स्थानीय रूप से सुलभ होगा ।

तिब्बती शरणार्थी

†२३४८. **श्री हेम राज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी आये और कितने तिब्बत वापस गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: अब तक भारत में लगभग २२,००० तिब्बती शरणार्थी आये हैं। तिब्बत वापस गये शरणार्थियों की संख्या के बारे में कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केवल कुछ ही वापस गये हैं।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के छंटनी किये गये कर्मचारी

†२३४८-क. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन और नगर आयोजन संगठन में १ मार्च, १९६० को छंटनी किये गये तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से अधिकांश को अभी तक किसी भी कार्यालय में नौकरी पर नहीं लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १ मार्च, १९६० के बाद छंटनी किये गये कर्मचारियों को १ मार्च, १९६० को छंटनी किये गये कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकता दी गयी है और उनको प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में लगा दिया गया है ;

(ग) लगभग ६ महीने पहले अर्थात्, १ मार्च, १९६० को छंटनी किये गये कर्मचारियों के लिये अन्य रोजगार ढूंढने में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ;

(घ) इन व्यक्तियों को कब तक रोजगार दिला दिया जायेगा ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या सरकार का इन कर्मचारियों को काम देने के लिये नियमों में कोई ढील देने का प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) १–३–१९६० से पहले या बाद में छंटनी किये गये किसी भी फालतू कर्मचारी के बारे में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रतिरक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से कोई सिफारिश नहीं की गयी थी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के संस्थापनों में रिक्त स्थानों में इन कर्मचारियों को खपाने के लिये अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

(घ) समय बताना संभव नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

राज्य व्यापार निगम

†**२३४८-ख. श्री खीमजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि भारत में पूंजी वस्तुओं का आयात करने की इच्छा रखने वालों के लिये विभिन्न देशों से रुपये में भुगतान की व्यवस्था कराने में राज्य व्यापार निगम द्वारा अब तक क्या विशिष्ट व्यवस्था की गयी है और उसका स्वरूप और विस्तार क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: राज्य व्यापार निगम और उन देशों के बीच कोई विशिष्ट करार नहीं है जिनके साथ पूंजी वस्तुओं के आयात के लिये रुपये में भुगतान की व्यवस्था है । तथापि, रुपये वाले देशों से पूंजी वस्तुओं के आयात के लिये प्रतिवर्ष पर्याप्त उपबन्ध किया जाता है । राज्य व्यापार निगम उचित मूल्य पर इन वस्तुओं का आयात करने में वास्तविक उपभोक्ताओं को सहायता करता है ।

दिल्ली में टेलीविजन पर शिक्षा कार्यक्रम

†**२३४८-ग. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीविजन पर शिक्षा कार्यक्रम चालू करने के लिये फोर्ड फाउन्डेशन और भारत सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुये हैं जिसके अधीन चार वर्षों में ४७४,५०० डालर की रकम दी जायेगी ;

(ख) क्या योजना का व्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है। तथापि, मोटे तौर पर, इस योजना में, जिसके अधीन फोर्ड फाउन्डेशन आवश्यक उपकरण और टेवीविजन सेट देगा, व्यवस्था है कि दिल्ली में प्रत्येक सेकेन्डरी स्कूल में एक या अधिक सेटों की व्यवस्था की जावेगी और वहां पर विशेष टेलीविजन कार्यक्रम होंगे जिनमें विज्ञान, भूगोल अथवा सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में विशेषज्ञों द्वारा पाठ दिये जायेंगे। ये पाठ स्कूल के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और इनकी योजना दिल्ली राज्य शिक्षा प्राधिकारियों के निकट सम्पर्क से बनायी जायेगी।

(घ) इस परियोजना के बारे में प्राथमिक कार्य पर ६ से ८ महीने तक लगेंगे और यह कार्यक्रम वर्ष १९६१ में अगले स्कूल सत्र में चालू किया जा सकता है।

पेट्रोलियम बरामद करने के लिये पुलिस द्वारा छापा

†२३४८-घ. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अगस्त, १९६० को रोहतक रोड, दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने पेट्रोलियम अधिनियम के अधीन बड़े पैमाने पर एक छापा मारा और बड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल और मोबिल आयल पकड़ा ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) इस बारे में चालू वर्ष में कुल कितने छापे मारे गये हैं ;

(घ) विभिन्न प्रकार के पकड़े गय तेलों की क्या मात्रा है ;

(ङ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(च) इनके जमा करने को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी हां।

(ख) अपराधी को पेट्रोलियम अधिनियम की धारा २३ के अधीन पकड़ा गया, दोष सिद्ध किया गया और उस पर ३०० रुपये जुर्माना किया गया।

(ग) पांच।

		गैलन
(घ)	(१) मिट्टी का तेल	३९५०
	(२) मोबिल आयल	६३८०
	(३) पावरीन	१५३६
	(४) खनिज तारपीन	८८
	कुल पेट्रोलियम	११९५४

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) उल्लिखित पांच मामलों में पांच व्यक्ति पकड़े गये थे जिनमें से ४ व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया जा चुका है और उन पर १५० रुपये से लेकर ३०० रुपये तक का जुर्माना किया गया है और एक मामला अभी अदालत में लम्बित है।

(च) 'विस्फोटक-पदार्थ दस्ता' नामक एक विशेष दस्ता, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर, २ हैड कांस्टेबिल और ४ कांस्टेबिल हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को अनधिकृत रूप से जमा करने के बारे में पता लगाने के लिये दिल्ली के खुफ़िया विभाग (अपराध शाखा) के अधीन काम कर रहा है।

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्कूल

†२३४८-ङ. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाई गई इमारत को एक गैर-सरकारी संस्था को देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वहां पर दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाये जाने वाले एक स्कूल को खोलने का कोई प्रयत्न किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). मूलतः यह प्रस्ताव था कि इस इमारत में प्रतिरक्षा सेवायें गृह-निर्माण सहकारी समिति एक स्कूल चलायेगी। बाद में समिति पीछे हट गई और क्योंकि शिक्षा निदेशालय अथवा दिल्ली नगर निगम से कोई प्रस्ताव नहीं मिला और इस कालोनी में एक स्कूल की अत्यंत आवश्यकता थी और इस्तेमाल न होने के कारण इमारत को क्षति पहुंच रही थी, इसमें लेडी इर्विन स्कूल का एक लड़कियों का स्कूल खोलने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इस बस्ती में ऐसी संस्था की बहुत आवश्यकता थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १—ग्यारहवां सत्र, १९६०

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६—दसवां सत्र, १९६०

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९—नवां सत्र, १९५९

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ११—आठवां सत्र, १९५९

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८—सातवां सत्र, १९५९

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३४—दूसरा सत्र, १९५७।

[देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या क्रमशः ११६ से १२१]

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये नारियल जटा बोर्ड की कार्यवाहियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी २३६३/६०]।**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये कर्मचारी राज्य-बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन की, ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिय लेखा परीक्षित लेखे और वर्ष १९५९-६० के लिये संशोधित प्राक्कलनों तथा वर्ष १९६०-६१ के लिए आय-व्ययक प्राक्कलनों सहित, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी २३६४/६०]**

†श्री मुरारका (झुंझनू) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। १९५९-६० का प्रतिवेदन तथा १९५८-५९ के लेखा परीक्षित लेखे जो अभी सभा पटल पर रखे गये हैं, उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम के अधीन प्रतिवेदन तथा लेखे उसी वर्ष सभा पटल पर रखे जाने चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि पहले लेखे १८ महीने बाद सभा पटल पर क्यों रखे गये हैं।

दूसरी बात यह है कि १९६०-६१ के आय-व्ययक प्राक्कलन भी आज, जब वर्ष के छः महीने बीत चुके हैं, सभा पटल पर रखे गये हैं जब कि यह वर्ष के आरम्भ में रखे जाने चाहियें। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इसके बारे में निदेश दें जिससे भविष्य में इनको सभा पटल पर रखने में विलम्ब न हो।

†श्री ल० ना० मिश्र : यह ठीक है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ है और यह मुख्यतः इस लिये हुआ है क्यों कि लेखा परीक्षक कुछ समय लेते हैं। हम इसमें जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि निगम की लेखापरीक्षा राज्यों के महालेखा परीक्षकों से कराई जाये। आयव्ययक तो हम केवल सभा के सूचनार्थ यहां प्रस्तुत करते हैं; इसे निगम द्वारा स्वीकृत किया जाना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : सभा के सूचनार्थ भी है तो भी इसको समय पर ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिये क्योंकि अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मेरा निवेदन है कि लगभग दो वर्ष पहले जब प्रतिवेदन के समेत लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखे गये थे उस समय अध्यक्ष ने हमें हिदायत दी थी कि हम लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा न करें। जैसे ही निगम का बोर्ड प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दे वैसे ही प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाना चाहिये और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन बाद में सभा पटल पर रख दिया जाये। हम उसी हिदायत का अनुसरण कर रहे हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुंभकोनम) : धारा ३६ में स्पष्टतः दिया गया है कि निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, आय-व्ययक संसद में रखे जाने चाहियें तथा गजट में प्रकाशित होने चाहियें।

†**श्री आबिद अली** : हम ऐसा करने को तैयार हैं परन्तु इसमें समय लगेगा। उदाहरणतः ३१-३-६० को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन यहां रखा गया है। हिसाब किताब की परीक्षा की जायेगी और उसके बाद इनको यहां पर प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यदि अध्यक्ष महोदय ऐसी हिदायत दें कि धारा के अनुसार दोनों को एक साथ सभा पटल पर रखा जाना चाहिये तो हम ऐसा कर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : हिसाब किताब से अलग प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की हिदायत देने में मेरा यह उद्देश्य था कि इसमें बहुत देर न हो जाये। मेरा यह मतलब नहीं था कि दोनों को अलग कर दिया जाये। मैं यह नहीं चाहता था कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में ही विलम्ब हो। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये जिससे प्रतिवेदन और लेखे दोनों शीघ्रता से सभा पटल पर रखे जा सकें।

†**श्री मुरारका** : आपका विनिर्देश तो महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में था। इसका उससे कोई मतलब नहीं; यहां प्रश्न निदेशकों का और उनके प्रतिवेदन का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे देखूंगा।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं ग्यारहवें सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की उन्नीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सतरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सतरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात परियोजनाओं में कोयले तथा लौह अयस्क की कमी

†श्री गोरे (पूना) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कोयले और लौह अयस्क की कमी के कारण भिलाई और रूरकेला इस्पात परियोजनाओं के उत्पादन में कथित कमी"

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२२]**

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा ६ सितम्बर, १९६० को डा० श्रीमाली द्वारा निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

†श्री वासुदेवन नायर (तिरुवल्ला) : श्रीमान आपको याद होगा कि संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार ६ से १४ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य प्रथमिक शिक्षा लागू करे। परन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाये । अब भी जो व्यवस्था की जा रही है वह भी ६ से ११ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए की जा रही है । और इस देश में आयु के केवल ८० प्रतिशत बच्चों को ही तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध हो पायेगा । ऐसा सरकार का विचार है । मैं चाहता हूं कि आयोग अथवा मंत्रालय कम से कम इतनी व्यवस्था अवश्य करें कि ६ से ११ वर्ष की आयु वाले देश के सभी स्थानों के बच्चों के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तीसरी योजना के अन्त तक हो जाये ।

मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने जो विधेयक अब सभा में भेजा है वह मूल विधेयक से बहुत सुधरा हुआ है और माननीय मंत्री ने संयुक्त समिति के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । मुझे सब से ज्यादा प्रसन्नता इस उपबन्ध से हुई है जिस के द्वारा अंशकालिक शिक्षा लागू की गई है । आज गांवों में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की छोटे छोटे कामों में सहायता करते हैं क्योंकि माता पिता बड़े भाई बहन के काम करने के बावजूद भी कभी कभी परिवार को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है । इस वास्तविकता को देखते हुए भी यह समझ कर कि इतने छोटे बच्चों से काम कराना उचित नहीं है, हमें इस प्रकार की अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे हमारा आर्थिक विकास होने पर यह उपबन्ध हटा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन नायर]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अंशकालिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पायेगी। संभव है कि ऐसा हो परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य केरल में स्थानाभाव के कारण स्कूलों में शिफ्ट की पद्धति लागू की गई है जिस से बहुत से बच्चों को शिक्षा मिली। इसलिए अंशकालिक शिक्षा से जितने बच्चों को शिक्षा मिल पाये वह ठीक ही होगा। बजाये इस के कि वह बच्चे अशिक्षित ही रहें।

हमने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चों को मध्याह्न भोजन तथा पाठ्य पुस्तकें दी जायें। माननीय मंत्री ने इसका यह उत्तर दिया था कि खण्ड २५ में हमने इस के बारे में नियम बनाने की व्यवस्था की है और इस के बारे में भी नियम बनाये जा सकते हैं। मैं उनका ध्यान योजना आयोग द्वारा तीसरी योजना के प्रारूप में दिए गए तथ्यों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं उस में दिया है कि जो १०० बच्चे पहले क्लास में भरती होते हैं वह पांचवीं क्लास तक आते आते केवल ३४ रह जाते हैं क्योंकि शेष ६६ बच्चों के मां बाप उन के लिये मध्याह्न भोजन तथा पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस के साथ साथ तीसरी योजना के प्रारूप में यह भी बताया गया है कि इस काम के लिए ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था इस योजना में की गई है जो प्राथमिक शिक्षा के लिये निश्चित ३३० करोड़ रुपयें की राशि में शामिल है। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार करने में क्यों आनाकानी है जब योजना आयोग ने इतने स्पष्ट शब्दों में इस के बारे में लिखा है।

आज हमारे देश में पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमारे समय में अध्यापक नोट तैय्यार कर के पढाया करते थे परन्तु आज बच्चों को बहुत सी पाठ्य पुस्तकों का भार लाद कर स्कूल जाना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज कठिनाई यह भी है कि प्रत्येक वर्ष पाठ्य पुस्तकें बदल दी जाती हैं और जो पुस्तकें बड़े भाई ने पढ़ी हैं उनका छोटा भाई कोई उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरे कहने को तो निःशुल्क शिक्षा ही होती है परन्तु खेल आदि की इतनी फीस ले ली जाती है कि जिस से निःशुल्क शिक्षा भी माता पिता पर भार बन जाती है। तीसरे यदि कोई विद्यार्थी दो तीन वर्ष तक किसी क्लास में पास न हो तो उसको कमजोर दिमाग वाले बच्चों के स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान दें।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय मंत्री का यह कहना है कि सरकार अकेले इन सभी जिम्मेदारियों को नहीं ले सकती है। मैं उनकी बात से सहमत हूं परन्तु कृपा कर के वह यह बतायें कि इस संबंध में आरम्भ कौन करे?

अध्यक्ष महोदय : सरकार पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से प्राप्त धन से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर सकती है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कुछ राज्य सरकारों ने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और उस से प्राप्त धन को यह शिक्षा के विकास में लगा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन नायर : मैं आशा करता हूं कि सरकार तीसरी योजना के अन्त तक देश के सभी भागों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देगी ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आखिर उन्होंने इस बिल को इस हाउस के अन्दर पेश कर दिया और पास कराने की कोशिश कर रहे हैं । इस का इन्तजार और इस के प्राविजन्स का इन्तजार बहुत दिनों से लोग करते थे । जिस वक्त हमारा कांस्टिट्यूशन बना उस वक्त उम्मीद थी कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ दस साल के अर्से में ही इस को पूरा कर देगी । उस का आर्टिकल ४५ इस तरह पर था :

'राज्य, इस संविधान के प्रारंभ में दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था"—— समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ' ।

अब वह दस वर्ष तो हो चुके । २६ जनवरी सन् १९५० को हमारा कास्टिट्यूशन नाफिज हुआ, उस के बाद २६ जनवरी सन् १९६० भी हो चुका, लेकिन अभी तक यह चीज पूरी नहीं हुई । लेकिन चूंकि अल्फाज़ ऐसे थे कि हम कोशिश करेंगे, इस लिये इस वास्ते भी गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहक है, और आखिर में उस ने इस बिल को यहां रक्खा । हालांकि इतने दिनों से यह चीज हमारे सामने है सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन में सुनते थे कि थर्ड प्लैन तक यह चीज मुक्कम्मल हो जायेगी लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस के अन्दर यह प्रामिज पूरी होती नजर नहीं आती । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह जो बिल चल रहा है वह बड़ा हाल्टिंग सा, लेम सा, लंगड़ा सा है । जिस माने में हम चाहते थे, उस में यह पूरा नहीं है । मैं खुश होता अगर इतने दिनों बाद जो चीज हमारे सामने आई वह ऐसी आती जो मुकम्मल होती, जो सैटिस्फैक्टरी होती, जिस से लोगों को तसल्ली होती । लेकिमन यह ऐसी नहीं है ।

मैं अर्ज करूंगा कि किसी भी मुल्क में प्राइमरी एजूकेशन, बल्कि मैं तो प्रलिमिनरी एजूकेशन कहूंगा क्योंकि यह प्राइमरी एजूकेशन नहीं है, हमारे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा बढ़ी हुई है । जिस वक्त हमारा कांस्टिट्यूशन बना था उस वक्त हम नेन एलिमेंटरी एजूकेशन उस में लिखा और न प्राइमरी एजूकेशन लिखा क्योंकि पहले एलिमेंटरी एजुकेशन को थ्री आर्स कहते थे । और प्राइमरी एजूकेशन आम तौर पर ५ जमात तक समझी जाती थी । उस वक्त जान बूझ कर यह चीज बनाई गई कि अगर ६ वर्ष तक लड़का दाखिल होता हो तो उस के बाद ८ वर्ष तक उसे स्कूल में रखा जाये और उसे इतनी तालीम दी जाये, जिस को हम समझते थे कि मुल्क के हर एक आदमी के लिये मिनिमम होना चाहिये । हर एक के वास्ते मिनियम ८ वर्ष तक रक्खा गया था । लेकिन अब आप इस बिल के अन्दर क्या कहते हैं ? आप मुलाहज़ा फरमायेंगे कि जितनी तारीफें इस बिल के अन्दर लिखी गई हैं, सब एक से एक अजीब हैं । अव्वल तो इस के अन्दर यह नहीं लिखा गया कि कौन सी जमात तक का हमारा टैन्डर्ड होगा । कहा यस जाता है कि ६ से ११ साल की उम्र के ग्रुप के लिये गवर्नमेंट शुरू में तालीम देने की कोशिश करेगी, जिस के माने यह हैं कि सरीहन जो प्राविजन इस आर्टिकल ४५ में है उस की खिलाफवर्जी हो जायेगी और वह पूरी नहीं हो सकेगी । आखिर हुकम यह है कि १४ वर्ष की उम्र तक के लड़के को यह एजुकेशन दी जाय । अगर

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किसी लड़के को ६ वर्ष की उम्र में आप दाखिल करेंगे और उस को ८ वर्ष तक पढ़ायेंगे पांच जमात तक तो तीन वर्ष तक क्या वह डंडे बजायेगा ? आप का फर्ज है कि आप १४ वर्ष की उम्र तक लड़के को अपने पास रक्खें । तो आखिर तीन वर्ष तक वह क्या करेगा ? क्या वह पांच, छः वर्ष के अन्दर पांचवें जमात तक नहीं पहुंच जायेगा ? इस लिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस में आपने निगेटिव बात को लिखा, जो तारीफ की गई है उस में आपने यह लिखा कि प्राइमरी एजुकेशन आठवीं जमात से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आप ने इस में मिनिमम नहीं लिखा । उस के अन्दर जो कुछ भी मिनिमम या मैक्सिमम था वह ८ जमात था । इस में न मैक्सिमम लिखने की जरूरत थी न मिनिमम क्योंकि वह तो आर्टिकल ४५ में तय कर दिया गया कि १४ वर्ष की उम्र तक लड़के या लड़की को पढ़ना होगा । इस लिये मैं इस से सन्तुष्ठ नहीं हूं। आप लिखिये कि प्राइमरी एजुकेशन के यह माने होंगे कि ८ जमात तक लड़के को पढ़ाने की कोशिश की जायेगी वर्ना बहुत से लड़कों के वास्ते दिक्कत पड़ जायेगी । आप ने लिखा कि आप पांच जमात तक पढ़ायेंगे । अगर आप ८ वर्ष में पांच जमात तक पढ़ायेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन को स्टैग्नेट करायेंगे, उन की उल्टी तरक्की करेंगे, आप उन को ऐसी हालत में कर देंगे जो उन के लिये ठीक नहीं होगा ।

इसी तरह मैं देखता हूं कि इस के अन्दर एक ही नहीं दूसरी चीजें भी इसी तरह की हैं। लोकल अथारिटीज को जो अख्तयार दिया गया यह तय करने का कि वह किस क्लास तक और किस स्टैन्डर्ड तक तालीम दें, यह भी मुनासिब नहीं था । मैं चाहता था कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर गौर करती । सच पूछिये तो मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन को सब से अव्वल दर्जे की मिनिस्ट्री समझा जाना चाहिये क्योंकि यह मिनिस्ट्री हेड की है । अगर यह दुरुस्त हो तो सारी चीज दुरुस्त हो जाय । आसाम और बंगाल की बात सुनते हैं रह एक इलाके इलाके में सुनते हैं। १३ वर्ष में भ्रष्टाचार की पूर्ण तरक्की का रोज जिक्र होता है । मैं समझता हू कि आज एक मौका है । आप के चार्ज में सारी नेशन के बच्चे दिये जाते हैं । अगर उन को आप दुरुस्त कर दें, ठीक तरह की किताबें और ठीक मास्टर रक्खें, तो सारी की सारी काया पलट सकती है । १३ वर्षों में इस देश में जो करप्शन आया, जो खराबी आई, उस सब के दूर करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है । अगर ८ वर्ष में आप उस को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कोई शुबहा नहीं है कि इस देश की सारी खराबियां दूर हो जायेंगी । इस वास्ते आपका यह फर्ज है कि आप शुरू में यह तसल्ली कर दें कि आप आठवीं जमाअत तक पढ़ायेंगे और इस तरह की तालीम होगी ।

इसी सिलसिले में जो सवाल हमारे सामने आता है वह उन बच्चों का सवाल है कि जिनको तालीम ही नहीं मिलती है । एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि दिल्ली में इतने लड़के पढ़ते हैं । लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं गांवों में और दूसरी जगहों में जिनको कि तालीम ही नहीं मिलती है । जो बच्चे कि घर का काम करते हैं उनके लिए जो आपने प्रावीजन रखा है उससे मैं सख्त दुखी हूं । उनके लिए आपने कोई प्रावीजन नहीं किया । हमारे मरहूम मौलाना साहब आफ ब्लेसेड मेमोरी यह फरमाते थे कि मैं क्या करूं गवर्नमेंट रुपया ही नहीं देती । लेकिन आज तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रुपया देने को तयार है । मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा कि वह पूरा जोर लगाएं कि उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले और इस मामले में यह हाउस उनकी इमदाद करेगा ।

मुझ भी कुछ थोड़ा सा तजर्बा है प्रायमरी स्कूल रन करने का । मैं ने अपने जिले में जब मैं प्रेक्टिस करता था तो कोई ५० प्राइमरी स्कूल चलाए थे । मैं गांव गांव में जाता था और बच्चों के मां बाप से बात करता था । लो कहते फे कि हम अपने बच्चों को कसे पढ़ाएं क्योंकि वे तो अपने अपने घर की गाय भेंस के पीछे जाते हैं । और जब फस्ल के दिन होते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे अपने मां बाप का हाथ बंटाते हैं । उनको खाना तभी मिलेगा जब वह काम करेंगें । यह हालत है इस देश की । एक नोट आफ डिसेंट में लिखा है कि ४० फीसदी बच्चे इस तरह के हैं । बेहतर होता कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब हमारे सामने फिगर भी रखते कि इतने बच्चे ऐसे हैं तो काम करते हैं और पढ़ नहीं सकते । इनका क्या इलाज है । एक तो इनका यह इलाज हो सकता है, जसा वासुदेव साहब ने बताया है कि इनके लिए अलाहिदा स्कूल खोले जाएं जिनमें ये हफ्ते में दो तीन दिन पढ़ें या दिन में दो तीन घंटे पढ़ें जब कि और लड़के दिन में ५—६ घंटे पढ़ते हैं । जैसा कि स्पीकर ने फरमाया, आप रोज किताबें बदलते हैं और इसके अलावा गेम्स की और इम्तिहानों की फीस लेते हैं । आप अगर उसको फ्री एजूकेशन कहना चाहते हैं तो इसके सिर्फ यही मानी नहीं हैं कि आप उनसे एजूकेशन के लिए फीस चार्ज न करें, इसके मानी यह भी हैं कि जो बच्चे काम कर के अपने मां बांप की मदद करते हैं उनको कुछ आप स्टाइपेंड भी दें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बच्चे आपके यहां पढ़ने के लिए नहीं आएंगें । आप कहते हैं कि जुरमाना करेंगे, लेकिन वह जुरनामा वसूल कैसे होगा उनके पास तो खाने को भी नहीं है । इसलिए मैंने एक तरकीब रखी है कि जो इंडिजेंट बच्चे हैं यानी जो आपने आपको मेनटेन नहीं कर सकते और जिनको अपने मां बाप को मेनटन करना पड़ता है, उनके बुढ़ापे की वजह से या इनकपेसिटी की वजह से या गरीब होने की वजह से, उनको आप कुछ स्टाइपेंड दें । अगर आप उनकी सही मानों में एजूकेशन करना चाहते हैं तो आपको उनको थोड़ा सा स्टाइपेंड देना होगा ताकि उनको कुछ तसल्ली हो कि चलो जितना कमाता था उतना नहीं तो कुछ तो मिल जाता है । कुछ वह सेक्रीफाइस करें और कुछ कम्युनिटी सेक्रीफाइस करे और इस तरह से इन बच्चों को कुछ स्टाइपेंड दिया जाए।

इसके अलावा इन बच्चों के लिए सिलेट, कागज, किताबें कलम वगैराह स्टेशनरी भी फ्री दी जानी चाहिए । इसके अलावा जो रिफरेशमेंट और फुड देने की बात है उस पर मैं खास तौर से जोर देना चाहता हूं । यह चीज उतनी मुशकिल नहीं है जितनी कि दिखायी देती है । और अगर मुश्किल है तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसके लिए एजूकेशन टैक्स लगा दीजिए । और बच्चों को दूध दीजिए । जिन बच्चों को दूध दिया जाता है उनकी सेहत उन बच्चों से ज्यादा अच्छी रहती है जिनको दूध नहीं मिलता । इस बारे में डा० राइट ने अपनी किताब में लिखा है कि शिमले में तजुर्बे के तौर पर ३० बच्चों को दूध दिया गया और ३० बच्चों कौ दूध नहीं दिया गया । ६ महीने के बाद देखा गया कि जिन बच्चों को दूध दिया गया था उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई उन बच्चों के मुकाबले जिनको दूध नहीं दिया गया था । मैं ने खुद यह तजरबा करके देखा है । मैं ने देखा कि कुछ बच्चे बोर्डिंग हउास में दूध पीते थे और कुछ को नहीं मिलता था । जिन बच्चों कको दूध मिलता था उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई और जिनको नहीं मिलता था उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हुई । मैंने देखा कि वहां कुछ बच्चों के पास दूध क लिए कप भी नहीं थे । और उनको

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दूध नहीं मिलता था। इससे मुझे बड़ा रंज हुआ। हमने उस दिन से यह कम्पलसरी कर दिया कि सब बच्चों को दूध दिया जाए। और यह बहुत मुश्किल भी नहीं हुआ। हमने पांच सात गाएं रख ली और सब को उनका दूध दिया जाने लगा। तो मैं अर्ज करना जाहता हूं कि यह सवाल मुश्किल नहीं है। आज दिल्ली में कुछ स्कूलों में दूध दिया जाता है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में दूध दिया जाता है जसे नारवे, स्वीडन और डेनमार्क में हर एक बच्चे को दूध दिया जाता है। लेकिन स्वराज्य होने के इतने सालों बाद भी हम यह नहीं कर सके। मैं तो सच्चा स्वराज्य उस दिन आया समझूंगा जिस दिन देश के हर बच्चे को मुफत दूध दिया जाने लगेगा।

हमने अपने स्कूलों में बच्चों को दूध दिया है। कुछ गांवों में गांव वाले दूध या छाछ मुहय्या कर दिया करते थे और हम बच्चों को बांट दिया करते थे। यह चीज बहुत जरूरी है। अगर सरकार को सही मानों में फ्री और प्राइमरी एजूकेशन चलाना है तो दो बातें उसको जरूर करनी पड़ेंगी एक तो बच्चों को दूध देना और दूसरे उनको जरूरी मटीरियल मुफ्त देना। और अगर आप यह सब बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इंडीजेंट बच्चों के लिए तो आपको यह जरूर करना चाहिए। और साथ ही उनको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगें तो यह सही मानों में फ्री एजूकेशन नहीं होगी क्योंकि आप उसकी रोटी छीन कर उसको पढ़ाएगें। यह जायज नहीं है। सबसे पहले रोटी जरूरी है। अगर रोटी नहीं होगी तो वह एजूकेशन कैसे हासिल कर सकेगा? इसलिए जब भी सरकार फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन करेगी उसको इंडडीजेंट बच्चों के लिए स्टाइपेंड का इन्तिजाम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ने अपने अमेंडमेंट में इसको जिक्र किया है। इससमें बहुत ज्यादा रुपया नहीं लगेगा लोग इसके लिए टैक्स देना कबूल कर लेगें और करीब करीब सारी पबलिक इस काम में इमदाद करेगी।

मद्रास में कुछ स्कूल हैं जहां कि दूध मुफ्त दिया जाता है, दिल्ली में भी कुछ स्कूलों में दिया जाता है। बहुत से गावों के स्कूलों में दिया जाता है। यह कोई मुश्किल चीज नहीं है और यह आसानी से हो जाएगी।

इसके अलावा किताबों का बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल पर आपको खास तौर से गौर करना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि थोड़े वक्त के लिए आप अपने सिक्यू-लरिज्म को उठाकर ताक में रखिए और ऐसी किताबें बच्चों को दीजिए कि जिनसे उनमें मारल सेंस आए, मारल वेल्यूज बढ़ें, जिनसे उनका करेक्टर बने, उनमें डिसिप्लिन आए और देश के लिए पेट्रियाटिज्म बढ़े। आज मारल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसका नतीजा यह है कि मैं ने कई ऐसे गांव देखे हैं कि जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं लेकिन वहां जरायम ज्यादा होते हैं। इसलिए बुक्स के मामले में आपकी खास जिम्मेदारी है। बच्चे इम्प्रेशनेबिल होते हैं। उनको अच्छी किताबें मुहय्या करना आपका लाजिमी फर्ज हैं। अगर अभी आपके पास अच्छी किताबें नहीं हैं तो यह अच्छा होगा कि आप इस स्कीम को साल दो साल के लिए टाल दें बजाए इसके कि उनको ऐसी किताबें पढ़ाएं कि मारल वेल्यूज ही खत्म हो जाएं। तो आपको बैस्ट बुक्स का इन्तिजाम करना चाहिए।

इसी के साथ मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि बैस्ट बुक्स के साथ ही बैस्ट टीचर्स की भी उतनी ही जरूरत है । जो बच्चे पढ़ते हैं उनका करेक्टर अपने टीचर को देखकर ही बनता है । शुरू में उनकी इम्प्रेशनेबिल एज होती है, इसलिए जितना वह पहली जमाअत में सीखते हैं उतना एम० ए० में नहीं सीख सकते । इसलिए मैं अदब से अर्ज करूंगा कि हमको बैस्ट बुक्स और बैस्ट टीचर्स का इन्तिजाम करना निहायत जरूरी है ।

तीसरा अहम सवाल इंडीजेंट बच्चों का है । अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा इस किताब को हाथ लगाना भी बेकार है होगा । आज देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी सालाना आमदनी १०४ रुपए हैं । उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि बहुत लोगों की आमदनी सिर्फ ८८ रुपए सालाना ही है । अगर आप इंडीजेंट बच्चों का सवाल हल करेंगें तो उनको उम्मीद होगी कि एक दिन आएगा जब कि हमारे बच्चों की तालीम का इन्तिजाम भी गवर्नमेंट करेगी । हमने अपने कांस्टीट्शन में लिखा है कि हम सब के लिए एडीक्वेट मीन्स आफ लाइवलीहुड पैदा करें । लेकिन अफसोस है कि उसमें हम कासिर रहे हैं । लेकिन हम बैगर इंडीजेंट बच्चों के लिए स्टाइपेंड का इन्तिजाम किए देश के अन्दर फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन नहीं कर सकेगें । कम्पलसरी एजूकेशन तो आप कर सकते हैं । जिस तरह से जेल में कैदियों की हाजिरी होती है उसी तरह आप बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन यह एजूकेशन नहीं होगी । जब तक आप इंडीजेंट बच्चों के लिए स्टाइपेंड का इन्तिजाम न करें आप फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप बड़ी भारी गलती करेंगे और देश के लोगों के साथ इन्साफ नहीं करेंगे ;

मेरी अदब से गुजारिश यह है कि इस बिल को पूरे तौर पर एम्पलीमेंट करने के वास्ते आपने इस के अन्दर कोई प्राविजन नहीं रक्खा है और वह इस सैंस में कि आपने पूरी इजाजत दे दी लोकल एथारिटी को कि जिस जमात तक वह चाहे बच्चे को पढ़ाय, जिस तरीके से उस की मर्जी हो बच्चे को पढ़ाये । आपने लोकल एथारिटी को मजबूर नहीं किया कि वह फलां तारीख तक कर दें । मैंने अमेंडमेंट भेजा है कि एक साल के अन्दर वह पांच जमात का पूरा प्राविजन कर लें और अगले तीन सालों में आठ जमातों का प्राविजन कर लें । अगर उनको कुछ वक्त और इस के लिये चाहिए तो वे ले लें मुझे वक्त से कोई झगड़ा नहीं है । आप जरूर इस को दो चीजों में डिवाइड कर दें । अब सच बात तो यह है कि मेरा दिल घबराता है यह देख कर कि गांवों के अन्दर १४, १४ वर्ष की लड़कियां एक एक दो दो कोस तक जायेंगी अकेली और वहां जाकर स्कूल में ६ घंटे पढ़ेंगी तो घर के काम का क्या होगा । शहरों के हालात और गांवों के हालात में बहुत फर्क है और यहां के हालात और तरीके के हैं ।

हम ने कांस्टीट्यूशन बनाया और उस में १४ वर्ष कर दिया । हमने खयाल किया कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस के होते ही शायद बहिश्त आ जायगा लेकिन अब मालूम पड़ता है कि अगर वह ऐज लिमिट १४ न रख कर ११ ही रक्खी होती तो अच्छा होता क्योंकि यह ११ से १४ वर्ष का जो लड़कों और लड़कियों का साथ पढ़ने का पीरियड है इस में बहुत एहतियात बर्त्तने की जरूरत है । अगर आपने ११ वर्ष लिमिट रखनी है तो आप पांच जमात तक रखिये । कांस्टीट्यूशन में आपने १४ वर्ष रक्खा है और इधर आप ११ वर्ष तक करते रहें तो आप लोगों को धोखे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में क्यों रखते हैं ? जो बात आप करें वह साफ होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए और सटन होनी चाहिए । आपके मन में कुछ हो, कहें आप कुछ और करें और कुछ तो यह जायज बात नहीं है ।

मैं खुद आपकी मुसीबत जानता हूं । गवर्नमेंट के पास इतना रुपया कहां से आयेगा और यह करना बड़ा मुश्किल है । इस से मैं इंकार नहीं करता लेकिन मेरा तो कहना यह है कि आप जितना कर सकें कीजिये लेकिन इस तरह से देश को धोखा देकर न कीजिये । एजुकेशन मिनिस्ट्री से ज्यादा स्ट्रेट मिनिस्ट्री मुझे तो दूसरी नजर नहीं आती । आप बराय मेहरबानी कर लड़के लड़के में डिसक्रिमिनेशन न कीजिये जैसा कि क्लास क्लाज १२ में पार्ट टाइम एजुकेशन का प्राविजन रख कर किया जा रहा है । १२ क्लाज का मैं सख्त मुखालिफ हूं और ऐसा प्राविजन रख कर बच्चों में एक इनफीरीयरिटी कम्प्लैक्स लाना है और इस के अलावा इस पार्ट टाइम से बच्चों को पूरी तालीम भी नहीं हासिल हो सकेगी । अब आप ही बतलाइये कि जो बच्चा आज पढ़ेगा वह जब तीन दिन के बाद फिर स्कूल में पढ़ने जायगा तो उस से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह अपना पहला पाठ याद रख सकेगा और सही तौर तर प्रोग्रेस कर सकेगा । यह इस तरह से बच्चे बच्चे में तो तमीज करना मुनासिब नहीं होगा । यह पार्ट टाइम एजुकेशन का हफ्ते में दो दिन या ६ घंटे में से २ घंटे की पढ़ाई का प्राविजन करने से यह पढ़ाई का काम ठीक तरह नहीं चलेगा । आपको डबल स्कूल चलाने होंगे क्योंकि यह मुमकिन नहीं होगा कि सारे दिन एक मास्टर पढ़ाता रहे । मैं चाहता हूं कि आप लड़के लड़के में कोई भेद-भाव न रक्खें और एक युनिफार्मिटी रक्खें । ऐसा न हो कि एक लड़के के वास्ते तो युनिफार्म हो और दूसरे फटे कपड़े पहने हो । अगर जरूरत महसूस हो तो आप उस गरीब लड़के को स्टाइपेंड देकर उसकी कमी को पूरा कर दें और कुछ कमी उस के मां बाप पूरी कर देंगे ।

अब क्लाज १३ (४) में आपने जो यह रखा है "ऐसे माता पिता को अटैन्डैन्स अथारिटी को ऐसे ट्रान्सफर की तुरन्त सूचना देनी होगी ।"

तो यह कुछ मुनासिब नहीं है क्योंकि अब अगर लड़का नाना के चला जाय, भाई के चला जाय, और अगर फौरन उसकी इत्तिला न की जा सके तो जुर्माना हो जायेगा । इस में लीव आफ एबसैंस का जिक्र नहीं है । जब मैं प्रेजीडेंसी कालिज में पढ़ा करता था तो उस वक्त एक लड़का एक महीने तक बगैर कालिज की इजाजत लिए हुए छुट्टी ले लेता था । मैं चाहता हूं कि इस तरह की कैद रखना वाजिब नहीं है और इस को मुलायम होना चाहिए । हमारी इललिटरेट पापुलेशन है और इसलिए इतना सख्त कायदा कि वह ट्रान्सफर के मुताल्लिक फौरन इत्तिला करे वरना जुर्माना हो जायगा रखना ठीक नहीं है होगा और मैं चाहता हूं कि १५ दिन या एक महीने की मियाद का प्राविजन इस में रखना चाहिए ।

मैं कहना चाहता हूं कि लड़कियों के स्कूल ले जाने और उनको वापिस घर पहुंचाने के लिए ट्रान्सपोर्ट का भी सरकार को इंतजाम करना चाहिए । मैं इतना अर्ज ही करूंगा कि आप मेहरबानी कर के इस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन ८ जमात तक रखिये, ८ जमात से कम न रखिये । आपने जो इजाजत उनको

दी है कि वह इस के मुताल्लिक अपनी स्कीम किसी वक्त भेजें तो यह गलत है और मेरा कहना यह है कि एक साल के अर्से के अन्दर यह बिल्कुल पूरा हो जाना चाहिए। ६ महीने में स्कीम मिल जाय और अगले ६ महीने में गवर्नमेंट उन से तमाम स्कीमें मंगवा ले और यह पूरा काम कर दिया जाय। दफा १२ इस में से मंसूख कर देनी चाहिए। अमीर और गरीब का जो इस में डिसक्रिमिनेशन है यह बहुत तकलीफदेह है और यह ऐसी चीज है जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं हजारों आप के पास रेजोलूशंस भेज दूंगा कि आप इस के लिये भले ही टैक्स लगवा दीजिए लेकिन दो तरीके के बच्चे न बनाइये। ऐसा न हो कि एक बच्चा तो युनिफार्म पहन कर कर स्कूल आये और दूसरा जो एक गरीब का बच्चा है उस के तन पर फटे चिथड़े हों। आप उन गरीब बच्चों को स्टाइपेंड दे सकते हैं। बच्चों के वास्ते रेफ्रेशमेंट, किताबें, स्टेशनरी का जरूरी सामान यह सब उनको मुफ्त मिलना चाहिए। इस वक्त इस नेक काम को करने का मौका है। यह नेशन को बनाने का काम है। यह रिफौरमेटिव पीरियड है।

अगर इस समय आप बच्चे-बच्चे में एक भेद-भाव रक्खेंगे, लापरवाही बरतेंगे और इस तरीके के तमाम अधिकार लोकल एथारिटी को दे देंगे तो यह देश के हित में नहीं होगा और आजादी मिलने के बाद हम जिस भारतवर्ष का स्वप्न देखा करते थे कि इस देश के अन्दर सब के वास्ते प्राइमरी एजुकेशन होगी, वह हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा। मैं ने अगर कुछ सख्त अल्फाज कह दिये हों तो मैं माफी चाहता हूं। जो कुछ मैं ने कहा है अपने दिल से कहा है और मुझे भरोसा है कि हमारे मिनिस्टर साहब उस की तरफ पूरी तवज्जह देंगे।

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा): मोहतरम स्पीकर साहब, जो बिल हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब ने पेश किया है मैं दिल से उस को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस में कोई शक नहीं है कि हम ने मुल्क में बार-बार इस बात के वायदे किये हैं कि एक आजाद मुल्क का यह फर्ज है, सब से पहला फर्ज है कि वह अपने बसने वाले बाशिन्दों में तालीम को आम कर दें। उस के लिये बेशक एक जगह जैसे कि हमारे मोहतरम भार्गव जी ने तवज्जह दिलाई कि दस साल का भी हमने ऐलान किया था कि हम दस साल के अन्दर इस काबिल बन सकेंगे। लेकिन अफसोस है कि ऐसा न हो सका। उस की वजूह क्या थी और क्या नहीं थीं, इस वक्त मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन आज दिल्ली प्राइमरी एजूकेशन बिल पेश कर के आप ने एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है और आप काबिले मुबारकबाद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप ने बहुत काफी बातों को सोच समझ कर इस में दर्ज किया है अगर उस पर अमल किया गया और एथारिटीज ने भी उस को सही तौर पर अमल करने की कोशिश की तो हम और हमारे बच्चों में तालीम आम तौर पर रायज हो जायेगी और यह पहला तजुर्बा होगा जो कि हम दिल्ली में कर पायेंगे। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक खास चीज की तरफ तवज्जह दिलाना जरूरी समझता हूं। जिस जमाने में हुकूमत का यह ऐलान हुआ था कि वह दस साल के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी और लाजिमी करार देगी ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए तो उस वक्त मुसलमानों में एक खास खयाल पैदा हुआ और उन्होंने अब से ३, ४ वर्ष पहले एक तालीमी और दीनी कनवेंनशन बम्बई में मुन्नकिद किया था और जिस को कि हमारे मुरार भाई ने ओपेन किया था उसका इफतिताह किया था। उस में यह बात खास तौर पर बहस में

[श्री मु० हि० रहमान]

आई थी कि हकुमत अगर प्राइमरी कम्पलसरी एजूकेशन ६, ७ वर्ष की उम्र से ले कर ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए जरूरी करार देती हो तो ऐसी सूरत में बच्चों को अपनी मजहबी और दीनी तालीम का इंतजाम किस वक्त करना होगा और किस तरीके से करना होगा। उन तमाम बातों पर मुसलमानों की तमाम मजहबी स्कूलों की जमातों ने काफी गौर किया और मुख्तलिफ तजवीजात पेश कीं। उस में एक तजवीज यह भी थी कि अगर दीनी और मजहबी मकतब, पाठशालाएं, हिन्दू, मुसलमान किसी भी कम्युनिटी की हों अगर वह पहले से कायम हैं या अपनी मर्जी से वह उस को प्राइमरी तालीम के लिए या मिडिल तालीम के लिए या हाई तालीम के लिए कायम करते हैं उस में मजहबी तालीम के साथ साथ अगर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन का सही तौर पर मियारी कोर्स मंजूर कर के तालीम देना शुरू किया तो यकीनी तौर पर हुकूमत से दरख्वास्त की जायेगी, स्टेट गवर्नमेंटों से दरख्वात की जायेगी और लोकल बौडीज की और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस वगैरह की तवज्जह दिलाई जायगी कि वह उन को एगजम्प्ट करें और इन बच्चों को उन्हीं दीनी मकतबी और मजहबी पाठशालाओं में तालीम हासिल करने के लिए मौका दें।

अब क्लाज दस में आपने यह बतलाया है कि किन हालात में एक बच्चे को एगजम्प्शन दिया जायगा। क्लाज दस में एक खास ऐरिया को बताया है कि अगर उस ऐरिया के बाहर बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हों और उस ऐरिया में कोई स्कूल है चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो तो बेशक अगर उसकी तालीम के बारे में एथारिटीज मुतमईन हों कि यह तालीम मियारी तालीम है तो उनको एगजम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन क्लाज ११ में आपने इसका भी तजकिरा किया है कि अगर इस के अलावा बाज ऐसे स्कूल हों और उनकी तालीम काबिले ऐतमाद हो एथारितीज के नजदीक तो उनको एगजम्प्ट किया जा सकता है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खास तौर पर इस तरफ तवज्जह दें कि मजहबी अदारों में अगर प्राइमरी तालीम हो रही है तो इनको मुस्तसना करार दिया जाये।

आप जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन में जहां फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है उसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि माइनारटीज को यह हक है कि वह अपनी चवाएस और ख्वाहिश के मुताबिक अपने मजहबी तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं तो जब यह फंडामेंटल राइट है तो आज फर्ज कीजिये आप दिल्ली में कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन जारी कर रहे हैं और यहां ऐसे सैकड़ों मकतब आपको मिलेंगे जो कि मजहबी तालीम के लिये मुकर्रर किये गये हैं। लेकिन वे इसके लिये तैयार हैं।

श्री ह० ना० सोनुले (नांदेड़) : क्या मजहबी तालीम ही हमारी तालीम का मुअक्कफ हो सकता है ?

श्री मु० हि० रहमान: मुअक्कफ की बहस मैं नहीं कर रहा हूं। आनरेबल मेम्बर जरा सोचने की कोशिश करें। मोअक्कफ का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग मजहबी तालीम दे रहे हैं, जिनका यह हक स्टेट ने बुनियादी हुकूक में मंजूर किया हुआ है, उनके रास्ते में रुकावट न डाली जाये। सैकुलर स्टेट के मानी एंटी मजहब या एंटी धर्म नहीं है। सैकुलर स्टेट के मानी ये हैं कि मजहबी तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत अपने कंधों पर नहीं लेगी।

श्री त्यागी (देहरादून): मैं एक बात दर्याफ्त करना चाहता हूं। मजहबी तालीम वाले मदरसों में जुगराफिया और हिसाब वगैरह की काबलियत उतनी ही होगी, जितनी कि दूसरे स्कूलों में है ?

श्री मु० हि० रहमान : मैं मोहतरिम मेम्बर की तवज्जह दिलाता हूं कि अगर वह मेरी बात को पूरी तरह समझ लेंगे, तो उनको इत्मीनान हो जायगा।

मैं यह नहीं कर रहा हूं कि हुकूमत बिला वजह मजहबी मक्तबों को एग्जेम्प्ट कर दे। मैं यह कह रहा हूं कि जो बच्चा किसी मजहबी मक्तबे में तालीम हासिल कर रहा है, जहां आज तक मजहबी तालीम थी और जो कम्पलसरी एजूकेशन जारी होने पर, या इससे पहले इस बात का इंतजाम कर ले कि मजहबी तालीम के साथ साथ उसी दर्जे की, उसी मैयार की तालीम भी वहां दी जाये, या गवर्नमेंट के कोर्स को अपना ले, तो उस बच्चे को मजबूर न किया जाये कि वह किसी खास सरकारी स्कूल में जाकर पढ़े। यह बात काबिले एतराज नहीं है। मैं यह हरगिज नहीं कहता कि जो सिर्फ मजहबी तालीम दे, उसको हुकूमत एग्जेम्प्ट कर दे। वह एक अलग मसला है कि जो कोर्स कम्पलसरी एजूकेशन में सरकारी तौर पर तैयार हो, क्या उसी ही के जरिये आम तालीम लाजमी हो। अगर्चे मैं उसका कायल नहीं हूं, लेकिन वह एक अलग मसला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : श्रीमान्, उड़ीसा में बाढ़ के बारे में दो वक्तव्य दिये गये हैं, एक २५ अगस्त को और दूसरा ३१ अगस्त को। इसलिये मेरा निवेदन है कि दोनों पर एक साथ चर्चा करने की अनुमति दी जाये। मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव में यह जरा सा परिवर्तन करने दिया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री राम कृष्ण गुप्त, श्री स० मो० बनर्जी और श्री आसर के स्थानापन्न प्रस्तावों में पंजाब की बाढ़ों को भी शामिल कर लिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन बाढ़ों पर भी इस चर्चा में बोलने दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उड़ीसा के माननीय सदस्य बोलें तो वे उड़ीसा की बाढ़ों का जिक्र कर सकते हैं और जब पंजाब या हिमाचल प्रदेश के सदस्य भाषण दें तो वे वहां की बाढ़ों की चर्चा कर सकते हैं। मैं इस समय सारे स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल मानता हूं। मैं उड़ीसा के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाढ़ों पर बोलने की अनुमति दूंगा।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा उड़ीसा में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा लोक-सभा में २५ अगस्त तथा ३१ अगस्त, १९६० को दिये गये वक्तव्यों पर विचार करती है।"

उड़ीसा में इस बाढ़ के परिणामस्वरूप जो विपत्तियां एवं मुसीबतें आई हैं उनसे दुखी होकर ही मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रधान मंत्री ने भी अभी हाल में उड़ीसा का दौरा किया है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

अब वह समय नहीं रहा जबकि इन बाढ़ों को पाप और बुरे कामों का फल कहा जाता था। लेकिन अब तो इन बाढ़ तथा अकालों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब तो इन शक्तिशाली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० क० देव]

नदियों पर बांध बनाकर उनकी धारा को रोका जा सकता है तथा उनके पानी का सदुपयोग फसलों के लिये किया जा सकता है। मेरा तो यही कहना है कि जितना ध्यान इस संबंध में मेरे राज्य पर दिया जाना था उतना नहीं दिया गया है।

अगर इस राज्य की महानदी, ब्रह्मनी, वैतरणी और सुबर्ण रेखा में एक साथ बाढ़ आ जाये तो बहुत हानि होती है। सन् १८३० से लेकर अब तक उड़ीसा में ३० बाढ़ें आई हैं। लेकिन अब की बार बाढ़ अत्यन्त भयंकर हुई है। इस दौरान में बाढ़ों की जांच करने के लिये बहुत सी बाढ़ समितियां नियुक्त की गई हैं। और उन्होंने नाना प्रकार के सुझाव दिये हैं। १९४४ में श्री वी० के० गोखले की अध्यक्षता में जो एक समिति बनाई गई थी उसने एक सुझाव दिया था कि हीराकुड बहुदेशीय एक बांध बनाया जाये और अब इसका निर्माण हो गया है। लेकिन यह भी कोई स्थायी उपचार सिद्ध नहीं हुआ है। पिछले महीने के द्वितीय सप्ताह के पिछले दिनों में इस नदी के आसपास बहुत भारी वर्षा हुई और महानदी को छोड़कर शेष सभी नदियों में भयंकर बाढ़ आई। फलस्वरूप बालासोर से कटक जिले में धर्मशाला तक का और लोअर महानदी डेल्टा का एक अंश जलमग्न हो गया। जिसके कारण रेल की पटरियां, सड़कें आदि टूट गई तथा भारी मात्रा में जन तथा धन की हानि हुई। उड़ीसा के तट पर समुद्र के स्थान परिवर्तन से स्थिति और भी बिगड़ गई क्योंकि इसके कारण रेत की तहें जम जाने के कारण नदियों के सभी मुहाने अवरुद्ध हो गये। दुर्भाग्यवश नदियों के मुहानों को गहरा करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

उड़ीसा राज्य के तेरह जिलों में से बारह जिलों में बाढ़ आ गई है और इसका असर २०,७५,००० की आबादी और १२ लाख एकड़ खेती योग्य भूमि पर पड़ा है। वहां के कृषि मंत्री का कहना है कि लगभग ४८ करोड़ रुपये की फसलों की हानि हुई, ४५ व्यक्ति मारे गये और ५० व्यक्ति लापता हैं। पशुधन का भी काफी नुकसान हुआ है। कटक जिले के जयपुर परगने को सबसे अधिक हानि पहुंची है। ८०० गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा है। और २० गांव तो बिल्कुल ही नष्ट हो गये हैं। सम्बलपुर जिले की भी भारी क्षति पहुंची है। वहां १४ व्यक्तियों की जानें गई हैं।

इस बाढ़ की सब से बड़ी विशेषता यह है कि सम्बलपुर और फूलबानी जिलों को एवं आसपास के और दूसरे इलाकों को जहां कि इस बात की अफवाह थी कि हीराकुड बांध के बन जाने से वहां कुछ नहीं होगा, काफी हानि पहुंची है। एक प्रकार से यह सब कुछ वहां अनजाने ही हुआ है। अतः मेरा निवेदन है कि तेल नदी की सभी शाखाओं पर एक अच्छा बांध बनाया जाये और इन पहाड़ी नदियों पर पूरा-पूरा नियंत्रण किया जाये।

महानदी में बाढ़ आने के कारण ८२ गांवों पर प्रभाव पड़ा और भारी मात्रा में फसलों तथा जनों की क्षति पहुंची। उड़ीसा सरकार ने जो सर्वेक्षण किया है मेरे विचार से वह ठीक नहीं है। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा के लिये जो तटबंध बनाये गये थे वे करीब १०० स्थानों पर टूट गये हैं। रेलवे पुल नं० २३९ भी बिल्कुल बह गया है। हरिदासपुर तथा जेनापुर के बीच की रेलवे लाइन भी अभी तक पानी में डूबी हुई है। अतः कलकत्ता और भुवनेश्वर अथवा कटक के बीच आवागमन का कोई साधन नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी रेलवे लाइनों को क्षति पहुंची है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन रेलवे लाइनों के टूट जाने से भारत के अन्य भागों से उड़ीसा का संबंध नहीं रहा है।

संचार व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। इसके कारण और दूसरे स्थानों को कोई समाचार आदि भी नहीं भेजा जा सकता। उड़ीसा का अन्य देशों के साथ संबंध बनाने का केवल एक ही साधन

है और वह है वायु सेवा। वायुसेवा भी सप्ताह में केवल दो दिन उपलब्ध है। बावजूद हमारे प्रयत्नों एवं सभा में निवेदन कि हमारे यहां इस सेवा को दैनिक बना दिया जाये अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अब समय आ गया है जब कि सरकार को उड़ीसा का संबंध देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिये एक दूसरे रेलवे मार्ग बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

बहुत से व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं। उनकी सहायता करने और उनका बचाव करने के लिये नवयुवक प्रशासन पदाधिकारियों तथा सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने दलगत भावना को छोड़कर यह कार्य किया है। निश्चय ही ये धन्यवाद के पात्र हैं। इन व्यक्तियों को फिर से बसाने का काम बहुत महत् है। अकेले राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर सकती उसके पास सीमित धन है। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है और केन्द्र को सहायता देने के लिये आगे आना चाहिये। सहायता कार्य के लिये राज्य की ओर से भी बराबर की राशि आने की शर्तें उड़ीसा के संबंध में हटा लेनी चाहिये। उन्हें पूरी रकम अनुदान के रूप में ही दे देनी चाहिये। बाढ़ की सम्पूर्ण समस्या का पूरा निराकरण करने के लिये हमें लगभग ६२ करोड़ रुपये चाहियें। यह राशि तृतीय योजना में निर्धारित १६७ करोड़ की राशि से अलग की राशि है।

उड़ीसा खाद्यान्न के मामले में अधिक खाद्यान्न उगाने वाला राज्य है। और खाद्यान्न की कमी के दिनों में इसने देश के लोगों को खाद्य दिया है। अब उड़ीसा की बारी है जबकि यह दूसरे लोगों की ओर भिखारी के रूप में हाथ फैला रहा है। अगर भारत चाहता है कि उड़ीसा भविष्य में भी देश की सहायता करता रहे तो बाढ़ तथा अकाल से अच्छी तरह बचाना होगा। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

पहला सुझाव तो यह है कि जब तक लोगों का अच्छी तरह पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक उन्हें सहायता और निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिये। दूसरे तटबन्धों के टूटे हुये स्थानों की मरम्मत पूरे जोर से शुरू होनी चाहिये, इससे क्षतिग्रस्त लोगों को काम भी मिलेगा और कुछ आय भी हो जायेगी। तीसरे सड़कों तथा रेलवे लाइनों पर हुई बड़ी क्षति को ठीक करने एवं सामान्य संचार आवागमन के साधन ठीक करने के कार्य भी साथ साथ शुरू करना चाहिये। इस मरम्मत के मामले में असैनिक पदाधिकारियों की सहायता करने के लिये सेना की सहायता भी लेनी चाहिये। ऐसे आपात काल में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करने के लिये सेना की एक टुकड़ी स्थायी रूप से भुवनेश्वर में रखी जानी चाहिये।

चौथे, लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण, अनुदान, लकड़ी आदि तुरन्त ही जंगलों से देनी चाहिये। यह सुनने में आया है कि तटीय क्षेत्रों तथा भीतरी भागों के जिलों में दिये जाने वाले मकान संबंधी ऋण के मामले में भेदभाव किया गया है। मेरा विचार है कि सबके साथ समान बर्ताव करना चाहिये। पांचवें, लोगों को मकान बनाने के लिये अधिक ऊंचाई पर जमीन देनी चाहिये। साथ ही उन्हें अपने मकानात शीघ्र ही बनाने के लिये प्रोत्साहन भी देना चाहियें। साथ ही गांव की सब से अधिक ऊंचाई पर सामुदायिक मकान जैसे स्कूल, ग्राम मनोरंजन केन्द्र आदि बनाने चाहियें। ताकि आपातकाल के समय लोग वहां जाकर शरण ले सकें। छठे, रेत के ढूहों के तलकर्षण का काम फौरन शुरू कर देना चाहिये। तथा सरकार को रबी की फसल को बढ़ाने के लिये किसानों को अच्छे किस्म के बीज भी बांटने चाहियें। सातवें, जलागम क्षेत्र में वनरोपण कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि इस संबंध में अच्छे पग नहीं उठाये गये हैं।

अंत में मेरा एक निवेदन है कि शरणार्थियों को महानदी के दहाने में बसाना चाहिये। तेल नदी की घाटी को भी इस कार्य के लिये लिया जा सकता है।

[श्री प्र० के० देव]

अतः मेरा निवेदन है कि समस्त देश को उड़ीसा की पूरी सहायता करनी चाहिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव तथा संशोधन भी हैं। जो माननीय सदस्य इन्हें प्रस्तुत करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (गुड़गांव) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ग्रासर** (रत्नागिरी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव रखा जाये :—

"कि यह सभा उड़ीसा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा लोक-सभा में क्रमशः २५ अगस्त और ३ सितम्बर, १९६० को दिये गये वक्तव्यों पर विचार करती है।"

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन साहब, फ्लड्स से जो देश के अन्दर सिचुएशन हुई है उसके बारे में मैं सिर्फ दो चार बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

यह तो आप सब अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस साल फ्लड्स से तमाम देश में, खास तौर पर उड़ीसा और पंजाब में, कितना नुकसान हुआ है। यह एक बड़ा अहम मामला है और आज इस की जरूरत है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि फ्लड्स को रोका जाए।

जहां तक कि पंजाब का ताल्लुक है इसके बारे में मैं दो तीन बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहली बात जो कि बहुत जरूरी है वह यह है कि पंजाब के अन्दर इस साल जो फ्लड्स आए हैं वह ज्यादातर उन हिस्सों में आए हैं जहां कि अक्सर फ्लड्स नहीं आया करता। यह बात मैंने हाउस के सामने इसलिये रखी कि ऐसा क्यों हुआ यह बहुत अहम मामला है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है पंजाब के अन्दर जो बन्द, एम्बेंकमेंट और ड्रेन बनाये गए हैं वह इसका सबसे बड़ा कारण हैं। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि जब कोई स्कीम बनायी जाए तो सबसे पहले हमें उसके साथ यह सोचना चाहिये कि इस स्कीम को कम्पलीट करने के बाद इसका क्या असर पड़ेगा, इससे क्या फायदा या नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर आप ड्रेन नम्बर ८ को ले लें। रोहतक की सिचुएशन आपके सामने मौजूद है और वहां की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिये हमारी आरमी को भी जाना पड़ा और जो इत्तलाआत अखबारात में आती हैं या वहां जाने से जो पता चला है उससे मालूम होता है कि सिचुएशन अभी तक काबू से बाहर है। इसी तरह से पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी यही हालत है। मैं हांसी भी गया था और वहां की हालत मैंने देखी है और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि वहां शहर का कुछ हिस्सा और काफी तादाद में मकान पानी में डूब गए हैं, और कितना नुकसान हुआ है इसका अभी तक अन्दाजा नहीं लगाया गया है। इस बात को माननीय मंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में ३ तारीख को तसलीम किया था और कहा था कि

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक नुकसान का सही अन्दाजा लगा कर हमारे पास इत्तला नहीं भेजी है। यह एक बड़ा अहम और सीरियस मामला है। इतना नुकसान हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट अभी तक यह अन्दाजा नहीं लगा सकी है कि वहां कितना नुकसान हुआ है।

दूसरी बात जो कि मैं बहुत जरूरी साझता हूं वह यह है कि वहां जो यह फ्लड आये क्या यह कुदरती थे या मैन मेड हैं। यह एक बड़ा अहम प्रश्न है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हाउस के सामने कुछ बातें रखूं और सावित करने की कोशिश करूं कि पंजाब के अन्दर जो फ्लड्स आए, अगर शुरू से जब से कि स्कीमें बनायी गयीं उन पर विचार किया गया होता तो शायद वहां की यह हालत न होती। मिसाल के तौर पर आप ड्रेन नम्बर ८ को ले लें। उसके अन्दर शुरू में जो पानी छोड़ा गया वह तकरीबन ६०० क्यूसेक्स था। लेकिन आज आप देखें कि २००० क्यूबिक फुट से भी ज्यादा पानी उसके अन्दर छोड़ा जा रहा है। जिस ड्रेन की कैपेसिटी ६०० की है वह २००० कैसे बरदाश्त कर सकता है। उसका क्या असर होगा यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं।

इसके साथ साथ जिस वक्त पंजाब के ऊपर के हिस्से से पानी निकालने की स्कीम बनायी गई उस वक्त जिन इंजिनियरों के दिमाग में यह स्कीम थी उन्होंने यह नहीं सोंचा कि यह पानी जिस इलाके में आगे छोड़ा जा रहा है उसका असर क्या होगा, उसको किस तरीके से यूटीलाइज किया जाएगा। मैं इस बात की मुखालिफत नहीं करता कि कोई रेगूलर केनाल बना कर उस पानी को काम में लाया जाए, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं सोचा गया। उसका यह असर हुआ कि आज वह तमाम एरिया जहां कभी फ्लड नहीं आया करते थे और जहां के लोग कभी यह अन्दाजा नहीं लगा सकते थे कि इस हिस्से में भी फ्लड आ सकता है, वह एरिया आज पानी के अन्दर है। वहां फसलें तबाह हो गई हैं और काफी से ज्यादा नुकसान हुआ है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तमाम मामले की इन्क्वायरी की जाए और मालूम किया जाए कि वह ड्रेन किस मतलब के लिये बनाया गया है। सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि उस तमाम पानी को जमुना में छोड़ा जाता क्योंकि पहले भी जो सिलसिला था वह यही था। लेकिन उस पानी को यहां छोड़ा गया और फिर दलील यह दी जाती है कि ऐसा इसलिये किया जा रहा है कि रेवाड़ी, रोहतक और हिसार के सूखे इलाकों को पानी दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यह स्कीम बनायी गई थी उस वक्त इस बात को कहा जाता और उस वक्त इस बात को सोचकर इस स्कीम को बनाया जाता। आज चार पांच साल हो गए लेकिन उस ड्रेन का मसला अभी तक तै नहीं हुआ और कोई परमानेंट स्कीम नहीं बनायी गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि तमाम मामले पर विचार किया जाये और या तो रेगुलर केनाल बनाने की तजवीज की जाए जिससे कि पानी के आगे जाने से किसी किस्म का नुकसान न हो, और अगर यह पासिबिल नहीं है तो उस तमाम पानी को दरिया जमुना में छोड़ा जाए जैसा कि पहले भी होता था।

हांसी की भी वही सिचुऐशन है। माननीय मंत्री भी वहां गये थे। वहां वाटर लौगिंग का मसला बड़ा अहम था। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि मैंने खुद वहां जाकर यह समझा कि वहां जो फ्लड्स आये तो उस का क्या कारण था और इसलिये मैंने यह बात कही।

इस मसले को हल करने के लिये जो मेन कैनाल थी उस के साथ साथ दायें बायें दोनों तरफ दो ड्रेंस बनाई गई। उस का क्या नतीजा हुआ ? यह ठीक है कि उस हिस्से में काफी हद तक वाटरलौगिं का मसला हल हो गया लेकिन उस वक्त उस पानी को कहां निकाला जाय कैसे उसको युटिलाइज किया जाये और पजो बरसात के अन्दर कितना हो सकता है इस बात पर बिलकुल

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

भी विचार नहीं किया गया जिसका कि नतीजा यह हुआ कि जब बारिशें हुई तो वह तमाम पानी जो कि दोनों ड्रेंस के अन्दर था वह शहर हांसी के अन्दर दाखिल हो गया और काफी से ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे आ गया और उससे तमाम फसल वगैरह तबाह हो गई और शहर के अन्दर जो बहुत सी सरकारी इमारतें और स्कूल वगैरह थे उनको भी काफी नुकसान हुआ। यह दो मिसालें मैंने हाउस के सामने रक्खीं। मुझे इसके वास्ते इतना दुःख न होता अगर कुदरती बारिश से वहां इतना नुकसान होता और अगर हमारे इंजीनियर्स वक्त पर सोच समझ कर स्कीम बनाते और तमाम मामले पर विचार किया जाता। उसका असर क्या पड़ेगा इस बात को सोच कर तमाम प्रोग्राम बनाया जाता तो पंजाब के काफी हिस्से को इस तबाही से बचाया जा सकता था इसलिये मेरी अपील है कि इन तमाम मामलों पर विचार किया जाये और पंजाब के अन्दर जो ड्रेन का मसला है और जो कि फ्लड्स का सबसे बड़ा कारण है उस पर विचार किया जाये और उसके वास्ते जरूर कोई परमानेंट हल जल्दी निकाला जाये।

तीसरी बात जो कि मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं वह यह है कि रिलीफ और मदद का सवाल भी बड़ा अहम है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि मदद और रिलीफ के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है और कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन आप जो रिलीफ देते हैं मदद देते हैं वह वक्त पर नहीं पहुंच पाती और देखा यह जाता है कि आज अगर आप को १००० रुपये की मदद की जरूरत है तो दस रोज के बाद वह काम २००० रुपये में भी नहीं हो सकता। इस के अन्दर टाइम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको कि कभी नजरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। इसके अन्दर डिले नहीं होनी चाहिये। मैंने यह बात इसलिये कही कि जहां तक हांसी का मसला था वहां के मामले को बिल्कुल इगनोर कर दिया गया है। माननीय मंत्री ने खुद अपनी स्पीच में यह कहा कि वहां सिचुएशन बहुत सीरियस है। मैं वहां गया और मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि वहां सिर्फ पांच फौज़ी जवान रिलीफ के काम के वास्ते मौजूद थे और आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिये मेरी अपील है कि उसके लिए जब भी कोशिश की जाय इस ढंग से की जाये कि वक्त पर मदद पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाये जिससे कि उसका अच्छा असर हो और ज्यादा नुकसान न हो।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसके लिये रिलीफ का जो प्रोग्राम है उसका तो मैंने जिक्र कर दिया।. मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इसका इंतजाम ठीक करने के लिये और इसको बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाये और जो नुकसान हुआ है उस का पूरा अंदाजा लगाया जाय और सेंट्रल गवर्नमेंट को उस के लिए काफी मदद करनी चाहिये ताकि उस मुश्किल से बचा जा सके।

इसके बाद जहां तक कि आयन्दा प्रोग्राम का ताल्लुक है उस के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी सिर्फ इतनी ही तजवीज है कि जो वहां की हालत है उस तमाम हालत पर विचार करने के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी जरूर मुकर्रर की जाय जो कि इन तमाम बातों का अंदाजा लगाये और इस बात पर पहुंचने की कोशिश करे कि आया वहां जो नुक्सान हुआ है और फलड्स आये हैं क्या वह जो बारिशें थीं उनका नतीजा था या जो पंजाब के अन्दर इमबैंकमेंट्स ड्रेंस का प्रोग्राम बनाया गया बगैर सोचे समझे, उसका नतीजा था ताकि यह गलतियां दुबारा न दुहराई जा सकें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर अपील करता हूं कि इस तमाम मामले पर पूरी तरह से विचार किया जाये और आयन्दा ऐसे कदम उठाये जायें ताकि यह गलतियां दुहराई न जा सकें और जो इस किस्म की तबाही होती है वह न हो।

मैं यह भी मानता हूं और माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिये मुश्किलात का मुकाबला करने के लिये पबलिक कोआपरेशन की सब से ज्यादा जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर शुरू में कोशिश की जाती तो और भी ज्यादा सहयोग मिल सकता था। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिये आयन्दा ज्यादा से ज्यादा पबलिक कोआपरेशन मिलेगा जिससे कि कम से कम नुकसान हो।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब चेयरमैन, मैं मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में तीन डिवीजन हैं, पटियाला डिवीजन, अम्बाला डिवीजन और जालन्धर डिवीजन। अब पंजाब में जो बाढ़ आई है तो वह जालन्धर डिवीजन में नहीं आई है। फ्लड्स पटियाला डिवीजन में हैं और अम्बाला डिवीजन में हैं। मुझे बदकिस्मती से तमाम फ्लड्स पटियाला के देखने पड़े। एक महीने की इनक्वायरी की चंडीगढ़ से जब कि बारिशें हो रही थीं . . . . .

एक माननीय सदस्य : क्यों और जगह मसलन करनाल में फ्लड्स नहीं आये ?

श्री प्र० सिं० दौलता : यह जालंधर डिवीज़न से मिला हुआ भाग है ? वहां फ्लड्स नहीं है। जिसको फ्लड्स कहते हैं वह पटियाला डिवीजन और अम्बाला डिविजन में ही आये थे। अब यह बात कि बारिश ज्यादा पड़ी और बारिश की ज्यादती की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो गई लेकिन उस को फ्लड्स कहना दरअसल फ्लड्स की मुश्किलात को शरमिंदा करना है और उस रिलीफ को जो कि फ्लड विकटिम्स को मिलती है उसको मिनिमाइज करना है। मैं पटियाला डिवीजन में गया, अम्बाला डिवीजन में गया और उस की बिना पर यह कहता हूं कि जालन्धर डिवीजन में मुकाबलतन कम नुकसान हुआ है। अब सरहदी साहब अगर मुझ से इतिफाक नहीं रखते तो म इसको हैल्प नहीं कर सकता और सरहदी साहब अपनी राय रखने में आजाद हैं और वह उस को मौका आने पर जाहिर भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो वही बतलाऊंगा जो कि मैं ने खुद जा कर देखा है और उसे मुझे जिम्मेदारी से हाउस को बताना है।

जनाब चेअरमैन, पंजाब में यह कहना कि कुदरत ने तबाही लाई है यह गलत है। अम्बाला डिवीजन और पटियाला डिवीजन मे जो कुछ हुआ वह तमाम का तमाम मैन मेड है। जो तबाही की लिस्ट मिनिस्टर साहब ने दीं मोहतरम बुजुर्ग ने दी वह अधूरी है। मिसाल की तौर पर रोहतक में एक टाउन है झज्झर जहां कि एक मस्जिद बारिश में गिर पड़ी और उस के नीचे तीन आदमी दब कर मर गये। हम ने कहा कि यह फ्लड्स विकटिम्स हैं तो उन्होंने इस से एग्री नहीं किया और कहा कि यह तो एक्सीडेंट हो गया। कोई डूब गया जैसे कि मंडी में कुछ लोग डूब गये तो उन्होंने उसको ऐकनौलेज नहीं किया और कौलरा से जो मरे उनको भी फ्लड्स विकटिम्स एकनौलेज नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंदाजा लगाने में गलती की गई।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़कें बनाना और नहरें बनाना यह बड़ा अच्छा काम है लेकिन इंजीनियर्स की एनएफिशिएंसी के बायस जो नेचुरल फ्लो पानी का है वह रोक दिया गया और यह तबाही लाने में सब से बड़ा कारण बनी। अब पटियाला डिवीजन का बहुत सारा हिस्सा, हांसी और अम्बाला डिवीजन बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह वाटर लौगिंग पंजाब की एक बड़ी प्राबलम है। जब लोग पंजाब की प्राबलम का जिक्र करते हैं तो गलती से पंजाब की प्राबलम को

[श्री प्र० सिं० दौलता]

कम्युनल ताकतों का आउटबर्स्ट कह देते हैं और ऐसा कहना शहर के चन्द लोगों को शुगल हो गया है। पंजाब के मेहनतकश किसान आज जिस प्राबलम में इनवौलव्ड हैं वह वाटर लौगिंग की प्राबलम है और फलड्स की प्राबलम है जो कि हर साल उन के सामने पेश आती हैं। लेकिन शहरी आदमियों की कुछ तहरीकें इस हकीकत को सेंट्रल गवर्नमेंट में छिपाये रखती हैं। पंजाब में बाढ़ें अब एक सालाना बीमारी बन गयी हैं। इस बार जो फलड्स आये हैं वह पहले से ज्यादा हैं लेकिन हर साल यह फलड्स आते हैं और फलड्स की यह हालत है उस के बारे में रिपोर्ट आई होगी। अब जनाब चेअरमैन, मैं ने वह नजारा देखा है। पानी उधर से आ रहा है संगरूर की परली तरफ से और नीचे लोग बंध लगा कर बैठे हुए हैं बंदूकें और सोटियां हाथ में लिए हुए और कुछ कहते हैं कि हम काटेंगे और कुछ उस के मुखालिफ तो दो, तीन जगह डिस्ट्रिक्ट की जनूब की तरफ वहां तीन आदमी जान से मार दिये गये गांव की आपस की लड़ाई में कि हम पानी नहीं काटने देंगे। वे फलड् विक्टिम नहीं हैं। उनकी रिपोर्ट होगी थाने में कि गांव के दो जाट लड़ कर मरे। फलड विक्टिमस की लिस्ट में वे नहीं आयेंगे। इस वक्त पंजाब में वाटर लौगिंग और करेक्ट लैविलिंग, ये दो प्राबलम्ज़ हैं। यह ठीक है कि रोहतक शहर के लोगों ने मुबालग़ा-आमेज़ी से काम लिया है। यह ठीक है कि वहां के लोगों ने तआवुन नहीं दिया—कुछ ने दिया, खास तौर पर कुछ नौजवानों ने दिया। लेकिन इस के मानी ये नहीं हैं कि रोहतक के देहात में, हांसी टाउन में, या दूसरे कस्बों में बरबादी नहीं हुई। गोहाना तो बिल्कुल बरबाद हो गया है। रोहतक टाउन तो सब से कम बरबाद हुआ है। यह मेरी खुशकिस्मति है कि वहां मेरा अपना मकान है। इस को इतनी पब्लिसिटी मिली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लकिन मुझे हैरानी होती है कि रोहतक टाउन पर इतना एम्फ़ेसिस क्यों कर रखा है। श्री पी० के० देव ने वहां आर्मी भेजने के लिये कानग्रैचुलेट किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्मी पंजाब में कहीं नहीं गई, जहां फ्लड है। आर्मी पंजाब में रोहतक टाउन में गई, जो सड़क पर वाके है। वह फ्लड को रोकने नहीं गई। फ्लड का वह वाटर, जो रोहतक टाउन के लो लाइंग एरिया में जाना था, उस को वहां जाने के बजाय किसानों के खेतों में फेंकने के लिए, आगे चलता करने के लिये आर्मी वहां गई है। यह कहना कि आर्मी रोहतक में फ्लड को फ़ाइट कर रही है, झूठ है। रोहतक टाउन के बाजार में पानी न जाने पाये, किसानों की खेती को बरबाद करने के लिए, उस को आगे फेंकने के लिए आर्मी गई है। फ्लड को आर्मी फ़ाइट नहीं कर रही है। मैं परसों आर्मी हैडक्वार्टर्ज़ से एक बड़े सीनियर आफ़िसर को ले कर गया। वह हैरान रह गया। जब मैं ने झझर की वह जगह दिखाई, जहां ड्रेन नम्बर ८, पड़ती है और साहबी नदी दूसरी तरफ से आती है। मैं ने कहा कि चलो, किश्ती में ही चल कर देख लो। उस ने कहा कि आई कैननाट रिस्क माई लाइफ, इस ८५ मील की झील में मैं दाखिल नहीं हो सकता हूं। आज रोहतक के बाजारों में सिर्फ़ इतना पानी है कि जो एक साधारण गांव के खेतों में है। लेकिन जो पब्लिसिटी रोहतक टाउन को मिली है, उस का नतीजा यह हुआ है कि देहात में जितनी रिलीफ़ जानी थी, वह सारी खिंच कर रोहतक में आ गई। वहां पर साढ़े पांच बजे फ्लड कमेटी की रोज़ मीटिंग होती है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैंने दूसरी जमायत में पढ़ा था कि वाटर कीप्स इट्स लैवल। वह तो लैवल में जायेगा। जब तक ड्रेन का लैवल है, इस लो लाइंग एरिया में पानी आयेगा। आप इस को छोड़ें और लोगों को लो लाइंग एरियाज़ से रेस्क्यू करें

और दूसरे इलाकों, गोहाना वगैरह को सम्भालें, । लेकिन वहां का डी० सी० उस को डिब्रूगढ़ बनाने पर तुला हुआ है । कुछ वोकल आदमियों की फ़ाल्स रिपोर्ट्स इस सिलसिले में दी गई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि वहां पांच हज़ार की आर्मी इकट्ठी कर ली है । क्या क्रेडिट है ? मैं दाद देता हूं, जो आर्मी ने काम किया । थोड़ा नहीं किया । वहां एक एस० पी० बेचारे खड़े रहे, और भी खड़े रहे, लेकिन सच्ची बात यह है कि रोहतक टाउन में जो लो लांइंग एरिया है, उस में वह लैवल पहुंच चुका है, जो ड्रेन नम्बर ८ में है । उस से ज्यादा पानी रोहतक टाउन में आ नहीं सकता । उस से कम मिलिटरी वाले कर नहीं सकते । यह जो सात हज़ार का तमाशा है, यह फ़ोटो वोटो सब बेकार हैं। कितने अरसे से हम चिल्लाते रहे हैं कि रोहतक टाउन पर कनसेन्ट्रेट न करो ।

अब मैं ड्रेन नम्बर ८ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं सात साल से उस के खिलाफ़ जुटा हुआ हूं । मैंने कई दिवानी दावे भी किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में जुडिशयल एन्क्वायरी हो और जिन लोगों ने यह बंगल किया है, उन को बाकायदा सज़ा मिले। रोहतक के शुमाल की तरफ़ से गोहाना तहसील में बरसाती नाला शुरू होता है, मामूली सा, छोटा सा नाला, जिस का नाम ड्रेन नम्बर ८ है । यह बरसाती नाला तहसील झज्जर में जा कर खत्म होता है, लेकिन वह किसी दरिया, समुन्दर या झील में नहीं गिरता है । यह बरसाती नाला पांच हज़ार वर्ष से नहीं तो दो हज़ार बरस से चलता रहा है । किसी के दिमाग में यह स्कीम आई कि रेवाड़ी के ऊंचे हिस्से को पानी दिया जा सकता है । कैसे ? इस ड्रेन में अम्बाला, करनाल की तरफ़ की और ड्रेनें डाल दी जायें । उस वक्त मैं पार्लियामेंट का नहीं, असेम्बली का मेम्बर था। ज़िले की ए मिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो होती है, उस की मीटिंग में जो कहा गया, पंजाब असेम्बली के दूसरे मेम्बरों की जो तकरीरें हुई, उन को मैं ला कर दिखा सकता हूं । वे हाउस में चिल्लाए कि खुदारा, तहसील रोहतक और झज्जर को न डुबाओ । कांग्रेस कमेटी के प्रेज़िडेंट की तकरीर मौजूद है । साबिक मिनिस्टर, चौधरी शेरसिंहग, की तकरीर है । पंजाब असेम्बली के तमाम मेम्बरों ने कहा कि ड्रेन नम्बर ८, को चौड़ा न किया जाये और करनाल और अम्बाला का पानी इस में न डाला जाये, ६०० क्यूसिक का यह नाला है अगर इस में और पानी डाल दिया गया, तो आगे कोई लेक नहीं है, दरिया नहीं है, समुन्दर नहीं है, इस लिए यह पानी आगे चल कर लोगों को डुबोएगा।

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ग़लत है कि पहले रोहतक में ब्रीच हुआ । रोहतक में ब्रीच होने से पहले छः ब्रीच हो चुके थे और सातवां ब्रीच टाउन के पास हुआ। उन छः ब्रीचिज़ ने तहसील गोहाना, कैथल और हिसार की वह हालत कर दी थी कि बड़ौदा बटाना एक गांव है, उस के साढ़े ग्यारह मील के फ़ासले तक मुरदार फूंकने की जगह नहीं थी। हैज़ा हो जाने से बहुत आदमी मरे थे । गुड़ की कड़ाहियों में लाशें डाल कर और उस में तेल डाल कर आग लगा दी जाती थी। हुकूमत एन्क्वायरी करे कि यह बात सच है या गलत है । लेकिन डी० सी० ने कहा कि यह नार्मल फ़ीचर है, यह पानी बहा ही करता है बरसात में । बदकिस्मती से चौधरी रणबीर सिंह को चोट लगी हुई है । उन का गांव बहुत बड़ा गांव है । तकरीबन सारे गांव डूब गए गोहाना में । उस के साथ सब गांव, जो मैं ने पंडित जी को दिखाये हवाई जहाज़ में, भी डूब गए । श्री पंजाब राव देशमुख हमारे साथ थे। वह यह देख कर हैरान हुए कि यह कितना झूठा इल्ज़ाम है कि रोहतक के लोगों ने मदद नहीं की । गांव के बाहर पानी खड़ा है आठ नौ फ़ीट और गांव सूखा और ड्राई है । उन बहादुर लोगों ने बाहर बांध बांधा और अन्दर से

[श्री प्र० सिंह हिवा]

पानी बाहर फैंका । फ़स्ल बरबाद हुई, लेकिन गांव में पानी नहीं भरने दिया गया। अगर रोहतक के बाजारों के लोगों ने कुछ नहीं किया और भाग गए, तो वे बुजदिल हैं। लेकिन यह कहना कि रोहतक के बहादुरों ने फ्लड में मदद नहीं की, उन बहादुरों के साथ बे-इन्साफ़ी है, जो रोहतक और हिसार के देहात में फैले हुए हैं। हवाई जहाज़ से एक गांव भी ऐसा नहीं दिखाई दिया, जहां गांव के लोगों ने गांव की आबादी में पानी जाने दिया हो । हां, जो बहुत लो लाइंग थे, वे डूब गए । उन लोगों ने दो तीन मील बाहर डेरे डाल दिए । वे दिल्ली या झज्जर नहीं गए । यह जो प्राबलम है, वह उस वोकल अरबनाइट का है, जो बोलना ज्यादा जानता है और प्रैस में फ़ोटो निकलवाना जानता है । रोहतक की जनता ने फ्लड्ज़ का मुकाबला डट कर किया है । नेहरू जी या श्री मेनन का यह इल्ज़ाम ग़लत है कि वे भाग गए । हां, रोहतक के बाजारों में से तो भागे ही थे । वहां अफ़वाह फैली, तो लोग भागे ही । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि रोहतक के लोग फ्लड्ज़ से नहीं भागे । एक चौथाई हिस्से में तीन, चार फ़ीट से ज्यादा पानी नहीं है । प्रैस की सनसनीखेज़ न्यूज़ ने कह कह कर कि मारे गए, मारे गए, आ गया, आ गया, लोगों को भगा दिया । रोहतक में मेरा घर है । मैं रोज़ मीटिंग अटेंड करने जाता हूं । रोहतक से ज्यादा तो हांसी की बरबादी हुई है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस ड्रेन में सात सौ क्यूसिक वाटर जिन इंजीनियरों ने हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद, कौंसिल और असेम्बली में आवाज उठाए जाने के बावजूद डाला है, वे ही इस बरबादी के जिम्मेदार हैं । वह पानी झज्जर में कहीं झील में नहीं जाता है । आर्मी ने इन पांच सात दिनों में जो एचीवमेंट की है, वह यह है कि जो पानी रोहतक में जाना था, उस को आगे देहात में फैंक दिया । यह कोई सालूशन नहीं है । आखिर देहात के लोग भी आदमी हैं। इस पानी ने यह गुस्ताखी की कि सातवीं बार वह रोहतक के पास टूट गया । । वर्ना पहले वह छः बार देहात में टूटा था, छः ओकेजन्ज हो चुके थे, किसी ने आर्मी नहीं बुलाई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोहतक को फ्लड आफ़्टर सिर्फ़ रोहतक टाउन की प्राबलम नहीं है । एक भी मकान नहीं गिरा । वहां आये दिन बारिश होती है । लेकिन जहां ड्रेन नम्बर ८ गिरता है, वहां बहुत बरबादी हुई है। मैं एक बड़े सीनियर आर्मी आफ़िसर को दिखा कर लाया हूं । डी० सी० की रिपोर्ट उस ने आर्मी में भेज दी थी कि मेरा इलाका ठीक है, देहात का मेरा इलाका ठीक है और साहबी नदी और ड्रेन नम्बर ८ का जहां टकराव हुआ है, वह बड़ी भारी झील है, अगर किसी को शौक है झील में सैर करने को, तो वह देख सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि देहात का कोई कच्चा मकान नहीं है, जो न गिर चुका हो और बीमारियां फैली हुई हैं । डी० सी० की रिपोर्ट के क्या मानी हैं? मैं ने परसों शाम उस से पूछा कि आज उन्नीस दिन आप को रोहतक से निकले हो गए, यह रिपोर्ट, जिस की नकल मैं आर्मी हैडक्वार्टरर्ज़ से लाया हूं, आप ने किस बिना पर दी है । हम लोग पिछले उन्नीस दिनों से देहात में हैं और रोहतक ज़िले में फिर रहे हैं, क्या हम बे-ईमान हैं? उन अफ़सरान को, जिन्होंने वज़ीर इरिगेशन की खुशामद करने के लिए इस ड्रेन में रोहतक और करनाल का सारा पानी डाल दिया, उन को सज़ा दी जाये । यह हुकूमत डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिए पंजाब गवर्नमेंट पर ज़ोर दे, वर्ना यह हाउस जुडिशल एन्क्वायरी के लिए ज़ोर देगा । पंजाब का सूबा अनाज पैदा कर के आपको देता है। अनाज पैदा करके दूसरे कुछ सूबे भी देते होंगे लेकिन पंजाब भी काफी अनाज पैदा करके आपको देता है। लेकिन सब से बड़ी बात तो यह है कि

जो सिपाही पंजाब पैदा करके आपको देता है, उस तरह के सिपाही दूसरे सूबे पैदा करके नहीं दे सकते हैं। श्री मेनन ने एक बार कहा था कि मशीन का युग आ गया है, यह साइंटिफिक एज है, वैपंस की एज है। उन वैपंस को चलाने के लिये उनका इस्तेमाल करने के लिये जिस तरह के लोगों की जिस तरह के सिपाहियों की जरूरत है, वे पंजाब ही आपको दे सकता है। अगर आपका यही रवैया रहा तो जो रिक्रूटिंग बेस है आदमियों की वह खत्म हो जायेगी। यह न समझ लीजिये कि जो चार पांच आ मी लम्बे चौड़े आप यहां देख रहे हैं ये इसी तरह से आगे भी चलेंगे, इस तरह के आदमी धीर धीरे खत्म हो जायेंग यह जो नस्ल है यह खत्म हो जायेगी। पंजाब की जो बहादुर नस्ल है वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पंजाब के लोग बड़े पीसफुल हैं, बड़े पुर-अमन हैं, मुल्क के बड़े वफादार हैं। वे अगर कोई एजीटेशन भी करते हैं तो उसको भी पीसफुली चलाते हैं। अगर कोई बेंवकूफी भी करते हैं, तो भी पुरअमन रहते हैं। १५००० आदमी जेल वें भेज सकते हैं लेकिन बंगाल और आसाम की तरह से कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। वे बहादुर हैं, रिसपक्टेबल पंजाबी कौम है और अगर वह आपकी वजह से बरबाद होती है तो यह अच्छा नहीं होगा। आये साल वहां फ्लड आ रहे हैं लेकिन कोई उनको रोकने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रांट जो आप पंजाब को दे सकते हैं, दें और पंजाब की मदद आप करें।

श्री पदम देव (चम्बा) : सभापति महोदय, नदियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। नदियों के कारण हमारा देश हरा भरा और सर सब्ज भी है और कभी कभी नदियां उच्छृंखल जब हो जाती हैं तो हमारी जो योजनायें हैं, वे धरी की धरी रह जाती हैं, वे बरबाद हो जाती हैं।

हिमाचल प्रदेश में जो अभी बाढ़ आई है, उस तरह की बाढ़ पहले कभी नहीं आई। यह बाढ़ सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आई है। यह कोई भगवान की तरफ से अभिशाप का नतीजा नहीं है। हिमाचल में जो जंगल हैं, उनको जिस वक्त काटा जाता है, तो जो मलवा होता है, वह वहीं पर पड़ा रहने दिया जाता है, उसको इधर उधर करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है और उसका परिणाम बाढ़ों के रूप में सामने आता है। इस तरह की बाढ़ न केवल हिमाचल को बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जहां जहां उन नदियों का संबंध होता है, नुक्सान पहुंचाती हैं। साथ ही साथ हिमाचल में जंगलों को बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। जब से हम आजाद हुये हैं, तब से कोई नये वृक्ष तो लगाये नहीं जा रहे हैं, पुराने काटे जा रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि बाढ़ें आती हैं। जब भारी वर्षा होती है तो पानी सीधे नीचे आता है और नीचे आकर जहां हिमाचल की अच्छी जमीन को उसकी मिट्टी को बहा ले जाता है, वहां पर बाढ़ भी आती है।

इसी तरह से हिमाचल में जहां सड़कें और पुल बन रहे हैं उसकी ठीक ढंग से योजना न होने के कारण जमीन कटती है और उसके पश्चात् जमीन गिर करके बाढ़ लाने के परिणाम में हमारे सामने आती है। जहां पर कूलें बन रही हैं, उनका भी यही हाल है। पहले इस देश में जो इंजीनियर लोग थे या ठेकेदार थे, वे जब सड़कें बनाते थे, कूलें खोदते थे तो उसके अन्दर एक विशेष शर्त होती थी कि अगर गलत तरीके से कोई काम हुआ है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उनके विरूद्ध मुकदमे चलाये जाते थे। लेकिन जब से हम आजाद हुये हैं, सब को आजादी मिल गई है कि चाहे कोई किधर से ही सड़कें निकाले, किधर से ही कूलें बनाये, किधर से ही ड्रेनेंज बनाये। सबको खुली छुट्टी है। इससे देश तबाह होता है। इस तरह की चीजों को कोई आज पूछने वाला नहीं है। जब कोई इस तरह की घटनायें घट जाती हैं तो सारा ब्लेम कुदरत के सिर पर मढ़ा जाता है कुछ और तरह से उसको किसी पर डालने की कोशिश नहीं की जाती है।

[श्री पद्म देव]

एक बात यह भी है कि जो भूमि अकृष्य पहले समझी जाती है, वहां पर भी आज बड़े जोरशोर से खेती हो रही है और एक होड़ सी लगी हुई है जिसके कारण जमीन पोली हो जाती है और जब वर्षा होती है तो बाढ़ आती है और वह हिमाचल को ही बरबाद नहीं करती बल्कि दूसरों की बरबादी का कारण भी बनती है ।

अभी हाल में जो मंडी में बाढ़ आई है उसका सब से बड़ा कारण एक सड़क और एक पुल है। सुकेती खड एक नदी है, उसके पानी को रोका गया और थोड़े से आउटलेट थे । जिस वक्त बरसात में रात को बड़ी भारी वर्षा हुई तो उस वक्त पहले तो पानी रुका और बाद में पानी टूटा और उसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी उसके इर्दगिर्द गांव थे, वे सब के सब पानी में डूब गये, नष्ट भ्रष्ट हो गये इस समय तो ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि कितनी जानें गई हैं और कितनी सम्पत्ति का नुक्सान हुआ है। हमारे जो लोकल वर्कर हैं, जिन्होंने कि वहां काम किया है उनका कहना यह है कि ४० लाख के करीब का नुक्सान हुआ है और ९५ जानें गई हैं। अखबारों में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि २५० के करीब आदमी मरे हैं या १५० के करीब मरे हैं। लेकिन ये सरकारी फिग्सं नहीं हैं। अभी तक वहां पर किसी किस्म का सर्वेक्षण नहीं किया गया। वहां के उपराज्यपाल ने, ऐसा कहा जाता है, हैलीकोप्टर के लिये दरख्वास्त की है और अगर वह दे दिया गया तो वह जाकर उस इलाके का निरीक्षण करेंगे। लेकिन अभी तक जो गैर-सरकारी एजेंसियों से खबरें प्राप्त हुई हैं उनसे पता चलता है कि ९५ जानें गई हैं और ४० लाख के करीब सम्पत्ति का नुक्सान हुआ है। वहां पर जितने मकान थे वे सब के सब मिट्टी के थे गिर चुके हैं। उन मकानों में ज्यादातर मुजारे लोग रहते थें । उन गरीबों का उसके बाद से कोई सहारा नहीं रहा, उनके पास रहने के लिये मकान नहीं रहे, उनके पास जो थोड़ा गहुत अनाज था, बीज था या दूसरी वस्तुयें थीं, या थोड़े बहुत कपड़े थे वे सब बरबाद हो गये हैं। जो बाढ़ वहां अब आई है वैसी बाढ़ इतिहास बताता है या वहां के जो बूढ़े लोग हैं वे बताते हैं, पहले कभी नहीं आई। बूढ़े लोग बताते हैं कि न तो उन्होंने इस किस्म की बाढ़ पहले कभी देखी है और न ही इस तरह की बाढ़ का बात उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है । इस बाढ़ का सब से बड़ा उत्तरदायित्व सरकार पर आता है, और अगर आप इसकी जांच करें तो यह तथ्य सिद्ध हो जायेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा भारत सरकार से और हिमाचल सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो फौरी कदम उठाये जाते हैं, वे जल्दी से उठाये जाने चाहियें। इस वक्त वहां जरूरत इस बात की है कि लोगों को अन्न दिया जाये, औषधियों का प्रबन्ध किया जाये, कम्बल लोगों को दिये जायें, टैंट्स लगाये जायें । लोगों के पास मकान नहीं , खाने के लिये रोटी नहीं है। वह इलाका कुछ गर्म है, मलेरिया जैसी बीमारियां भी वहां फैलतीहैं हैं और बहुत संभव है कि हैजा इत्यादि भी फैल जाये। इस वास्ते सरकार को चाहिये कि फौरन ही वहां पर सहायता कार्य शुरू करे। यह तो आज करने की चीजें हैं। कल जो करने की चीजें हैं वे ये हैं कि मकान बनाने के लिये सबसिडी दी जाये, लकड़ी लोगो को मुफ्त दी जाये ताकि लोग रहने के लिये मकान बना सकें। सर्दियां आ रही हैं और अगर इन चीजों का प्रबन्ध अतिशीघ्र न किया गया तो लोगों के ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आ पड़ेगी और लोग अपने आपको संभाल नहीं पायेंगे। बीज इत्यादि का उनके लिये प्रबन्ध होना चाहिये तथा और जो उनकी आवश्यकतायें हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिये ।

लोगों के पास जो बैल थे वे खत्म हो गये हैं, समाप्त हो गये हैं, भूमि सारी खत्म हो गई है फ्लड के कारण और इन चीजों का भी उनके लिये प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

आगे के लिये जो कार्य करने को हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। बाढ़ों के जो कारण मैं आपको बता चुका हूं उन कारणों पर आपको विचार करना चाहिये और बाढ़ें न आ सकें,

ऐसा उपाय करना चाहिये । उस नदी के कारण उस इलाके में पहले भी एक बार ऐसा हुआ था और बाढ़ आई थी लेकिन उस वक्त वहां पर मिनिस्टरी थी और उसने फौरन बांध वगैरह बांध दिये थे और कुछ अर्से तक ऐसी घटनायें नहीं घटी थीं। लेकिन यह तो मैंने जैसे कहा पुल बांध दिया और एक सड़क निकाल दी जिसके कारण पानी रुक गया और उस पानी के कारण वहां पर बाढ़ आई मैं चाहता हूं कि आइंदा के लिये सरकार इस किस्म की योजना बनायें जिससे कि नदी का परमानेंट बहावा ठीक ठीक चैनल से हो ताकि जो उपजाऊ भूमि है वह काम में आ सके और इस किस्म की घटना भी भविष्य में न घटने पाये। यदि सुकेती खड को इस तरह से ठीक चैनल से ले जाने का प्रबन्ध किया जायेगा तो उसका परिणाम यह होगा कि भूमि बच जायेगी और उसमें खेती आदि ठीक तरह से की जा सकेगी। अभी तो नदी और भूमि तकरीबन एक ही तल पर हैं। उसके लिये अभी तक कोई चैनल नहीं बनाया गया। उसमें हमेशा बहुत थोड़ा पानी रहता है। पानी वहां पर बरसात के दिनों में ही जमा होता है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। जैसे मैंने कहा वहां जंगल कट चुके हैं और उसकें कारण पानी एक दम से इकट्ठा हो जाता है। यह पानी भी रात को इकट्ठा हुआ और जो बाढ़ आई वह भी रात के समय आई। रात को लोग सोये हुये थे और सोये सोये ही वे काल की गाल में चले गये। उन बेचारे गरीब लोगों को भाग कर जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि सरकार फौरन उन लोगों को बसाने का प्रबन्ध करे। बाकी देश में तो लोग पढ़े लिखे हैं। जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि इतना नुक्सान नहीं हुआ जितना शोर हुआ, लेकिन वहां तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई वहां की खबर लेने वाला नहीं, कोई शोर शराबे की बात नहीं। माना कि सरकार की तरफ से हेलिकाप्टर की मांग हो रही है, लेकिन वहां तो लोग मर भी चुके हैं, पानी भी उतर गया है और पता नहीं कि उन के साथ क्या क्या गुजरी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस जगह के लिये भी थोड़ा ध्यान दे और उस के लिये प्रबन्ध करे।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अपील करूंगा कि पुनः वह उस इलाके की ओर ध्यान दे और जो भी सहायता उस इलाके की हो सकती है उसे करने की कृपा करे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : उड़ीसा में, इस वर्ष जैसी बाढ़ आई है वैसी कभी नहीं आई। इस बाढ़ के कारण वहां सड़कों में छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग ५०० स्थानों पर दरार आ गई हैं। १६६ स्थानों पर नदियों तथा नहरों के बांध टूट गये हैं। लगभग एक लाख व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं। २० से ३० लाख एकड़ भूमि की फसलें बह गई हैं। उड़ीसा की लगभग ५० प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई हैं। सरकारी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ४९ व्यक्ति मर गये हैं। ऐसा कहना, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, गलत है कि बाढ़ों तथा उनसे होने वाली क्षति के समाचारों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, या लोग इनसे जरूरत से ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन बात कुछ दूसरी ही है। प्रधान मंत्री बार बार कहते हैं कि मैं बाढ़ों से नहीं डरता, यह तो ठीक है, लेकिन जब इनके कारण लोग बेघरवार हो जाते हैं तथा बहुत सी मृत्यु हो जाती है लोग डरने लगते हैं। बाढ़ों से केवल पीड़ित क्षेत्रों के व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को ही क्षति नहीं होती बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को क्षति होती है।

इस बहाने की आड़ नहीं ली जा सकती कि बाढ़ अचानक आती है। देखा गया है कि हर साल हर स्थान पर बाढ़ें पहले की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रही हैं। विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्रों में। फिर भी सरकार ऊंघ रही है।

सरकार ने यह नहीं बताया है कि जलाशय बनवाने के अतिरिक्त बाढों को रोकने के लिये उसमें और क्या उपाय किये हैं। यदि बाढ़ों की भयंकरता को रोकना है तो नदियों की कीचड़ व रेत को निकालना बहुत आवश्यक है। पर सरकार ने इस काम की ओर बहुत कम ध्यान दिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रणुचक्रवर्ती]

है। नदियों के मुहाने से कंकड़ तथा रेत आदि निकाला जाना चाहिये और नदियों द्वारा फैलाये गये अतिरिक्त पानी में गन्दगी तथा नालियों के पानी को नहीं मिलने देना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये नाली व्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है — यह इस समय बहुत दोषपूर्ण है।

हम योजनाओं की बात करते हैं। मेरा विचार है कि सारे देश के लिये एक ही योजना होनी चाहिये हर राज्य के लिये अलग-अलग से मास्टर योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

बन्धों और पुलों को मजबूत बना कर तथा उनकी आवश्यक मरम्मत करा कर सरकार को बाढ़ों को रोकने के लिये समुचित सावधानी बरतनी चाहिये।

उड़ीसा में इन बाढ़ों का प्रभाव शहरों पर अधिक नहीं पड़ा है लेकिन हजारों एकड़ भूमि तथा गांव के गांव जलमग्न हो गये हैं। अतः लोग बड़ी विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। जहां तक बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का प्रश्न है, सरकार को तुरंत परीक्षणात्मक सहायता उपाय शुरू कराने चाहिये। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता का प्रबन्ध किया जाना चाहिये और चावल के मूल्य में सरकारी सहायता दी जानी चाहिये। रवी फसल के लिये किसानों को तकाबी ऋण दिया जाना चाहिये। और बाढ़ उतरने के बाद उन्हें बीज दिये जाने चाहिये।

यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि बाढ़ अनिवार्य है। अतः सुयोजित योजना बना कर इन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े और देश हर वर्ष आने वाली इन बाढ़ों से छुटकारा पा सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, अभी आपने उड़ीसा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जिक्र सुना और कल पंडित जी की तकरीर भी सुनी जिसकी आज हमारी बहिन श्रीमती रेणुचक्रवर्ती ने तनकीद की है।

मैं सबसे अव्वल गवर्नमेंट का और खास तौर से पंडित नेहरू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐसी मुसीबत के वक्त में रोहतक के वास्ते इतनी बड़ी मदद भेजी, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एअर के जरिए दो लाख बोरे मिट्टी के वहां गिराये गये और भी डाले जा रहे हैं और मालूम होता है कि रोहतक की सिचुएशन पहले से किसी कदर बेहतर हो गई है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट शहरों की परवाह करती है उस तरह गांवों की परवाह नहीं करती। जो हालत गोहाना और उसके गांवों की है और जो हालत हांसी और उसके गांवों की है वह इतनी खराब है कि नागुफ्ताबे है। अल्फाज में इतनी ताकत नहीं कि वहां का हाल सही तौर पर बयान किया जा सके। इसके अलावा मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं कि वहां घग्घर में फ्लड आ गया है और सारे गांवों में पानी कई कई फुट भरा है। फसलें गईं, मकान गए और लोग मुसीबत में हैं लेकिन उस जगह का नाम तक अखबारों में नहीं आया। इन अखबारों से भी बड़े-बड़े शहरों को फायदा पहुंचता है और उनको फायदा पहुंचता है जिनका इनसे ताल्लुक होता है।

एक माननीय सदस्य : सिंगरूर और पटियाले की भी तो यही हालत है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सिंगरूर, पटियाला के कुछ हिस्सों में और भटिंडा के इलाके में भी यही हालत है और वे इलाके भी इमदाद के मुस्तहक हैं जैसा कि रोहतक है या हांसी है या और

कोई जगह है। जिन लोगों को तकलीफ है उनके अन्दर किसी किस्म की तमीज़ नहीं की जा सकती ।

आज उड़ीसा की हालत को सुनकर कलेजा मुह को आता है। अभी मैंने और जगहों का जिक्र सुना। हिमाचल प्रदेश के बारे में जो सुना वह दिल को हिला देने वाला है, लेकिन अखबारों में उसका जिक्र नहीं आता। थोड़ी सा मंडी का जिक्र आया है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि उसको इस मामले की जामा तहकीकात करानी चाहिये और जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है उनको मदद दी जाए ।

लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। उड़ीसा के फ्लड्स में और दूसरी जगहों के फ्लड्स में थोड़ा फर्क है। उड़ीसा में जो फ्लड आया है वह नैचुरल काज़ेज से आया है जिसके बारे में पंडित जी ने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि चूंकि वहां पर ऐसी आफात आई हैं जो कि इन्सान के काबू से बाहर की हैं इसलिये वहां पर इमदाद न पहुंचाई जाए। लेकिन जहां गवर्नमेंट के अपने फेल से, जहां गवर्नमेंट के अफसरों के क्रिमिनल नैगलिजेंस की वजह से आफात आयी हैं वहां के लिये गवर्नमेंट का फर्ज है कि उन जरायम के लिये जो कि उसके इंजिनियरों ने किये हैं खास तौर पर एटोनमेंट करे।

मैं रोहतक के फ्लड के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सन् १९३३ में रोहतक में फ्लड आया था और वह बड़ा सख्त फ्लड था। उस जमाने में इस इलाके में पानी दिखाई नहीं देता था और यहां अगर पानी बरसता था तो लोग दुआएं देते थे। और वह इलाका सूखा पड़ा रहता था जब कि भाखरा डैम नहीं बना। उस इलाके में फ्लड क्यों आया। रोहतक में सन् १९३३ में फ्लड आया वह कहां से आ गया। उस वक्त भी इसी ड्रेन का झगड़ा था, ड्रेन नम्बर आठ का जिसकी कैपेसिटी ७०० क्यूसेक्स की है और जिसमें अब ३००० क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। उस वक्त भी बहुत सा इलाका पानी के नीचे आ गया था। मैं उस वक्त हिसार में प्रेक्टिस करता था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को क्या आफत थी। उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि दर-अस्ल ड्रेन नम्बर ८ की वजह से यह फ्लड आया है। उसके तीन चार बरस बाद फिर उसी ड्रेन नम्बर ८ के बायस आफ़त आई। एक बार मैं अपनी मोटर से दिल्ली आ रहा था कि मैंने देखा कि ड्रेन नम्बर ८ की वजह से गांव के गांव ज़ेरे-आब हैं और मुझे राउंड एबाउट कर के आना पड़ा। यह बात नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ड्रेन नम्बर ८ रोहतक को और आस पास के इलाके को तबाह कर देगी। मैंने अभी अपने दोस्त, श्री दौलता, की तक़रीर सुनी है कि झज्जर के इलाके में और दूसरे इलाकों में ड्रेन नम्बर ८ का जो असर हुआ है, वह बयान नहीं की जा सकती है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस इलाके में जितनी आफ़त आई है, उस की डायरेक्ट ज़िम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की और उस के इंजीनियरों की है। उनको मालूम था कि यह आफ़त आ सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो इतनी आफ़त आई है और इतना नुक्सान हुआ है, तो उसकी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है, या गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की है, जिस के मातहत सारे मुल्क के काम होते हैं और जिसकी ओवर-आल रेसपांसीबिलिटी है सब बातों के लिए ।

जहां तक हांसी के इलाके का ताल्लुक है, वहां मेरा अक्सर जाना होता है। वह नशेब में वाके है। हर साल जब बारिश होती है, तो हांसी टाउन के चारों तरफ़ पानी रहता है। वहां हमेशा मलेरिया बड़ा सख्त होता है। लेकिन इस मर्तबा फ्लड क्यों आ गया? यहां से अगर आप मोटर से उधर तशरीफ़ ले जायें, तो वहां जाते ही पता लगता है कि हांसी का इलाका

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और तरह का है। हांसी के इलाके और उससे दस मील परे नारनौल के इलाके को ज़िला हिसार का काश्मीर कहते हैं, क्योंकि वहां पुरानी नहर है, वहां के लोग बहुत मुतव्वल हैं, उनके बड़े आलीशान मकान हैं और वे बड़े आराम से रहते हैं। वह एक ऐसा इलाका है, जहां लोग दौलतमन्द होते थे। कुछ अरसा पहले मैंने वहां जा कर देखा कि उन की सब दौलत ख़त्म हो गई और वे लोग गेहूं की जगह राइस खाने लगे हैं। वहां पर सेम आ गया, पानी आ गया। क्यों आ गया, मैं उस पर गवर्नमेंट को दोष नहीं देता हूं। पुराने ज़माने के इंजीनियर यह नहीं जानते थे कि जब तक नहर के किनारे ईंट या सीमेंट न लगाया जाये, तब तक उसमें से पानी के सीपेज का ख़तरा है। पंजाब की बहुत सी नहरें ऐसी बनी हैं, जो सीपेज का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। बहुत पानी आने की वजह से नतीजा यह हुआ कि वहां पर वाटर-लागिंग हो गया और पानी का लेवल इतना ऊपर हो गया कि एक गज ज़मीन खोदने से पानी मिल जायगा। इस हालत में एक लाख एकड़ ज़मीन में वाटर लागिंग हो गया है। भाखरा बांध से हम लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा था, वह सब वाटर-लागिंग की वजह से ख़त्म हो गया। वाटर-लागिंग से हम को बहुत नुक्सान हुआ। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मांगा। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने मन्जूरी भी दी और कुछ रुपया भी दिया। इस के साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने बाहर से एक्सपर्ट बुलाये। चन्द एक्सपर्ट हांसी में आए। हम को उम्मीद थी कि अब यह मुसीबत ख़त्म हो जायगी, लोग खुशहाल होंगे और यह तक्लीफ दूर हो जायगी। उन्होंने कहा कि इस पानी को निकालो और निकाल कर नहर के दोनों तरफ़ डाल दो, यह पानी बह जायगा और सीपेज ख़त्म हो जायगा। उस वक्त उन को यह मालूम नहीं था कि वे जो कर रहे हैं, आगे चल कर वही एक आफ़त बन जायगी। उन्हों ने उस वक्त यह नहीं सोचा। वहां इंजीनियर्ज़ आए, मिनिस्टर आए और गवर्नर साहब भी आए, हम को कहा गया कि अब यह आफ़त हट जायगी। उन्होंने उस वक्त नाले तो खोद दिए, लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया, उस को अधूरा छोड़ दिया। जो नाले हमारे फ़ायदे के लिये बनाये गये थे, उन्हीं में आस-पास का पानी इकट्ठा हो कर हांसी को ग़र्क कर गया। हांसी में हजारों मकान गिर पड़े। उस के आस-पास के इलाके के गांव पानी में डूबे पड़े हैं। उन के डंगर दूसरी जगह चले गए हैं और वहां बड़ी आफ़त आ रही है। झज्जर के आस-पास के कितने गांव आज भी दस पंद्रह फ़ीट पानी में हैं। वहां के लोग भाग गए हैं। उन की सब फ़सलें तबाह हो गई हैं। ये वही फ़सलें थीं, जो ग्रो मोर फूड और फूड की सैल्फ़-सफ़िशेन्सी में मदद देतीं। करोड़हों रुपए की खड़ी फसलें बरबाद हो गई हैं।

सवाल यह है कि अब गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ है और गवर्नमेंट क्या करे। सब से पहले तो वह एक फैक्चुअल एन्क्वायरी कराये। गवर्नमेंट ने रोहतक के लिए जो कोशिश की है, उस के लिए हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन हांसी में कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई है। लेकिन ताहम जो हुआ, सो हुआ। अब शायद पानी आना बन्द हो जाए, लेकिन फिर भी इस बात की इन्क्वायरी कराई जाये कि कहां-कहां मदद की ज़रूरत है। मदद की कई क़िस्में हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने रुपये और तरकीबों के बारे में एनाउंसमेंट की है। लेकिन वे बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। मैं मानता हूं कि जब फ़सल नहीं होगी, तो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक उस साल का, उस फ़सल का लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जायगा, लेकिन यह लैंड रेवेन्यू रेमिट किया जाना चाहिये। अगर अगली फ़सल कुछ अच्छी भी हुई, तो भी उस को पोस्टपोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिये लैंड रेवेन्यू शुड बि रेमिटिड आउटराइट।

इसके अलावा जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, वे एक दम तो अपने मकान नहीं बना सकेंगे। हमारे यहां कच्चे मकान होते हैं। वहां की जमीन इतनी उमदा है कि एक एक मकान सौ बरस तक रह सकता है, हालांकि ऊपर सिर्फ़ गोबरी फिरती है, और कुछ नहीं होता है। वे मकान गिर गए हैं और वहां के लोग होमलैस हो गए हैं। जहां पर लोगों के मकान गिर गए हैं, उन को पूरी इमदाद दी जानी चाहिये, ताकि वे अपने मकान बना सकें। जिन के डंगर जाया हो गए हैं, वे खेती से मेहरूम हो गए हैं। उन के गल्ले के स्टोर खत्म हो चुके हैं। अगली फ़सल में इस्तेमाल के लिए उन को सब्सीडाइज्ड बीज दिए जाने चाहियें और डंगरों के लिए तकावी लोन देना चाहिये।

रोहतक में खाने-पीने की दिक्कत हो गई है। वहां कुछ कैम्प खुल गए हैं। पब्लिक को-आपरेशन होती है और चन्दे की फ़ेहरिस्त खुल गई है। लेकिन गांवों के लिए कहां चन्दे की फ़ेहरिस्त खुली है? वहां के लिये कतई कोशिश नहीं की गई है। व बेचारे सैल्फ-हैल्प से रहते हैं। वे बहादुर लोग हैं और अपना इन्तजाम खुद करते हैं। उन की इमदाद करना हमारा सब से पहला फ़र्ज़ है। इसलिये गवर्नमेंट को उन के लिए कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को कम से कम यह कुफ़ारा करना चाहिए कि उस को ड्रेन नम्बर ८ का पूरा और तसल्लीबख्श इन्तजाम करना चाहिये। वहां हमारे यहां का पानी नहीं है। न जाने कहां का पानी आ गया है। वह रोहतक जिले का पानी नहीं है। वह कैथल और अम्बाले का पानी है, जो कि ड्रेन नम्बर ८ में आ गया है, जो कि पहले नहीं आता था, लेकिन इंजीनियरों की मेहरबानी है कि यह रास्ता देखा गया और इधर के सारे के सारे गांव तबाह हो गए हैं।

जहां तक सेम का ताल्लुक है, वह तो नहीं हटा, कुछ और ही बन गया है। गवर्नमेंट ने वाटरलागिंग के बारे में जो काम शुरू किया था, कम से कम एक ज़िले में तो वह उस को ख़त्म कर देती, तो यह आफ़त न आती। अब इस बड़ी आफ़त से और मुसीबत आ गई है। यह पानी कहां जायगा? कहीं नहीं जायगा। कम से कम इस का पूरा, काफ़ी, तसल्लीबख्श और पर्मानेंट इन्तज़ाम किया जाये। इस तरीके से इन्तजाम करने का कोई फ़ायदा नहीं कि फ्लड आया और यहां से फ़ौज जा रही है। पंडित जी गए, इसलिये हम बड़े मशकूर हैं। इतना काम होते हुये भी संध्या के वक्त वह हवाई जहाज़ में उड़ कर वहां गए। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह कोई पर्मानेंट इलाज नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट को इस सिलसिले मे इन्ट्रोस्पेक्शन करना चाहिये और सोचना चाहिये कि उस के इंजीनियरों की मेहरबानी से, उनकी ग़फ़लत से सेम के मुताल्लिक काम को उस इलाके में पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये दो आफ़तें आई है।

ये जो दो आफ़तें आई हैं, ये मैन-मेड हैं। किस को सज़ा दी जायगी? किसी को सज़ा नहीं दी जायगी। मैं समझता हूं कि इस का कुफ़ारा इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों को इमदाद पहुंचायें, आईन्दा के लिये भी मदद करें और इन दोनों चीजों का बिल्कुल ठीक इन्तजाम कर दें। मुझे पटियाला और संगरूर के लोकल हालात का पता नहीं है है इसलिये मैं वसूक से नहीं कह सकता हूं कि वहां किस वजह से आफ़त आई है। लेकिन अगर वहां भी वजूहात मैन-मेड हैं, तो सब से पहले उन चीजों को रोका जाना चाहिये, जिन की वजह से फ्लड्स आते हैं। परमात्मा ने हमारा इलाका ऐसा बनाया है कि चाहे कितनी बारिश हो, वहां पर ये आफ़तें नहीं आ सकतीं। वहां पर हमेशा बारिश की कमी रहती है। लेकिन ये आफ़तें आई हैं सरकार की मेहरबानी से और उन लोगों की मेहरबानी से, जिन्होंने उस वक्त ये बातें नहीं सोचीं, जिन्होंने उस वक्त फ़ोरसाइट इस्तेमाल नहीं किया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम इन इलाकों में गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और भी ज्यादा है, बमुकाबले उन इलाकों के, जहां पर नैचरल आफ़तें आई हैं। मैं समझता हूं कि नेचरल आफ़तों में भी कोई तमीज़ नहीं की जा सकती है। यह कहा जाता है कि इन से लोगों को फायदा भी होगा। अंग्रेजी में कहा जाता है, दि किंग इज डैड, लांग लिव दि किंग। जो लोग आयेंगे, उन को फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग आज तक्लीफ़ में हैं, वे इस बात के मुस्तहक हैं कि जितनी जल्दी हो सके, उन की मदद की जाये। इस मामले में इस तरह का काम्प्लेसेंट एटीच्यूड और स्टायकल एटीच्यूड हरगिज़ ठीक नहीं है। जो स्टेट अपने आप को वैलफ़ेयर स्टेट कहती है, जो हर एक चीज़ की मालिक बनी हुई है, जो हर एक मामले में प्लानिंग करती है, उस को इस तरह की आफ़त के मौके पर जो भी मदद हो सके, वह करनी चाहिये और दिल खोल कर करनी चाहिए।

तीस बरस पहले जब रोहतक में इस तरह की आफ़त आई, तो कलकत्ते से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी आ गई, हिसार के लोग खाना कपड़ा ले कर पहुंच गए, लेकिन अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद लोगों में सैल्फ-हैल्प की, को-आपरेशन की, मदद देने की और ऐसे मौकों पर चन्दा देने की आदत कम हो गई है और काफ़ी कम हो गई है। लोग कोशिश नहीं करते हैं। वे समझ समझते हैं कि यह गवर्नमेंट का फ़र्ज है, वह इसको अदा करेगी और गवर्नमेंट समझती है कि यह सब नेचर की वजह से हुआ है और लोग इस काम को करेंगे और इसका नतीजा यह होता है कि पूरी इमदाद लोगों की नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने दिल को टटोले और जो आफ़त आई है, उस पर काबू पाने के लिये जितनी भी मदद दी जा सकती हो, दी जाए।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैंने विमान द्वारा प्रधान मंत्री की तरह बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का ९० मिनट का दौरा नहीं किया है, मैं उन क्षेत्रों में आठ दिन तक रहा हूं और वहां की वस्तुस्थिति अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मेरे विचार से वहां की जनता पर जो संकट पड़ा है वह बहुत सोचनीय और दुखद है। मेरे कहने का यह आशय कदापि नहीं है कि इस विपत्ति को रोका जा सकता था, तथापि बाढ़ सम्बन्धी समितियों और विशेषज्ञों ने जिन कमजोर स्थानों की ओर संकेत किया था उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग डेल्टा के क्षेत्र में आता है वहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस वर्ष उस क्षेत्र में भी बाढ़ आई जो इस क्षेत्र से बाहर है। वे लोग बाढ़ के कभी आदी नहीं थे, इस अप्रत्याशित बाढ़ से उनका सब कुछ बह गया और दुख इस बात का है कि वहां नावें, आपात कालीन सहायता की व्यवस्था खाद्य पदार्थ, बालू के बोरे इत्यादि कुछ भी नहीं थे। कई स्थानों पर बन्ध टूट गये, ८ तारीख जब से यह बाढ़ आ रही है, लोग वहां लगभग भूखे रह रहे हैं। उन के पास खाद्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः खाद्य संबंधी जोन बनाये जाने के कारण उन के पास स्थानीय रूप से कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं। वे कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं इसलिये वे केवल सरकारी सहायता पर ही भरोसा रख रहे हैं।

१९५८ में उच्चस्तरीय बाढ़ समिति ने अपने प्रतिवेदन में उड़ीसा में बाढ़ के बारे में कोई नई सिफ़ारिश नहीं की थी। समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि सर एम० विश्वेश्वरैय्या समिति ने जो सिफ़ारिश की थी वह सही थी और उसी दिशा में काम कर बाढ़ संबंधी खतरों से बचा जा सकता है। यद्यपि हीराकुड बन्ध बनाया गया तथापि तब से भी उड़ीसा

†मूल अंग्रेजी में

में दो बार बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि ब्राह्मनी और और बैतरणी नदी की ओर काफी ध्यान देना चाहिये। तथापि इस संबंध में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सब से बड़ी दरार सुआयला नदी में जैनापुर के पास आई है। वहां के लोग अभी तक पहाड़ियों या बंध की दीवारों पर चढ़े हुये हैं, उन के मकान बिल्कुल बह गये हैं। उनका यह विचार है कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है और हमें भारतीय नहीं समझती है। तथापि सरकार ने उन के लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उक्त उच्चस्तरीय समिति ने यह पहिले ही बता दिया था कि जैनपुर में बंध के टूटने का खतरा है तथापि उस के लिये कुछ नहीं किया गया। ब्राह्मनी और बैतरणी के बंधों की कोई मरम्मत इत्यादि नहीं की गई है और इसी कारण अधिकतर वहीं के बंध टूटे हैं और तबाही हुई है। माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा है कि बंधों के टूटने का कारण यह है कि बाढ़ का ऊंचा पानी उन बन्धों से ऊपर हो कर बहने लगा फलस्वरूप बांध टूट गये। मैं स्वयं वहां जा कर देख कर आया हूं, बंधों में दरार आने का कारण यह है कि उन से हो कर पानी पहिले से ही रिसता था। उनकी मरम्मत नहीं की गई थी। वस्तुतः इन दरारों के आने का कारण उपेक्षा और विभाग की असावधानी थी।

तथ्य यह है कि ब्राह्मणी और बैतरणी की पूरी दूरी तक बन्ध नहीं बनाये गये हैं जहां बन्ध नहीं हैं वहां के लोग केवल अपने भाग्य के भरोसे जीते हैं। इस समय वहां स्थिति यह है कि बाढ़ का पानी ८ अगस्त से लेकर अभी तक नहीं उतरा है, लोगों की जमीनें या तो बह गई हैं या बालू से दब गई हैं, वे पूछते हैं कि हम क्या करेंगे? मेरे विचार से वहां से पानी दिसम्बर तक नहीं घटेगा, ऐसी स्थिति में यह फस्ल तो समाप्त हो ही चुकी है आगामी फस्ल भी उगाई नहीं जा सकती है, अतः उन के भोजन का प्रबन्ध करना आवश्यक है। अतः केन्द्रीय सरकार को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इन लाखों लोगों के पुनर्वास का काम अपने हाथों में लेना चाहिये और इसे असामान्य दशा मान कर सहायता संबंधी शर्तों की पाबन्दी पर ध्यान न देकर तत्काल सहायता देनी चाहिये।

उड़ीसा की जनता की यह भावना कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, बहुत हद तक सही है क्योंकि यद्यपि पिछले महीने की १६ तारीख को रेल की पटरी बाढ़ के कारण पानी से डूब गई थी लेकिन आज तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। किसी प्रकार की सैनिक सहायता भी नहीं दी गई है, यह कहना गलत है कि वहां सैनिक सहायता नहीं पहुंच सकती थी, जब तक वहां रेल की लाइन की मरम्मत नहीं की जायेगी तब तक उड़ीसा का संबंध देश के अन्य भागों से नहीं जुड़ सकेगा।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा की बाढ़ संबन्धी समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाय। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में इस प्रकार व्यय किया जाय जिस से न केवल वर्तमान समस्या का उपचार हो सके अपितु भविष्य में भी बाढ़ों की तबाही रोकी जा सके।

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्य इस विषय में बहुत चिन्तित हैं कि सरकार बाढ़ों को रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है, और जो कार्यवाही की जायेगी या की जा रही है, वह कहां तक इन बाढ़ों को रोकने में समर्थ हो सकेगी।

सभा को ज्ञात है कि बाढ़ नियंत्रण के संबंध में पहिला वक्तव्य माननीय मंत्री द्वारा १९५४ में दिया गया । इस के पश्चात् से ही बाढ़ों को रोकने का काम राष्ट्रीय आधार पर किया गया। इस के पूर्व बाढ़ों से सुरक्षा संबंधी सारा कार्य राज्य सरकारें स्वयं करती थीं, अब भी योजनाओं को अमल में लाने का कार्य राज्य सरकारें ही करती हैं। तथापि हम यह नहीं कह सकते कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं है। देश में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड भी है, तो राज्यों के अपने अपने राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड भी हैं । राज्य अधिकारी भी बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों पर विचार करते हैं केन्द्र उनको उचित टैक्नीकल जानकारी व वित्तीय सहायता देती है ।

१९५४ में सरकार ने पहली बार इस समस्या की व्यापकता और गम्भीरता पर विचार कर एक कार्यक्रम की स्वीकृति दी । इस कार्यक्रम के दो अंग थे, एक अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन । तत्कालिक योजना दो वर्ष में समाप्त होनी थी और उस में दो वर्ष का समय लगता । इस अवधि में योजनाओं के संबंध में गहन जांच की जानी थी और उस के संबंध में आंकड़े एकत्र किये जाने थे । तत्पश्चात् एक व्यापक योजना तैयार कर उस के अनुमानित आंकड़े और नक्शे तैयार किये जाने थे जिनका उपयोग अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में किया जा सके ।

दूसरे प्रक्रम में नदी के किनारों पर रोकने की दीवारें या बंध बनाने का काम रखा गया था जो कि चार या पांच वर्ष में समाप्त हो जाय। इस प्रकार यह प्रक्रम दूसरे वर्ष समाप्त हो कर छटे या सातवें वर्ष तक रहना था । इस प्रकार का कार्य उन सभी क्षेत्रों में किया जाना था जहां आज कल बाढ़ें आई हुई हैं।

तीसरे प्रक्रम में कुछ चुने हुए कार्य किए जाने थे । यथा पानी इक्ट्ठा करने के लिये कुछ जलाशय, कुछ नदियों की शाखायें और जहां आवश्यक हों वहां बंध इत्यादि का निर्माण ।

किसी एक तरकीब से बाढ़ों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है । प्रत्येक मामले पर उस के गुणावगुणों के आधार पर विचार करना होता है। जिस समय हमने यह समस्या अपने हाथ में ली उस समय हमारे पास आंकड़ों एवं जानकारी का अभाव था। इसलिये १९५४ से अब तक सरकार सभा में कभी यह आश्वासन नहीं दे सकती कि अमुक अवधि के भीतर वह बाढ़ों पर नियंत्रण पा लेगी । तथापि सरकार ने जांच संबंधी कार्य करना और अल्पकालीन योजनाओं पर काम करना आरम्भ कर दिया । सरकार यथासंभव जहां भी आवश्यकता है बंध बना रही है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

स समय पंजाब हिमाचल देश और उड़ीसा में गंभीर बाढ़ें आई हुई हैं। मुझे प्रभावित लोगों के ति पूरी सहानुभूति है । हमें उन्हें बाढ़ के चंगुल से मुक्ति

†मूल अंग्रेजी में

दिलाने और उन्हें यथाशक्ति सहायता देने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का भाषण बहुत आवेशपूर्ण था और उन की यह भावना थी कि उड़ीसा की उपेक्षा की जा रही है। निसंदेह यह विपत्ति इतनी भयावह थी की जो जो भी देखता वही दहल जाता। तथापि ऐसे संकट के समय हमें अपने पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिये। हमें आवेश में न आकर समस्या को समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

बाढ़ें हमारे देश के लिये कोई नयी विपत्ति नहीं है। अत्यधिक प्रगतिशील देशों में भी बाढ़ें आती हैं और उन से हानि होती है। वे आधुनिक टैक्नीक और अत्यधिक व्यय करने में समर्थ होने के बावजूद भी इन को शत प्रति शत रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि हम बाढ़ से शत प्रतिशत सुरक्षा करने का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। तथापि माननीय सदस्यों ने यह जानने की रुचि दिखाई है कि हम ने इस अवधि के दौरान बाढ़ों के नियंत्रण क लिये क्या क्या कार्य किए हैं ?

हमें दलाई घई का उदाहरण लेना चाहिये, क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि वहां बनाई गई दीवारों से बाढ़ में रुकावट पैदा नहीं हुई। निसंदेह कुछ बंध वर्तमान बाढ़ की भीषणता को नहीं सह सके, तथापि फिर भी इन दीवारों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की।

डिब्रूगढ़ आसाम में भी बाढ़ को रोकने के लिये दीवारें बनाई गई तब भला यह कैसे कहा जा सकता है कि उन से अपेक्षित सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि काम उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से होना चाहिये था। इस संबंध में जहां तक उड़ीसा का संबंध है माननीय मंत्री दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं का उल्लेख कर चुके हैं। बाढ़ पर एक उच्चस्तरीय समिति यह बता चुकी है कि हमें उड़ीसा की बाढ़ों को रोकने के लिये क्या क्या करना चाहिये। समिति ने कुछ दीर्घकालीन योजनाओं की भी सिफारिश की है, इन में कुछ समय लगेगा। ब्राह्मणी, वैतरणी और सालीं नदी इत्यादि में जलाशय, बांध बंध, इत्यादि बनाने होंगे। तथापि ये सभी कार्य तत्काल नहीं किये जा सकते हैं।

उड़ीसा की मुख्य बाढ़ समस्या इस प्रकार है :

(१) ऊंची बाढ़ के फलस्वरूप नदियों के मुहानों के बंद हो जाने के कारण बाढ़ की सतह का बढ़ जाना और पानी का फैल जाना।

(२) नदियों के मुहानों पर बालू की दीवारों का बन जाना।

(३) किसी भी एक नदी क्षेत्र में अधिक बारिश हो जाने के कारण नदी क्षेत्र में कई नदियों का संयोग होने से बाढ़ आ जाना।

(४) समुद्र के खारी पानी को खेतों में घुसने के लिये बनायी गई दीवारों के कारण गंदे पानी की निकासी का रुक जाना।

समिति ने एक एक कर महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा पर विचार किया। समिति ने १९५८ में अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इस बीच जांच पड़ताल चलती रही। समिति ने उड़ीसा की सरकार द्वारा किये गये कार्य का समर्थन किया।

[श्री हाथी]

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि बाढ़ संबंधी कार्य पूरे क्यों नहीं हुए। इसका उत्तर यह है कि हमने यह कार्य १६५४ में प्रारम्भ किया था, २ वर्ष तक जांच संबंधी कार्य चलता रहा। मेरे विचार से हमारे लिये यह कहना भी सम्भव नहीं होगा कि आगामी ६ या ७ वर्षों में हम बाढ़ से ७० या ६० प्रतिशत सुरक्षा कर सकते हैं। केवल यह कहा जा सकता है कि हमें बाढ़ से यथासंभव अधिक सुरक्षा देनी चाहिये।

इस समय ब्राह्मनी, वैतरणी और सालिन्दी में अचानक बाढ़ आ गई। यद्यपि इन बन्धों का निर्माण १८६६ में कर दिया गया था, तथापि उन की सदैव मरम्मत होती रहती थी। १६५५ की बाढ़ से यह ज्ञात हुआ है कि वे बाढ़ का सामना करने के लिये पर्याप्त मजबूत नहीं हैं अतः उनको और मजबूत और ऊंचा बनाया जाय। अतः आवश्यकतानुसार उन्हें ऊंचा बनाया गया।

इस वर्ष तालचेर में पानी की सतह १६५५ की अपेक्षा १० फीट ऊंची हो गई। अन्य स्थानों में यह सतह ३ फीट ऊंची रही। इस वर्ष सारी नदियों के क्षेत्रों में बहुत वर्षा हुई और वर्षा तथा बाढ़ की सारी अधिकतम सीमाओं का उल्लंघन हो गया। इसलिये इन में दरारें आ गईं। हम ऐसी कोई प्रतिभूति नहीं दे सकते ह कि भविष्य में ऐसा नहीं होने पायेगा।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि बाढ़ पीड़ित लोगों को किस प्रकार सहायता दी गई। इस संबंध में उड़ीसा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया गया था। १६५५ में पुनर्वास और सहायता राशि देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। निसंदेह बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को अच्छे बीज व तकावी इत्यादि दी जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के १६५५ में भेजे गये पत्र में यह लिखा गया है कि यह वित्तीय सहायता किस रूप में दी जा सकती है। यह सहायता मनमाने रूप से नहीं दी जाती है। इस में यह व्यवस्था की गई है कि सहायता राशि के कुल व्यय का आधा यदि वह २ करोड़ तक है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा, यदि वह राशि २ करोड़ से अधिक है तो उसका तीन चौथाई भाग अनुदान के लिये दिया जायेगा।

जब उड़ीसा की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये अपील की, तो केन्द्रीय सरकार ने १ करोड़ रुपया ऋण के रूप में और १ करोड़ रुपया अर्थोपायों के रूप में दिया। यदि इस से भी अधिक व्यय किया जायेगा तो वह भी उक्त सूत्र के आधार पर दिया जायेगा।

हिमाचल और पंजाब भी इसी आधार पर वित्तीय सहायता के अधिकारी हैं। अतः यह नहीं कहना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता नहीं कर रही है। केन्द्रीय सरकार के पास इतने अधिकारी नही हैं कि वे बाढ़ संबंधी काम के लिये सभी राज्यों में भेजे जा सकें। इस संबंध में कई आयोग हैं और उड़ीसा मध्य भारतीय जल क्षेत्र समिति के अन्तर्गत है। इस समिति में सिंचाई और रेलवे विभाग के इंजीनियर भी शामिल हैं। कभी कभी रेल या मोटर गाड़ी पुलों से बाढ़ के पानी को बहने में रुकावट होती है। उस समय इन सभी कामों को समायोजित तरीके से निपटाना होता है। ये समितियां स्थिति पर सदैव निगरानी करती रहती हैं। निसंदेह वास्तविक कार्य के प्रारम्भ होने और पूरा करने में कुछ समय लगेगा। फिलहाल हमने तात्कालिक सहायता दे दी है, जो ५०-६० नगरों को खतरा था उन्हें बचा लिया गया है।

उदाहरण के लिये कोसी बंध के दूसरी ओर के निवासी इस समय निश्चित हैं लेकिन पहिले प्रत्येक मानसून के पश्चात् उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाता था। निसंदेह बाढ़ संबंधी कार्यों के नतीजे तत्काल प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

पंजाब के सम्बन्ध में यह चर्चा उठाई गई है कि रोहतक की ओर अधिक ध्यान दिया गया और हिसार की उपेक्षा की गई। जहां कहीं भी संकट आता है और टैक्नीकल जानकारी की आवश्यकत होती है, भारत सरकार यथासंभव वित्तीय तथा अन्य सहायता करती है। कल मैंने अपने ज्येष्ठ सहयोगी के साथ पंजाब में हिसार, पटियाला, रोहतक, सोनीपत व कर्नाल तथा अन्य बाढ़ ग्रस्त इलाकों की उड़ान की। अतः किसी विशेष स्थान को अधिक महत्व देने की भावना भ्रामक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह शिकायत की है कि हमें तत्काल जानकारी नहीं दी जाती है। तथापि यदि राज्य सरकारें हमारे पास कोई सूचना नहीं भेजती हैं तो हम अपने विशेषज्ञों को जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजते हैं। उड़ीसा के बाढ़ सम्बन्धी प्रभारी मुख्य इंजीनियर वस्तु स्थिति का सही पता लगाने के लिये एक सप्ताह के लिये उड़ीसा गये। हमें वस्तुतः यह मालूम होना चाहिये कि वस्तु स्थिति क्या है, जिससे हम विचार कर सकें कि क्या काम करना है? माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उन पर टैक्नीकल दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा। हम उस कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते जा रहे हैं जो मैं अपने भाषण के प्रारम्भ में बता चुका हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, हमें राष्ट्रीय विपत्तियों को साधारण नहीं समझना चाहिए; बाढ़ें चाहे उड़ीसा में आई हों या बंगाल अथवा पंजाब में, उनका बुरा प्रभाव समूचे देश पर पड़ता है।

श्रीमान्, केन्द्रपाड़ा के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का शौक जड़ी बूटियां इकट्ठा करना है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वे बाढ़ों के कारण इतने खिन्न क्यों हैं? किन्तु उत्तेजना से हमें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। क्या बाढ़ों के लिए श्री हाथी उत्तरदायी हैं? वस्तुतः उड़ीसा बंगाल के निकट है, यदि कहीं यह राजधानी के निकट होता तो बाढ़ों को देखने वहां भी अनेक मंत्री चले गये होते।

मुझे प्रधान मंत्री की यह बात सुनकर दुःख हुआ कि पंजाब, उड़ीसा आदि की जनता को बाढ़ों के प्रति शिकायत न करनी चाहिए क्योंकि वहां पर बाढ़ें तो आएंगी ही। यह ठीक है कि प्रधान मंत्री वर्षा पर नियंत्रण नहीं कर सकते पर जब जनता बाढ़ों से बेघर हुई पड़ी हो तो सहानुभूति के शब्द ही कहने चाहियें।

मैं तो यह समझता हूं कि जंगलों को काटने के कारण ही बाढ़ें ज्यादा आने लगी हैं। हम धन के लोभ में आ कर हिमालय के वृक्षों को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुड बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए ही बनाये गये थे परन्तु आज न जाने क्या हो गया है। मैं यह समझता हूं कि वनरोपण के लिये वनों को केन्द्रीय सरकार का विषय बनाने के प्रयोजन से क्या हमें संविधान में संशोधन करना होगा?

झारखंड क्षेत्र में पहले काफी वन थे परन्तु अब वहां साफ जमीन पड़ी हुई है। हम इस वनरोपण के काम के लिये प्रांतीय नेताओं पर विश्वास नहीं कर सकते। इस कारण यह काम केन्द्र को ही अपने हाथ में लेना चाहिये।

जहां तक बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता देने का सम्बन्ध है, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण से काम नहीं होना चाहिए। इस के अलावा मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

श्री हाथी को अपने योग्य सचिव के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये ताकि दु:खी लोगों को कुछ सहारा मिल सके।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : हमारे देश में बाढ़ें लगभग प्रति वर्ष आने लग गई हैं ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

इस कारण हमें इनकी रोकथाम के उपाय सोचने चाहियें। बाढ़ों की रोकथाम के लिये काफी धन की जरूरत है। राज्य सरकारें इतना प्रबन्ध नहीं कर पातीं। इस कारण मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश की सारी नदियों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिये।

१९५९ में बाढ़ सम्बन्धी एक समिति ने बाढ़ों की रोकथाम के लिए बांध बनाने तथा वृक्ष लगवाने आदि के अनेक सुझाव दिये थे पर उन्हें किसी भी राज्य ने कार्यान्वित नहीं किया।

उड़ीसा में बाढ़ों के कारण, धन-जन की अपार हानि हुई है। अब भी अनेक स्थान पानी में डूबे हुए हैं। पता नहीं वहां पर पानी कब सूखेगा।

उड़ीसा सरकार ने बाढ़ग्रस्तों को सहायता देने तथा सार्वजनिक चीजों की मरम्मत कराने के उद्देश्य से केन्द्र से ५,०७,००,००० रुपये के अनुदान की मांग की है। हमें आशा है कि सरकार इस प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। पंजाब की बाढ़ों में सैनिकों ने अच्छा काम किया किन्तु रेलवे बंद हो जाने के कारण सेना को उड़ीसा न भेजा जा सका। इस कारण हम प्रार्थना करते हैं कि तलचर तथा राउरकेला से कटक तक एक नयी लाइन का निर्माण किया जाय ताकि आपदकाल में इसका उपयोग हो सके। इसी तरह तार आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

श्री द्विवेदी ने कहा कि खाद्यान्न वर्ग बन जाने के कारण बाढ़ग्रस्त प्रदेशों की जनता के खाने के लिये चावल तक भी नहीं हैं; पर यह बात गलत है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ों की रोकथाम के लिये वह एकीकृत योजना बनाये तथा इसे कार्यान्वित करे।

†**श्री भंज देव** (क्योंझर) : यों तो उड़ीसा में आए वर्ष ही बाढ़ें आती हैं पर इस वर्ष बाढ़ों का रूप तनिक उग्र ही रहा है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदिया वहां पर काफी विध्वंस करती हैं। उन नदियों में बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिये जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता है परन्तु साधनों के अभाव के कारण केवल उड़ीसा ही यह काम नहीं कर सकता। इसलिये केन्द्रीय सरकार को भी उसकी सहायता करनी चाहिये।

ब्राह्मणी, वैतरणी तथा महानदी के क्षेत्रों में वनरोपण भी होना चाहिए। इस समय इन क्षेत्रों से वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटने से बाढ़ की प्राकृतिक रोकथाम हो ही नहीं सकती ।

उड़ीसा में बाढ़ों का दूसरा कारण यह भी है कि वहां रेलवे की पटरी काफी ऊंची बनाई गयी है। उससे पानी रुक जाता है और शीघ्रता से निलकता नहीं। इसलिये सरकार को पटरी के नीचे जल निष्कासन मार्ग बनाने चाहियें ताकि बाढ़ों के समय उन्हें खोला जाय और बाढ़ों का जल शीघ्रतापूर्वक निकाला जा सके। वस्तुत: हमारे यहां अच्छे टेक्निकल लोगों की भी कमी है। केन्द्र को यह कमी पूरी करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कहा जाता है कि सेना वहां इस कारण नहीं पहुंच सकी कि वहां जाने का रास्ता न रहा था ; यदि रांची तथा उड़ीसा की सड़कों का सुधार कर लिया जाय तो यह काम शीघ्र ही हो सकता है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

फिर भी पूर्वी कमान के सैनिक वहां पर दूसरे रास्ते से जा ही सकते थे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव): सभापति महोदय, बाढ़ें जहां कहीं भी आई हुई हैं वे सभी क्षेत्र हमारे लिये सहानुभूति के पात्र हैं चाहे वह पंजाब में हों, उड़ीसा में हों अथवा हिमाचल प्रदेश में हों ।

अभी कुछ दिन पूर्व जब पंजाब की बाढ़ के संबंध में हमारे माननीय सिंचाई मंत्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ने एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य में यह कहा था कि जितनी जानकारी अब तक प्राप्त हो सकी है उसके आधार पर मैं सदन को पंजाब की बाढ़ के संबंध में सूचना दे रहा हूं । लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं और मेरा अनुमान भी यह है कि पंजाब सरकार से संभवतः उनको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है क्योंकि अब तक पंजाब में इस बाढ़ से जो विनाश हुआ है उस विनाश की स्थिति इस प्रकार की है कि लगभग जो वहां फसलों की बर्बादी हुई है और लोगों के मकानात आदि गिरे हैं उससे करीब २५ करोड़ रुपये की हानि इस समय तक पंजाब के अन्दर हो चुकी है । अभी आपने अपने वक्तव्य में बतलाया था कि लगभग ५० व्यक्ति इस बाढ़ के शिकार हो चुके हैं लेकिन जैसी कि मेरी जानकारी है उसके अनुसार अब तक ७३ व्यक्ति इस बाढ़ के शिकार हो चुके हैं । इसी प्रकार से आपने अपने वक्तव्य में बतलाया था कि २००० गांव इस प्रकार के हैं जो कि इस बाढ़ से प्रभावित हुये हैं लेकिन मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार है कि लगभग ४००० या ४५०० गांव इस प्रकार के हैं जो कि इस बाढ़ से प्रभावित हुये हैं । और उनमें से ३८७ गांव इस प्रकार के हैं, जो पूरी तरह से बैठ गये हैं । एक प्रकार से उनमें घरों का और अपने बैठने के स्थानों का फिर से निर्माण करना पड़ेगा । फसलों के विनाश के साथ साथ इस भयंकर विनाश का प्रभाव जिन मनुष्यों और पशुओं पर पड़ा है, उनकी संख्या हजारों से बहुत ऊपर पहुंच गई है । लेकिन मुझे विशेष रूप से यह निवेदन करना है कि इस बाढ़ के पश्चात् होने वाले जो परिणाम हैं, उनके संबंध में भी हम थोड़ा विस्तार से विचार करें । पशुओं में एक भयंकर प्रकार का रोग जो बाढ़ पश्चात् इस प्रकार के इलाकों में फैल जाता है, पंजाब में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है । इसी तरह से रोहतक में और उसके आस पास के इलाकों में, जिनकी चर्चा हमारे माननीय मित्रों ने की है, हैजा और दूसरे रोग भी बहुत बुरी तरह से फैल गये हैं । मेरा निवेदन है कि जहां बाढ़ को रोकने के संबंध में शासन प्रयत्नशील हो, वहां बाढ़ के पश्चात् जो बीमारियां मनुष्यों और पशुओं में फैलती हैं, उनकी रोकथाम के लिये भी उसको प्रयत्नशील होना चाहिये ।

एक और बात मैं सुझाव के रूप में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । और भी माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि पंजाब में बाढ़ का एक बड़ा कारण जहां प्रकृति का प्रकोप रहा है, वहां एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि पंजाब में पानी के निकलने के लिये जो नाले बनाये गये हैं, उनको बनाते समय कोई विधिवत् योजना नहीं बनाई गई। मैं सिंचाई मंत्री महोदय की जानकारी के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक ही चर्चा करना चाहता हूं । आज से एक डेढ़ साल पहले गुड़गांव में इसी प्रकार की बाढ़ आई थी और उसका कारण भी यही था कि पानी के निकलने के लिये कोई स्थान नहीं था । मेरे अनुरोध पर माननीय सिंचाई मंत्री उस स्थान को देखने के लिये गये और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार महाविनाश उस जिले का उस बाढ़ से हुआ । उसके पश्चात् पंजाब गवर्नमेंट ने दो नाले वहां निकाले, ताकि उस जिले का पानी आगे

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

निकल जाय । एक नाला गोंछी नाला कहलाता है और दूसरा नूह का नाला कहलाता है । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हुई कि इन नालों को निकाले जाते समय उन की योजना इस प्रकार की रही कि पानी तो उनका वहां से खिंचने लगा, लेकिन उसके बाद दूसरे गांवों को टकराने लगा । इस प्रकार की स्थिति रोहतक और झांसी में भी है । हरियाना के इस इलाके में बाढ़ के आने का एक बड़ा कारण यह है कि जो नालियां पानी के निकलने के लिये बनाई जाती हैं, उनकी योजना दोषपूर्ण होती है । वह योजना विधिवत् बनाई जानी चाहिये । हमारा तरीका यह है कि जब बाढ़ आती है और उसमें लोग इतने भयंकर रूप से त्रसित होते हैं, तो उस समय फिर हमारे मस्तिष्क में योजनायें आती हैं । होना यह चाहिये कि जब बाढ़ निकल जाये और इस प्रकार का साधारण वातावरण हो, उस समय इस प्रकार की योजनायें बनाई जायें कि कहां कहां पानी को किस तरह आगे निकाला जा सकता है जिससे एक स्थान का पानी दूसरे स्थान को नुक्सान न पहुंचाये ।

यह बाढ़ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और दूसरे प्रांतों में आकर परेशानी पैदा कर रही है, यह बात नहीं है । पहले हमने सुना था कि काश्मीर के लोगों को इसी प्रकार परेशान होना पड़ा था, और फिर आसाम के लोगों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा । आये साल किसी न किसी प्रांत को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि जहां राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे इन बाढ़ों का सामना करने के लिये अच्छी तरह से तैयारी करें, वहां अगर केन्द्र के संरक्षण में एक इस प्रकार का बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया जाये कि जहां भी आपात्कालिक परि-स्थितियां उत्पन्न हों, तो उनको तुरन्त सहयोग दिया जा सके । आज तो यह स्थिति है कि रोहतक में बाढ़ आई और दो हजार सैनिक वहां काम कर रहे हैं पर यह तो प्रति वर्ष की समस्या है, एक वर्ष की समस्या नहीं है । इस लिये अगर इस तरह का सैंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया जाये, तो यह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा ।

रोहतक में बाढ़ आने के बाद कुछ सार्वजनिक संस्थायें वहां जाकर बड़ी तत्परता से काम कर रही हैं । हमें और सरकार को उन को धन्यवाद देना चाहिये । बड़ी तत्परता के साथ वे धन संग्रह कर रही है और कपड़े भी इकट्ठे कर रही हैं । लकिन ऐसी दैवी विपत्तियों के संबंध में अगर प्रधान मंत्री जी की ओर से भी कोई अपील निकलती तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता और उससे जो धन संग्रह होता, उससे उस क्षेत्र के निवासियों को बड़ी सहायता दी जा सकती थी । अगर यह व्यवस्था अब नहीं है, तो कम से कम भविष्य के लिये इस बारे में सोचा जा सके, तो अच्छा होगा ।

हमारे समाज में अभी तक इस प्रकार की भी त्रुटियां विद्यमान हैं कि जब बाढ़ या अन्य कोई दैवी विपत्ति आती है, तो समाज के कुछ अवांछनीय तत्व उन से अनुचित लाभ उठाना शुरू कर देते हैं । अगर आटे का भाव दो सेर का है, तो दुकानदारों ने इस मुसीबत का लाभ उठा कर उसको और भी महंगा कर दिया । जिन क्षेत्रों में कोई दैवी विपत्ति आये, वहां अगर सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि लोगों को दैनिक उपयोग की चीजें आसानी से प्राप्त हों सकें, तो बहुत अच्छा होगा ।

पंजाब की बाढ़ के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का पानी निकलने के पश्चात हैजा और दूसरी बीमारियां फैलने लगेंगी । वे अभी से फैलनी शुरू हो गई हैं, लकिन पानी के निकलने के बाद तो वे और जोर से फैलेंगी । मेरा सुझाव है कि अब जब कि हरियाना के क्षेत्र में बीमारी शुरू हुई है, पड़ौस के क्षेत्र, जैसे दिल्ली नगर निगम से इस प्रकार का अनुरोध किया जा सकता है कि अगर उसका स्वास्थ्य विभाग कुछ समय के लिये वहां अपनी सेवायें दे सके और उन लोगों को लाभ पहुंचा सके, तो बहुत अच्छा है ।

पंजाब, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में जो यह दैवी आपत्ति आई है, उसको तात्कालिक आपत्ति समझ कर हम उसके निराकरण के लिये प्रयत्नशील हों, ऐसी बात नहीं है। आज स्थिति यह है कि अभी तक हम अपने देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं कि हम नदियों के प्रवाह और आने वाली बाढ़ों को रोक सकें और बड़ी दृढ़ भाषा में कह सकें कि हमने अपने देश की स्थिति इस प्रकार की बना दी है कि आने वाले वर्षों में हमको बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका कारण चाहे अर्थ की दुर्बलता हो, या कोई और कारण हो, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिये कि इन बाढ़ों को रोकने के लिये हमारे पास पूरी तैयार होनी चाहिये, जब तक कि प्रांतों में इस विषय में पूरी व्यवस्था न हो जाये।

दूसरी एक शिकायत मेरी भी है, जो और माननीय सदस्यों ने भी की है। होता यह है कि जब बाढ़ें आती हैं और उनसे जो बड़े बड़े नगर प्रभावित होते हैं, उनके संबंध में तो प्रैस की ओर से काफी पब्लिसिटी होती है और सारा ध्यान उधर ही दिया जाता है। लेकिन गांवों के लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता, जिन की आवाज न तो शासक तक पहुंच पाती है और न दूसरों तकप हुंच पाती है, सिवाये इसके कि वे अपने परिश्रम से अपने बचाव का प्रबन्ध कर लें। सिंचाई मंत्री महोदय ने अपनी आंखों से देखा था कि डेढ़ वर्ष पहले गुड़गांव में जो भयंकर बाढ़ आई थी, उसने किस तरह सारे जिले को तबाह किया था। इसी प्रकार के और स्थान भी हैं। मेरा निवेदन यह नहीं है कि किसी दैवी आपत्ति के समय नगरों पर ध्यान न दिया जाये, या शहरों की रक्षा न की जाये, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा भाग देहातों का है, जिन की अर्थ की कमाई से हमारा शासन तथा और भी बहुत से कार्य चलते हैं, इस लिये इस प्रकार की दैवी आपत्तियों में उन देहातों की उपेक्षा न की जाये।

श्री महन्ती (ढेंकानाल): इस वाद-विवाद को सुन कर मैं तो यही समझ पाया हूं कि हमने एक महत्व की बात तो छोड़ ही दी है और वह यह कि पिछली दो योजनाओं में हमने बाढ़ों की रोक थाम की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बाढ़ों से धन-जन की अपार क्षति हो जाती है। वस्तुत: जो बड़ी प्रायोजनाएं हमने बनाई हैं उनका उद्देश्य बाढ़ की रोक थाम से भी था परन्तु धीरे-धीरे यह उद्देश्य लुप्त हो गया। हीराकुड जलाशय अब केवल महा नदी की बाढ़ के जल के ८% भाग को ही खपा पाता है। हमें यह सोचना चाहिए कि जब हीराकुड जलाशय १२ लाख क्यूसिक जल खपाने के लिये बनाया गया था तो वैसा क्यों नहीं हो रहा।

यह ठीक है कि सरकार बाढ़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है परन्तु सरकार बाढ़ों की रोकथाम तो कर सकती है। वह बाढ़ों के जल को निकालने के लिए कुछ नहरें या बांध तो बना सकती है। परन्तु दुःख की बात है सरकार ने ऐसा काम भी नहीं किया।

अब सरकार जिन बांधों की मरम्मत कराना चाहती है उन्हें वह इस योग्य बनाना चाहती है कि वह १९५५ की बाढ़ों जितने पानी को रोक सकें। परन्तु जितना पानी इस वर्ष आया है उसकी रोकथाम के योग्य उपाय क्यों नहीं किये जाते। ब्राह्मणी नदी की समस्या को भी हल करना चाहिये। बाढ़ नियंत्रण का काम राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है इसे केन्द्रीय सरकार को ही संभाल लेना चाहिये। यदि एक राज्य बाढ़ की रोक थाम के लिये कुछ करना चाहता है तो दूसरा राज्य उसे करने नहीं देता यह अन्तर्र प्रान्तीय मूर्खता समस्या के हल में बाधक है। इस कारण इस राष्ट्रीय विपत्ति का हल राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करता हूं कि अब जब कि तीसरी योजना बनने जा रही है योजना आयोग को बाढ़ों की रोकथाम के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, उड़ीसा, पंजाब हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के सम्बन्ध में आज यहां चर्चा हो रही है। इस बाढ़ से जो वहां पर बरबादी हुई है, उस पर सभी को बहुत दुःख है। लेकिन मुझे अफसोस है कि न तो प्रेस के जरिये और न ही केन्द्रीय सरकार के जरिये से लोगों को इस बात का ज्ञान हुआ है कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ सिस्सों में बाढ़ बड़ी भयंकरता से आई है, बहुत ही उसका घना प्रभाव हुआ है। सिर्फ आगरे जिले में उत्तर प्रदेश के १५ आदमी बाढ़ से मरे हैं। मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जो जिले हैं उनमें भी बाढ़ बड़े भयंकर रूप में आई है। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि बाढ़ का सारे देश पर जब प्रभाव पड़ता है और इस पर विचार भी किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार यह भी ध्यान में रखे कि यह न सिर्फ उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब का प्रश्न है बल्कि देश के दूसरे हिस्से भी हैं कि जहां पर बाढ़ से बहुत तबाही हुई है और केन्द्र को वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों की भी सहायता के लिये आगे आना चाहिये।

एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब उप-मंत्री महोदय बोल रहे थे तो मैंने उनको टोकना चाहा था और चाहता था कि वह इस बात का जवाब दें कि आखिर क्या वजह है कि जब हमने फ्लड कंट्रोल के कदम भी उठाये हैं और कहा है कि हम फ्लड्स को कंट्रोल करेंगे और एक फ्लड विंग भी स्थापित किया है, तो भी बाढ़ इतनी भारी भयंकरता से आती रहती है। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ की पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिये। १९५४ से, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, जब से यह कार्य चालू है, जो फ्लड विंग है वह भी काम करता है, क्या कारण है कि इतनी अधिक बाढ़ें गाई हैं। लगातार हर साल बाढ़ों की जो अतिधकता है वह बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ की जो भयंकरता है वह बढ़ती ही जा रही है। अफसोस की बात तो यह है कि जैसे यहां पर शिकायत की गई है कि पंजाब के बारे में, उड़ीसा के बारे में केन्द्रीय सरकार को इसका कोई पता नहीं लगा कि वहां बाढ़ आने वाली है। इनके बारे में तो एक मिनट के लिये यह माना जा सकता है कि सरकार को पता न चला हो लेकिन हिमाचल प्रदेश जो कि केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में है और जिसके प्रति केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेदारी है, वहां पर भी डेढ़ सौ आदमी एक रात में मर गए और केन्द्रीय सरकार को इसका पता तक न चला, बाढ़ की केन्द्रीय सरकार को पहले सूचना तक नहीं मिली, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आखिर कहीं पानी बरसा होगा, आज आप के पास इतने अच्छे साधन हैं जिनसे आप को फौरन दुनियां की खबरों का पता लग जाता है, लेकिन आप के शासन में ढिलाई इतनी है कि यह पता वह नहीं लगा सका कि जो पानी बरस रहा है उस का असर आगे चल कर क्या होगा। एक जगह पर डेढ़ सौ आदमी पानी में बह गये, इस से बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि हम बाढ़ को किस तरह से रोक सकते हैं। इस पर हमारा ध्यान है ही नहीं। मैं नहीं कहता कि मैं प्रधान मंत्री से सहमत नहीं हूं या मंत्री जी से सहमत नहीं हूं कि बाढ़ को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है, लेकिन बाढ़ जो आती है उस की सूचना तो जनता को दी जा सकती है और यह खबर दी जा सकती है कि जनता को सतर्क रहना चाहिये। मुझे अफसोस है कि जो हमारी सरकार है, चाहे वह केन्द्र में हो या प्रदेशों में, उसे यह भी बतलाने की फुर्सत नहीं है कि कहां पर क्या होने वाला है; कहां बाढ़ आने वालीं है, इस की सूचना नहीं मिलती है, नतीजा यह होता है कि जनता बहुत खतरे में पड़ जाती है।

मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे इलाके में जब पिछले साल बाढ़ आई तो एक नाला बना। उस नाले में इस तरह की कमी रह गई, वह इस तरह से बनाया गया, कि बाढ़ का पानी उस से ऊपर

नहीं जाता। उसके बाद जब जाना भी शुरू हुआ और ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो वह जा कर शहर में घुस गया। असल में बात यह है कि इस तरह की डिफेक्टिव प्लैनिंग होती है, नाले बनाने की कि उस की वजह से बाढ़ की भयंकरता बढ़ जाती है। यहां पर पंजाब के बारे में जिक्र किया गया कि जो ड्रेन नं० ८ है वह कहीं भी जा कर ऐसा नहीं होता कि समुद्र में पड़ता हो, झील में या नदी में पड़ता हो। उस का अन्त जा कर गांव में होता है। सरकार को सोचना चाहिये कि जब पानीं ऊपर से चला आ रहा है और उसका अन्त होगा गांव के अन्दर, तो उस के आस-पास की जनता का क्या होगा। कभी इस तरह की बात नहीं सोची जाती है।

इसलिये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार निश्चित नीति निर्धारित कर ले कि हम जो नाले बनाने जा रहे हैं या और कुछ बनाने के काम हों रहे हैं, उन के अन्दर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पानी का बहाव आगे बढ़े इस के बजाय उस में रुकावट होती जा रही हो। मुझे भय है कि मुल्क में जगह जगह इस तरह के काम हो रहे हैं जिन से कुदरती तौर पर पानी का बहाव रुक जाता है और इस तरह से उस का असर भयंकर पड़ता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आखिर जिम्मेदार ....

सभापति महोदय : आप का पांच मिनट का समय खत्म हो गया।

श्री ब्रज राज सिंह सभापति महोदय, जब भी आप कहेंगे मैं अपना भाषण बन्द कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं यहां पर हमेशा के लिये कहना चाहता हूं कि आखिर कोई कंट्रोल होना चाहिये कि हमारे यहां मिनिस्टर कितना टाइम लें क्योंकि केन्द्रीय सरकार को यह पसन्द है कि एक के बाद एक मिनिस्टर बढ़ते जायें। हो सकता है कि कुछ दिनों में १०० मिनिस्टर हो जायें, उस वक्त इस सदन का क्या होगा। अगर तमाम टाइम मिनिस्टर ले जायेंगे तो नतीजा यह होगा कि मुल्क की बातें यहां पर नहीं रक्खी जा सकेंगी। इस लिये नियम बनने चाहियें ताकि हम देख सकें कि कितना टाइम मिनिस्टर लेंगे अपना जवाब देने में। एक फैशन बन गया है कि डिप्टी मिनिस्टर बीच में इंटरवीन करेंगे, बड़े मिनिस्टर साहब बाद में कुछ कहेंगे और दोनों की स्पीचेज जो होंगी वे इन की अपनी नहीं होंगी, उन के मंत्रालय द्वारा बनाई हुई होंगी। जो बात कही जाती है, उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो बातें कही गई हैं कि बनावटी बाढ़ आ रही है, आदमी की बनाई हुई है, कुदरती नहीं है, इसका जवाब दिया जाना चाहिये। उपमंत्री महोदय ने इस का जवाब नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि जब बड़े मिनिस्टर बोलेंगे तो वे इस का कोई जवाब देंगे कि आखिर यह आदमी की बनाई हुई बाढ़ है या क्या है।

अन्त में मैं एक या दो मिनट में खत्म करता हूं, आप की आज्ञा के मुताबिक मैं जानना चाहता चाहता हूं कि बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिये क्या काम किया जा रहा है। जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है, उनके मकान बनाने के लिये सरकार क्या कर रही है? इसी के साथ साथ जो दवा दारू का इन्तजाम है, या दूसरी तरह के काम हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है या करना चाहती है? डेढ़ सौ आदमी मर गये हिमाचल प्रदेश में, ७३ आदमी मर गये पंजाब में और मेरे खुद के जिले में १५ आदमी मर गये उत्तर प्रदेश के अन्दर, और उड़ीसा के अन्दर भी लोग मर रहे हैं इसके अन्दर उनका कोई दोष नहीं था, उनके लिये सरकार क्या कोई मुआवजा देना चाहती है या नहीं? इसी तरह से इस वर्ष जो असाधारण बाढ़ आई है, उसके कारणों की जांच करने के लिये सरकार अपनी ओर से कोई कमेटी बनाना चाहती है या नहीं? मैं चाहूंगा कि सरकार बाढ़ के कारणों की जांच करने के लिये कमेटी बनाये और चूंकि यह बात स्थायी बनती जा

[श्री ब्रज राज सिंह]

रही है इसलिये मैं यह भी चाहूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बने, स्टैंडिंग पार्लियामेंटरी कमेटी बने जो इस बात पर विचार करती रहे। जिन को एक्सपट कहा जाता है, सिर्फ उन पर इस बात को नहीं छोड़ा जा सकता। इस सदन की कमेटी जो बने वह विचार करती रहे कि जो भी बाढ़ आती है उसकी स्थिति क्या है, हम इतना रुपया जो इस पर खर्च करते हैं, उस पर कोई कण्ट्रोल है या नहीं या वह भार जनता पर ऐसे ही पड़ता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे और जब मन्त्री महोदय जवाब दें तो इन बातों का भी जवाब दें।

श्री शि० न० रामौल (महासू) : सभापति जी, बाढ़ की जो आपत्ति हर साल हमारे मुल्क में आती रहती है उसके सिलसिले में काफी सोचने की जरूरत है और आज इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। मेरे पास चूंकि समय कम है इस वास्ते मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्पीचेज सुनने से एसा मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, छोटा सा, जिसमें कुछ इत्तला है कि ९० या ९५ आदमियों की डेथ हुई और कुछ अनकंफर्म्ड इत्तला ऐसी है कि लगभग डेढ़ सौ आदमी मर गये हैं, एक रात में, जैसा अभी बतलाया गया है, बाढ़ आने से खत्म हो गये है। इस से वहां पर कितना नुकसान हुआ होगा पशुधन का और दूसरे लोगों की सम्पत्ति का, इसका तो महज अनुमान किया जा सकता है। ५० के लगभग गांव पानी के अन्दर आ चुके हैं। इसलिये इसके बारे में हमारे मुल्क में काफी विचार करने की जरूरत है, और जैसा सुझाव दिया गया है, कोई इस किस्म की कमेटी सेंट्रल लेवेल पर और प्रदेश के लेवेल पर भी बननी चाहिये जो खास तौर से इसकी तरफ ध्यान दे।

हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी एक या दो मरतबा उसी इलाके में बाढ़ आई थी। उसी के कारण वहां पर एक पुल का बनाया जाना है। उस पुल से ट्रैफिक गुजारने के लिये, दोनों तरफ पुश्ते बनाने पड़े और पुश्ते बना कर उनके मुकाबले सड़क बनी। इससे जो पानी निकलने की जगह थी वह कम रह गई। वह खड्ड ऐसा है जो हमेशा चलने वाला नहीं है। वहां पर चारों तरफ जंगल हैं और जब भारी बारिश होती है तो एक दम पानी का बहाव शुरू हो जाता है। जब पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता कुदरती तरीके से तो वह रुक जाता है और इस इलाके में भर जाता है। पिछले तीन सालों में वहां पर थोड़ी थोड़ी बाढ़ आई, लोगों की तरफ से सुझाव दिये गये कि इसका कुछ इन्तजाम करना चाहिये और पानी की निकासी का कोई साधन सोचना चाहिये। लेकिन वह बात नहीं हुई। जब मुझे अखबारों से इसके बारे में पता चला तो मैंने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन यहां पर दिया। लेकिन अभी तक उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली और न ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई ठीक तौर से कंफर्मेशन हुआ कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या कारवाई की गई या रिलीफ पहुंचाने के बारे में क्या हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी टैरिटरी है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट से डाइरेक्ट ताल्लुक है उसके कंट्रोल के सिलसिले में। इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दें। और वहां पर जो कुछ आपत्ति लोगों पर घिरी हुई है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा धन दे, मैटीरियल की सहायता दे क्योंकि लोगों के मकान ढह गये हैं। इन चीजों की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे ताकि वे लोग जो वहां की बाढ़ के कारण उखड़े हैं, उनको फिर रिहैबिलिटेट किया जा सके।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : जनाब चेअरमैन साहब, इस सदन में आज बाढ़ के मामले पर जो तकरीरें हुईं उनको मैंने बहुत गौर से सुना। लेकिन जो मोशन दिया गया था, उस मोशन के लिहाज से जो बातें आज के मुबाहसे में आनी चाहियें थीं, मेरे नजदीक

बे बातें नहीं आईं। मैंने उनके लिये पूरा मैटीरियल इस वक्त तैयार किया था और मैं समझता था कि शायद मुझ को काफी बात इस ऐवान में इस मसले और इस प्राब्लम के बारे में कहने को मिलेगा, ताकि मैं यह बतलाऊं कि जहां तक हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसने स्टेट्स को अलग रख कर फ्लड्स के मामले में क्या क्या किया। क्या क्या कहना चाहिये था, उसको भी मैं लेता और यह भी बतलाता कि हम ने वही किया जो कि सेंटर को करना चाहिये था, और उसी के साथ यह भी अर्ज करता कि हर स्टेट ने अपनी अपनी जगह इस मामले में क्या किया है। मगर अब वक्त के लिहाज से भी और उन तकरीरों के लिहाज से भी, मैंने यह समझा है कि जहां तक मुमकिन हो मैं उन बातों को छोड़ दूं और सिर्फ उड़ीसा के मुताल्लिक मैं बतलाऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या वास्ता रहा और वहां जो कुछ इस वक्त तक हुआ है वह क्या है ताकि हमारी····

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्पीकर साहब ने इस मोशन को पंजाब के मुताल्लिक भी एलाउ कर दिया था। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि पंजाब के मुताल्लिक जो कुछ वह फरमाना चाहें वह फरमा दें।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अगर मैं यह अर्ज करूं तो शायद गलत न हो कि हमारे बुजुर्ग ने जो भी इरशाद फरमाया वह मेरी बात को शायद अच्छी तरह समझे नहीं। मेरे अर्ज करने का मकसद यह नहीं था, मैं यह नहीं कह रहा था कि मैं पंजाब के बाबत कुछ न कहूंगा या हिमाचल प्रदेश के बाबत कुछ न कहूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। उन के बाबत भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कहूंगा जितना कि मैं इस वक्त कह सकता हूं।

खैर, इन सब बातों को छोड़ कर के मैं यह अर्ज करूं कि यह बहुत ही अफसोस और संकोच की बात है कि हर साल हमारे मुल्क में सैलाब और बाढ़ आते हैं। अभी अभी मेरे एक भाई अपनी तकरीर में इस के मुताल्लिक फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने इसकी निस्तब क्या किया, और गवर्नमेंट क्यों नहीं यह मालूम करती है कि ये सैलाब आते क्यों हैं। तो मैं उस के निस्बत एक फिकरा अर्ज करता हूं लम्बी बात छोड़ कर के, कि अगर दुनिया की सब से पिछली तारीख को देखा जाय, तो जहां तक बाढ़ों के आने का ताल्लुक है उन के साइकिल्स आते रहे हैं और जब वह साइकिल आते हैं तो उन के दौरान में बराबर बाढ़ आती रहती है। वह इन्सान के कुसूर से या गवर्नमेंट के कुछ काम न करने की वजह से नहीं होता। फिर जहां तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट इन्सानों की बनी हुई है और गवर्नमेंट इन्सानों से हमदर्दी रखती है, और गवर्नमेंट की हमदर्दी सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि गवर्नमेंट का मेम्बर वहां का रहने वाला है, बल्कि उसकी हमदर्दी पूरे हिन्दुस्तान के साथ है। तो मैं तो अर्ज करूंगा कि जितनी मेरे दोस्त को अपने उड़ीसा से मुहब्बत है वह प्यार है, और जितना लिहाज उसकी जरूरत का उनको होगा, मैं समझता हूं अपने दिल में कि मुझको भी उतना ही है, और मैं उन्हीं के बराबर उड़ीसा की खिदमत करने को अपना फर्ज समझता हूं। उन्हीं के बराबर पंजाब की खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूं। और मैं यह अपना फर्ज समझता हूं इन्सान होने के लिहाज से। अगर मैं गवर्नमेंट में न भी होता तो भी मैं यह न सोचता कि उड़ीसा तबाह हो जाए और खराब हो जाए। मेरा दिल तो तब भी दुखता क्योंकि मैं हिन्दुस्तान का रहने वाला हूं, मुझ को इस मुल्क से मोहब्बत है, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, और मेरी आयन्दा नस्लें इस मुल्क में रहेंगी। मैं कैसे सोच सकता हूं कि उड़ीसा से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट में न भी होऊं तो भी इस मुल्क का बाशिन्दा होने के लिहाज से मेरा उस से ताल्लुक है और इसलिये मैं अर्ज करूं कि किसी को

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

यह खयाल नहीं करना चाहिए कि कोई शख्श इस तरह सोचेगा और उड़ीसा की जो खिदमत हो सकती हो वह नहीं करेगा । मैं यह भी अर्ज करूंगा कि क्या किया गया है ।

लेकिन हमारे काम करने की भी कुछ हदें मुकर्रर हैं जिन को कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने कायम किया है और आज भी हम उनको मानते हैं और उन के मुताबिक अमल करते हैं। लेकिन अगर हम उन हदों को किसी मामले में भूल जाएं और उनको छोड़ बैठें तो मैं कहता हूं कि क्या वह कांस्टीट्यूशन की वकत होगी या उसकी जिल्लत होगी। मैं तो समझता हूं कि वह उसकी जिल्लत होगी ।

एक बात मैं और अर्ज करूं कि इस हाउस में वही बातें कही जानी चाहिए थीं जिन से कि सेंटर का ताल्लुक था इस मामले में । सेंटर का ताल्लुक फाइनेंशल असिस्टेंस से था उसके बारे में कहा जाता, या टैकनिकल असिसटेंस के बारे में कहा जाता। क्योंकि इस मामले में इन्हीं चीजों से सेंटर का ताल्लुक है । लेकिन यहां कहा गया कि फलां जगह यह हुआ और वहां की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो कुछ किया वह गलत था और जो सही था वह नहीं किया। तो मैं तो इस में सिर्फ एक काम कर सकता हूं और उस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर मेम्बर साहब स्टेट गवर्नमेंट से कुछ कराना चाहते हैं तो जो बातें उन्होंने यहां कही हैं उन को मुझे लिख देते और मैं उनकी यह खिदमत अंजाम दे देता कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को लिखता, उनको कहता और समझाता और वह काम कराने की कोशिश करता। इस के अलावा मैं क्या कर सकता हूं। और वह मैं अब भी करने को तैयार हूं। जिन जिन साहबान ने यहां कहा है मैं उनको इनविटेशन देता हूं कि वह जो जो वह चाहते हैं उस के बारे में मुझको लिख दें और जो मैं कर सकता हूं वह करने की कोशिश करूंगा। इस से ज्यादा इस वक्त मैं अर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि उस में वक्त भी लगेगा और और बात जो मुझे कहनी है वह रह जायेगी।

जहां तक उड़ीसा का ताल्लुक है एक बात मैं बतलाऊं जो शायद दिलों में होंगी कि सेंटर ने उड़ीसा की कोई मदद की है या नहीं, पैसे से रुपये से । उनको मदद दी गयी है । इस वक्त दो करोड़ रुपया उनको दिया गया है और इस में से एक करोड़ तो लोन है । ऐसी मदद भी हो सकती है जिस पर सूद भी न चले और जिसकी वापसी भी न हो, वह भी स्टेटों को दी जाती है और उसका जिक्र भी एक साहब कर रहे थे। ऐसी मदद भी दी जा सकती है । अभी जो रुपया दिया गया है उस में से देखा जाएगा कि जो खर्च होता है उस में से किस हिस्से को लोन रखा जाए और किसको ग्रांट माना जाए । फिल हाल उनको दो करोड़ रुपया दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत थोड़ा होगा ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज करूंगा कि हो सकता है कि थोड़ा हो और वहां की जरूरत ज्यादा हो। लेकिन इस देने के बाद आगे और देना बन्द तो नहीं हो जाता । अगर उन की जरूरत ज्यादा है तो वह हमको मजबूर कर के २५ दफा और ज्यादा ले सकते हैं। यह देना कोई अहसान के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं । जो उनको जिस मदद की जरूरत है वह देनी चाहिए । अभी उनको दिया गया है और जो ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत हो सकती है वह की जाएगी। लेकिन उसी के साथ इसका भी खयाल रखा जाए कि कहीं उड़ीसा की गवर्नमेंट या हिन्दुस्तान की और दूसरी लोकल गवर्नमेंटस यह न

समझने ल जाएं कि जब भी मुसीबत आएगी तो सेंटर से रुपया आ जाएगा हमको कोई फिक्र नहीं करनी है। मैं किसी खानदान में हूं और मेरे बाप दादा कमाते हैं और मैं समझता हूं कि वह मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो भी फर्ज है कि मैं खुद भी कमाने लायक बनूं, मुझको भी तो यह महसूस करना चाहिए कि मैं भी अपनी जरूरतों को अपने आप पूरा करने लायक बनूं। जो दूसरों की मदद के सहारे अपने को डाल देता है वह निकम्मा और बेकार हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी स्टेट गवर्नमेंटस इस तरह की निकम्मी और बेकार हो जाएं और खुद अपने आप अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश न करें।

अब आप मुलाहिजा फरमाएं कि फ्लड का सबजेक्ट तो स्टेट का है। तो मैं उड़ीसा के बाबत अर्ज करूं कि उड़ीसा में फ्लड के बारे में क्या हुआ। और टैकनिकल असिस्टेंस के बारे में क्या हुआ। जो मोशन है उस में इन्हीं बातों का हवाला दिया गया है। इस वक्त मैं उस के बारे में अर्ज करता हूं।

जहां तक टैकनिकल असिसटेंस का ताल्लुक है उस के मानी तो सिर्फ इतने होते हैं कि अगर किसी स्टेट को किसी टैकनिकल आदमी की अपने किसी काम के वास्ते जरूरत हो सेंटर वह आदमी उनको दे दे, नम्बर वन।

दूसरी बात यह है कि स्कीम्स के मुताल्लिक जो उनको मशविरे की जरूरत हो वह मशविरा उनको मिल जाय। यह दोनों किस्म के मशविरे आज उड़ीसा राज्य को दिये जा रहे हैं। इस वक्त उड़ीसा में एक टैकनिकल ऐडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। और उसका एक मेम्बर सेंट्रल आफिसर है जो कि उनके साथ उस कमेटी में बैठ कर वहां के मुताल्लिक काम करता है। वह कमेटी क्या करती है? वह कमेटी करती यह है कि जितनी स्कीम्स वहां पहुंचती हैं उन तमाम स्कीम्स को वह टैकनिकल प्वाएंट आफ व्यू से जांच पड़ताल करके देखती है कि आया वह सही हैं या गलत हैं। अगर कोई स्कीम उसने पेश की है और वह दस लाख से कम खर्च की है तो उसकी कहीं पूछ नहीं है वह वहीं उड़ीसा में ही खत्म कर दी जाती है, खत्म होने के मानी यह हैं कि उसके ऊपर कोई देखभाल और जांच पड़ताल नहीं होगी। जो काम शुरू करना है वह शुरू हो जायगा। लेकिन कोई स्कीम अगर दस लाख रुपये से ऊपर की है तब वह यहां सेंटर के पास आयेगी और हमारे यहां सेंट्रल कमीशन में उसकी जांच होगी और जांच पड़ताल के बाद अगर वह स्कीम सही और ठीक पाई गई तो वह फाइनेंशिएल असिस्टेंस के वास्ते उसकी सिफारिश कर देगा। यह टैकनिकल हैल्प है जो कि आपके सेंटर से स्टेट को दी जा रही है।

जहां तक स्कीम्स का ताल्लुक यहां सेंटर से उनके लिए १२० फ्लड्स स्कीम्स मंजूर हुईं जिनका कि खर्चा १११ लाख रुपये है। उन १२० स्कीम्स में से ८७ स्कीमें इस वक्त तक पूरी हो चुकी हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर यह भी कहा जा रहा था कि अभी जो वहां बाढ़ें आई हैं तो इससे पहले वहां फ्लड्स को रोकने या लोगों को उससे बचाने अथवा लोगों को आराम देने का इंतजाम नहीं किया गया। इसके लिए मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इतनी स्कीमें उड़ीसा में खास फ्लड्स के लिए ही थीं। ८७ स्कीमें उनमें से वहां बन कर पूरी हो चुकी हैं। ३० स्कीमें ऐसी हैं जिनके कि ऊपर इस वक्त काम जारी है। वह स्कीम क्या थी। वह इमबैंकमेंट्स के बनाने की स्कीम थीं। और उसी के साथ साथ ड्रेनेज को ठीक करने की उड़ीसा के अन्दर जरूरत है। उस लिहाज से वह स्कीम तजवीज की गई और वह स्कीमें बनीं और उनके ऊपर वहां काम हो रहा है।

फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कमेटी ब ाई ताकि महानदी का जो डेल्टा है उसके मुताल्लिक जांच करे और फ्लड्स वगैरह की निस्बत रिपोर्ट दे। उस कमेटी में भी सेंटर का आदमी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

है और उस कमेटी को जो अधिकार दिये गये थे उस अख्तियार को बढ़ा कर और ज्यादा अख्तियार उस कमेटी को दे दिये गये। उसको सिर्फ महानदी के डेल्टे तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि जो बाकी रिवर्स हैं उनके जो डेल्टाज हैं उनके मुतालिक भी उसको जांच पड़ताल करने का अधिकार दे दिया। मेरे यह सब बतलाने का मकसद यह है कि यकीनन वह सब काम वहां पर हो रहा है जो कि होना चाहिए था।

†श्री प्र० के० देव : नदियों के अन्दर से रेत हटाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब इसमें जरा सब्र की जरूरत है। काम जो दुनिया में होते हैं वे इस तरह से नहीं हो जाते कि सब काम एक साथ एक वक्त में हो जायं। अगर दुनिया में कभी कोई गड़बड़ी न होती और बाढ़ जैसे वाकये दरपेश न आते और बिलकुल अमनो, अमान रहता तो फिर आज हम इंसानों की जमात बिलकुल बेकार बैठी हुई होती। हम और आप यहां बैठ कर यह काम न करते अगर इंसान के करने के लिए दुनिया में काम बाकी न रहे। यह मायूसी की बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है और इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो काम कल नहीं हुआ वह आज जरूर होगा और वह जरूर किया जाना चाहिए तो इसमें शिकायत की क्या बात है ....

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कोई कोशिश की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जी हां कोशिश हो रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह कोशिश कब से होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मुनासिब वक्त पर कोशिश होगी।

श्री प्र० के० देव : वह मुनासिब वक्त कब आयेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब हर एक चीज के करने की शर्त यह है कि जब उसको करने का ठीक वक्त आये तो उसको करना चाहिए। जब भी मौजूं वक्त आये उसको करने का, उसको करना चाहिए ....

एक माननीय सदस्य : अभी तक क्या ठीक वक्त नहीं आया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अगर मुनासिब वक्त नहीं आया तो यह मेरा और आपका कसूर नहीं है। जमाना तो हर किस्म का आकर रहेगा। वह कोई बुलाने से नहीं आया करता। वह तो अपने आप आता है।

खैर यह तो मैंने अर्ज कर दिया। अब हीराकुड के बारे में मैं अर्ज कर दूं कि वहां जो बांध बन कर तैयार हुआ उससे पावर का बेनीफिट मिलने वाला है। (**अन्तर्बाधायें**) आप समझते नहीं हैं। बाढ़ जो चीज है और जो उसकी हकीकत है वह शायद उसे समझते नहीं हैं। अब इसलिए कि जो एक चीज वहां कर दी तो आदमी यह समझे कि यह इस वजह से खत्म हो गई। अव्वल तो आपको अहसास नहीं हुआ। मैं बतला रहा हूं कि जरा सब्र से मेरी बात सुनिये। अब हीराकुड ने वहां पर बड़ी सर्विस की है। हीराकुड की स्कीम इसलिए बनी कि फ्लड कंट्रोल में भी उससे मदद मिले, पावर भी मिले और इर्रीगेशन भी उससे हो। अब यहां उसने आपके उस फंक्शन को पूरा किया या नहीं, जो वक्त

†मूल अंग्रेजी में

अक्सर पड़ा वह वक्त के ऊपर काम दिया या नहीं तो जो स्कीम इस गरज से बनाई थी उसकी निस्बत अर्ज कर रहा हूं कि शायद ११ लाख की स्कीम थी। उसमें से साढ़े पांच लाख का कर दिया।

जहां तक उड़ीसा का ताल्लुक है फ्लड्स के सिलसिले में वहां हर तरीके का काम जो आज सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर में किस्म किस्म की तदाबीरें इस्तेमाल की जाती हैं बाढ़ों को रोकने के वास्ते, उनको काम में लाया जा रहा है।

आप मेरे भाई ने यह शिकायत की कि पंडित जी ने फरमाया था कि यह बाढ़ें कुदरत के करिश्मे हैं और जो तारीखें बता रहे हैं वहां पर भी बाढ़ों को आने से रोका नहीं जा सका है। आप इस सबजेक्ट पर किताबें पढ़िये, लिटरेचर का मुताला कीजिये और इस पर स्टडी कीजिये तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि यह तो नामुमकिन है कि हम बाढ़ों को दुनिया से नाबूद कर दें और बाढ़ दुनिया में आवें ही नहीं। अभी तक इंसान उस दर्जे पर नहीं पहुंचा है। यह राय है उन सब मुल्कों की जो कि आज तालीमयाफ्ता और तरक्कीयाफ्ता और बड़े मुहज्जब माने जाते हैं। अब पंडित जी कहें या मैं एक अदना शख्स कहूं यह बात बताई हुई है कि दुनिया के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल बातें हैं वह कायम रहती हैं और मिटती नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसा जमाना आये जब कि आगे चल कर वह गलत साबित हो जायं। मैं यह नहीं कहता कि वह बदल नहीं सकते। हो सकता है कि ५००० साल के बाद कोई ऐसा जमाना आये जिसमें कि आदमियों को ही बदलने की तदबीरें होने लगें। लेकिन इस वक्त तक इंसान की जो अकल की पहुंच है उससे यह बात नहीं निकलती कि दुनिया से बाढ़ नाबूद हो सकती हैं और फ्लड्स न आयें यह कोई नहीं कर सकता है। अलबत्ता उनके मुताल्लिक यह तो हो सकता है कि अगर वे आयें तो उनसे लोगों की हिफाजत करने और उससे होने वाले नुकसान से और तबाही से बचाने की तदबीरें इंसान कर सकता है और यकीन मानिये वह सब तदबीरें हम कर रहे हैं। कम से कम नुकसान उन फ्लड्स से पहुंचे इसके वास्ते कोशिश की जा सकती है और मैं समझता हूं कि उसको करना हमारा फर्ज और ड्यूटी है। उसको हमें करना है और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हम गुनाहगार हैं और सजा के लायक है और उस हालत में हम तमाम इंसानियत के सामने गुनाहगार हैं। हम सही दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और हम इस कोशिश में हैं कि इस कुदरती मुसीबत को जो कि इंसान पर नाजिल होती रहती है उससे होने वाले नुकसान और तबाही को जितना भी कम किया जा सके करा जाय। उड़ीसा में भी और अन्य जगहों पर हम इसी कोशिश में हैं और उसका नतीजा जो आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वह आपको तब देखने को नसीब होगा जब हम कोशिश करते करते उस काम को पूरा कर चुकेंगे जो कि हम कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग गवर्नमेंट के कामों को इस नजर से देखते क्यों नहीं हैं। वे उनको अपने घर के कामों की नजर से देखें। कितने घर के जरूरी जरूरी काम पड़े रहते हैं। नहीं करते हैं उन्हें मजबूरी से और अगर करते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। जब आनरेबल मेम्बर्ज गवर्नमेंट की जुबान से ये सब दिक्कतें सुनते हैं, उस वक्त अगर वे अपने घरों की याद करें, तो व इस बात को अच्छी तरह से महसूस करेंगे कि ये सच है, इतना नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम कुछ न करें। मैं अर्ज करता हूं कि हम चाहते हैं कि हम खिदमत करें। वह हमारा फ़र्ज़ है। उड़ीसा की, हिन्दुस्तान के हर टुकड़े की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। है। कहीं का कोई रहने वाला हो, वह हमारा है। अगर आनरेबल मेम्बरों का यह दावा है कि उड़ीसा उनका है, तो मैं कहूंगा कि यह दावा गलत है—उड़ीसा मेरा है। मेरा दावा है कि पंजाब मेरा है। जो दर्द वे अपने सीने में रखते हैं, मैं भी अपने सीने में रखता हूं। मैं उनके साथ हूं और यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी वे मुझसे कराना चाहें, जो खिदमत मैं कर सकता हूं, वह मैं करने के लिए तैयार हूं।

[हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

मेरे भाई ने शिकायत की—वह तशरीफ ले गए हैं—कि यू॰ पी॰ में यह हो गया। यू॰ पी॰ ने वह बात अभी नहीं उठाई है, मुझ तक पहुंची नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ....

एक माननीय सदस्य : अब खत्म करना चाहिए।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : खत्म कर दूं ? चूंकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं अभी खत्म कर देता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**श्री प्र॰ के॰ देव** : मैं उड़ीसा की जनता तथा उड़ीसा के संसद्-सदस्यों की ओर से प्रधान मंत्री तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री और उपमंत्री का उड़ीसा के प्रति उनकी सहानुभूति के लिये और वहां दौरा करने के लिये आभार प्रदर्शित करता हूं। लेकिन मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उसके लिये २ करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाय। यह राशि बहुत कम है। तीसरी योजना में भी कुछ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे बाढ़ फिर न आये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह का संशोधन संख्या १ अनियमित है क्योंकि उसमें दिये गये विषय राज्यों से सम्बन्धित हैं। अब मैं संशोधन संख्या ३ को सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव रखा जाय :—

"कि यह सभा, उड़ीसा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति, तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा लोक सभा में क्रमशः २५ अगस्त, और ३ सितम्बर, १९६० को दिये गये वक्तव्यों पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २ अवरुद्ध है।

नौपरिवहन का विस्तार*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : २ अगस्त, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १४ के संबंध में यह सुझाव पेश किया गया था कि भारत खाद्यान्न के आयात पर जो धन खर्च करने जा रहा है उसका उपयोग पोतों की खरीद के लिये किया जाना चाहिये ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। पी॰ एल॰ ४८० करार के अन्तर्गत जिस १७० लाख टन खाद्यान्न का आयात किया जाएगा उसमें से केवल ६ प्रतिशत भारतीय पोतों द्वारा लाया जा सकेगा। शेष समस्त खाद्यान्न विदेशी पोतों द्वारा आएगा जिसका भाड़ा भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में देना होगा जो ७५ करोड़ रुपये के लगभग होगा। इसके अतिरिक्त आगामी ५ वर्षों में हमें विदेशी नौपरिवहन समवायों को विदेशी मुद्रा के रूप में १५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भुगतान करने होंगे। इस प्रकार हमें कुल ८२५ करोड़ रुपए का भुगतान विदेशी नौपरिवहन समवायों को करना होगा।

यही नहीं, एक बात और भी है। हम प्रतिवर्ष ४० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने जा रहे हैं जिसके लिए २२ करोड़ रुपये का भुगतान प्रतिवर्ष विदेशी न परिवहन समवायों

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घण्टे की चर्चा

को करना होगा। अर्थात् आगामी ५ वर्षों में हम लगभग ८४५ करोड़ रुपये का भुगतान विदेशी नौपरिवहन समवायों को करेंगे। ऐसी स्थिति में यह अधिक अच्छा हो कि या तो हम स्वयं पोतों का निर्माण करें अथवा उनकी खरीद करें। खेद है कि तीसरी योजना के प्रारूप में पोतों के निर्माण के लिए एक पाई भी आवण्टित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही विकल्प रह जाता है, अर्थात् पोतों की खरीद।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि १९४६ से १९५७ तक हम २३३ करोड़ रुपये का भुगतान विदेशी नौ परिवहन समवायों को खाद्यान्न के आयात के लिये कर चुके हैं। यह विदेशी मुद्रा बचाने का एक ही उपाय है कि पोतों की खरीद की जाय। सरकार टी० २ टाइप के टैंकरों की खरीद करने जा रही है और गैर सरकारी नौपरिवहन समवायों ने भी १२ पोतों की खरीद का प्रस्ताव रखा है। उन्हें ८० लाख पौंड की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि सरकार को उनको यह सहायता अवश्य देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार जिन टैंकरों की खरीद करने जा रही है उनका उपयोग पहले ४ वर्षों में तो अमेरिका से खाद्यान्न लाने के लिये किया जा सकेगा और बाद में तेल शोधन कारखानों को तेल का संभरण करने के लिये। हमारे देश में तीन तेलशोधन कारखाने हैं पर टैंकर एक भी नहीं है। सभा में तेल का भाव कम करने की मांग नित्य की जाती है। परन्तु मूल्य में परिवहन व्यय भी तो सम्मिलित रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि टैंकरों की खरीद अवश्य की जाय। तीसरी योजना में हमने टैंकरों को सरकारी उद्योग क्षेत्र में रखा है और नौपरिवहन समवायों को उनकी खरीद की अनुमति नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि यह समय टैंकरों की खरीद के लिये अत्यन्त उपयुक्त है ताकि उनसे अमेरिका से खाद्यान्न लाकर विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। बाद में उनको तेल के परिवहन में काम में लाया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न को सर्वाधिक अधिमान्यता दी जाय क्योंकि हम जिस दिन इन पोतों की खरीद करेंगे उसी दिन से वे विदेशी मुद्रा का अर्जन करने लगेंगे। यदि हम २६ टैंकर और १२ पोत खरीदते हैं तो उनकी लागत लगभग २० करोड़ रुपये होगी। जब कि हम आगामी ५ वर्षों में ही खाद्यान्न के आयात में ३५ करोड़ रुपये बचा लेंगे। हमारे पास ढोये जाने वाले माल की कमी नहीं है इसलिये उनकी खरीद यथाशीघ्र की जानी चाहिए। यदि बाद में हम उन्हें न भी रखना चाहें तो जो रुपया लगाया जाएगा वह उन्हें बेच कर मिल जाएगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ३५ करोड़ रुपया सरकार भाड़े के लिये अग्रिम देने जा रही है उसे पोतों की खरीद में लगाया जाना चाहिये जिससे विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): मैं दो तीन प्रश्नों के निर्दिष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या यह सच है कि इस समय भाड़े की दरें बहुत कम है और यदि हां, तो क्या सरकार कोई सहायता देती है? दूसरे क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से कभी दो वर्ष के भी भाड़े की राशि को पोतों की खरीद में लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है? तीसरे चूंकि हमारे नौपरिवहन का विकास नहीं हो रहा है इसलिये नौपरिवहन के लिये हमारी विदेशीमुद्रा की आवश्यकता कितनी बढ़ जाएगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: अंतिम प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि नौपरिवहन के लिये कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आगामी योजनावधि में सरकार विशाखापटनम में सूखी गोदियों की संख्या बढ़ाने और यात्री तथा माल ढोने वाले पोतों के निर्माण कार्य को बढ़ाने का विचार कर रही है। यदि हां, तो विशाखापटनम पोत निर्माण नावांगण की उत्पादन क्षमत क विस्तार की क्या क्या योजनायें हैं ?

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (वेल्लोर) : क्या यह सच नहीं है कि १९४७ में जो २० लाख टन कुल पंजीबद्ध टन भार का लक्ष्य रखा गया था वह अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†श्री मू० चं० जैन (कैथल) : क्या नौपरिवहन में किए जाने वाले विनियोजन का लाभ अन्य उद्योगों की अपेक्षा कम है और क्या इसीलिए योजना आयोग ने आवश्यक धन नहीं दिया है ?

†श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा के लिये माननीय श्री रघुनाथ सिंह का आभारी हूं क्योंकि नए पी० एल० ४८० करार के कारण हम यह सोचने लगे हैं कि विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी करने और अपनी नौपरिवहन क्षमता बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है। स्पष्ट है कि १०–१२ मिनट के सीमित समय में मैं केवल मुख्य प्रश्नों का ही निर्देश कर सकूंगा। हमारे सामने पहली कठिनाई विदेशी मुद्रा की कमी की है। दूसरी कठिनाई, जहां तक इस माल का सम्बन्ध है, भारत से अमेरिका को भेजे जाने के लिए वापसी माल की उपलब्धता की है। क्योंकि यदि हमारे पोत बिना माल के जायेंगे तो संचालन व्यय अधिक पड़ेगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्) : यहां से मेंगनीज भेजा जा सकता है।

†श्री राज बहादुर : उधर से ८० लाख टन माल आएगा। यहां से इतना माल वापसी में नहीं मिल सकता चाहे वह मेंगनीज हो, लौह अयस्क हो अथवा पटसन हो। दूसरे, यह समस्त माल अमेरिका नहीं जाता है। वापसी माल की उपलब्धता एक वास्तविक एवं निश्चित समस्या है जिसका सामना हमें करना है। तीसरी समस्या है खाद्यान्न के माल के भाड़े की दरों में वर्तमान मंदी की। पहले मैं अंतिम प्रश्न को लूंगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये। भाड़े की दरें दो प्रकार की हैं। सूखा माल ले जाने वाले पोतों की दरें ७५ शिलिंग प्रति टन है।

†अध्यक्ष महोदय : मील के आधार पर ?

†श्री राज बहादुर : नहीं श्रीमान् यह ७५ शिलिंग प्रति टन यहां से ले कर अमेरिका तक का भाड़ा है। टी० २ टाइप के टैंकरों के भाड़े की दर केवल ६० शिलिंग प्रति टन है। मैं इसके ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता परन्तु ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार का टैंकर ४ वर्ष में १२ चक्कर लगा सकता है। एक वर्ष में ३ से लेकर ४ तक चक्कर लगाए जाने का अनुमान किया जाता है। यदि ४ वर्ष में १२ चक्कर होते हैं तो संचालन व्यय ९५ शिलिंग आएगा जो लगभग ३५ शिलिंग अधिक है। यदि १४ चक्कर होते हैं तो वह दर ९० शिलिंग होगी और १६ चक्कर होने पर ८६ शिलिंग। इससे अधिक अर्थात् १८ चक्कर लगाना संभवतः व्यवहारिक नहीं होगा। यह दरें टी० २ टाइप के टैंकरों के सम्बन्ध में हैं। यदि साधारण सूखा माल ले जाने वाला पोत होगा—जैसे एक पोत की खरीद हम शीघ्र करने जा रहे हैं—तो १२ चक्कर प्रतिवर्ष की

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभप्रद दर १०७ शिलिंग होगी, १४ चक्करों पर ९७ शिलिंग होगी और १६ चक्करों पर ८९ शिलिंग होगी। इसलिये स्पष्ट है कि वर्तमान भाड़े की दरों पर संचालन लाभप्रद नहीं हो सकेगा। अतः जो भी नौपरिवहन सेवा इस प्रकार के कार्य को लेगी उसे या तो राज-सहायता देनी होगी अथवा वह अपने पिछले लाभ पर ही चल सकेगी। वर्तमान नौपरिवहन समवायों को किसी प्रकार चालू रखना होगा। अन्य समवाय तो अपने पिछले लाभ के बल पर कायम रह सकते हैं अथवा वापसी माल पर निर्भर रह सकते हैं जो उन्हें ईरान की खाड़ी के पत्तनों से मिल सकता है परन्तु हम उस पर निर्भर नहीं कर सकते। इस प्रकार के कार्य का लाभप्रद संचालन संसार के किसी भी नौपरिवहन समवाय के लिये एक अद्भुद बात होगी। स्वभावतः हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपनी नौपरिवहन सेवाओं को कुछ राज-सहायता दे सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह १०७ शिलिंग की दर एक ओर की यात्रा के लिये है?

†**श्री राज बहादुर** : यह औसत है। साधारण सूखा माल ढोने वाले पोत की दर ७५ शिलिंग है। यदि वह चार वर्षों में १२ चक्कर लगाए तो उसे कम से कम १०७ शिलिंग प्रतिटन मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा तात्पर्य यह था कि क्या यह आकलन इस आधार पर किया गया है कि माल एक ओर से ही उपलब्ध होगा, वापसी में नहीं? यदि दोनों ओर से माल मिल जाये तब तो कोई हानि नहीं होगी।

†**श्री राज बहादुर** : मैं वैसा नहीं कह सकता। तब भी हानि तो अवश्य होगी परन्तु कुछ कम हो जाएगी। लेकिन इस ओर से माल मिलने की सम्भावना अत्यन्त सीमित है। इसलिये जब हम आकलन करते हैं तो यही मानकर चलते हैं कि एक ओर से ही माल उपलब्ध होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसके लिए २० टी० २ टाइप के टैंकर और १२ वाष्पपोत प्राप्त किए जायें तो यहां से निर्यात के लिये कुल कितने माल की आवश्यकता पड़ेगी?

†**श्री राज बहादुर** । टी० २ टाइप के २० टैंकरों के लिये लगभग साढ़े बयालीस लाख टन माल की आवश्यकता होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे देश से प्रति वर्ष कुल कितना निर्यात होता है?

†**श्री राज बहादुर** : अमेरिका को?

†**अध्यक्ष महोदय** : समस्त देशों को।

†**श्री राज बहादुर** : हमारा आयात निर्यात से अधिक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ सिंह के कहने का तात्पर्य यह था कि चाहे हमारे देश का निर्यात कुछ भी हो क्या हम अमेरिका की तरह यह शर्त नहीं रख सकते हैं कि उसका ५० प्रतिशत हमारे ही पोतों द्वारा ले जाया जाएगा? यदि यह संभव है तो हमारे देश से जितना निर्यात होता है उसका कुल टन भार कितना होगा?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि हमारे निर्यात का माल अभी भी विदेशी पोतों द्वारा ले जाया जाता है?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : मैं उस के आंकड़े देता हूं । हमारा जितना निर्यात-आयात होता है उसका केवल ९ से १० प्रतिशत हमारे पोतों द्वारा किया जाता है। ५० प्रतिशत माल का वहन आदर्श परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इसका कारण पोतों की कमी है ?

†श्री राज बहादुर : हां , श्रीमान् ।

†अध्यक्ष महोदय : अर्थात् माल की कमी नहीं है ?

†श्री राज बहादुर : इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि हमें अमेरिका के लिए आवश्यक समस्त वापसी माल मिल जाएगा। उस ओर से तो पूरा माल मिल जाएगा परन्तु इस ओर से नहीं । हमारे लोह अयस्क तथा अन्य चीजों का निर्यात अमेरिका को उतना नहीं होता है जितना कि जापान, ब्रिटेन, अफ्रीका, ईरान तथा आस्ट्रेलिया को होता है । अमेरिका को निर्यात के लिये बहुत थोड़ी सी ही चीजें हैं। परन्तु अमेरिका से होने वाले खाद्यान्न के आयात की मात्रा बहुत अधिक हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यदि सीधे अमेरिका के लिए माल नहीं मिलता है तो अन्य देशों के माल से उस की पूर्ति की जा सकती है ।

†श्री राज बहादुर : हमें रास्ते का ध्यान भी रखना पड़ता है । यदि कोई पोत कलकत्ता अथवा विशाखापटनम् आता है और लौह अयस्क ले कर जापान जाता है तथा वहां से अमेरिका तो वह मार्ग बहुत चक्करदार होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह बता देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री की आलोचना करने की दृष्टि से ऐसा नहीं कहा जा रहा है वरन् यदि यह मौका निकल जाएगा तो वैसा करना बड़ा कठिन हो जाएगा ।

†श्री राज बहादुर : मेरा निवेदन है कि मैं भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता हूं । मैं स्थिति सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमारे सामने जो समस्यायें हैं उन में पहली है भाड़े की दर कम होना। हमें इस के संबंध में निर्णय करना है । अमेरिका के जो पोत हमारा खाद्यान्न लायेंगे उन्हें अमेरिका सरकार राजसहायता दे रही है जो लग-भग ११९ शिलिंग प्रति टन होगी । यह बहुत अधिक है । दूसरे जो समवाय इस कार्य में पड़ेंगे वे पिछले लाभ और ईरान की खाड़ी से मिलने वाले वापसी माल की आशा के आधार पर ही वैसा करेंगे । इन दो बातों के बल पर वे यह काम कर सकते हैं। परन्तु हमें ये सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

फिर विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रश्न है । मुझे सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत कठिन है । हम पोतों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार की योजना बना रहे हैं जिस से उस में कम से कम व्यय हो । कुछ प्रस्ताव हमारे पास आए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । हमें इन प्रस्तावों पर वर्तमान भाड़े की दर की दृष्टि से विचार करना होगा । वह दर अभी तक हमें ठीक मालूम नहीं हुई है क्योंकि खाद्य मंत्रालय ने इस प्रकार के माल

†मूल अंग्रेजी में

के परिवहन के लिए समस्त संसार भर के देशों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। जब वे टेंडर आ जायेंगे तभी हमें यह मालूम होगा कि भाड़े की दर ६० शिलिंग है अथवा ६५ शिलिंग अथवा उस से कमाया अधिक और तभी हम स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन कर सकेंगे और यह जान सकेंगे कि यदि हम यह कार्य प्रारम्भ करें तो उस में कितनी हानि होगी।

यह स्पष्ट है कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें अमेरिका से खाद्यान्न के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग ९ करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। यह व्यय ४ वर्षों में ३६ करोड़ रुपए होगा। इसलिए हमें इस अवसर का लाभ पोत निर्माण करने और टी० २ टाइप के टेंकर प्राप्त करने के लिए उठाना चाहिए जिस से यह कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

परन्तु यह समस्त प्रश्न दो बातों पर निर्भर है। एक बात तो यह है कि हमें इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है और दूसरी यह कि हम अपने नौ परिवहन समवायों अथवा निगमों को आवश्यक सहायता किस प्रकार देंगे? इस में एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है कि क्या इस प्रकार सहायता दी जा सकती है? यदि हम अपने नौ परिवहन समवायों को भाड़े की दर के संबंध में किसी प्रकार की सहायता देंगे तो हम पर झंडे के भेदभाव का दोषारोपण किया जाएगा।

†**श्री रंगा** : मैं समझता हूं कि अमेरिका वैसा कर रहा है।

†**श्री राज बहादुर** : वे अपने कानून के अन्तर्गत वैसा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अमेरिका वैसा कानून बना सकता है तो क्या हम नहीं बना सकते?

†**श्री राज बहादुर** : मैं चाहता हूं कि हम इस प्रकार का कानून शीघ्र पारित करें। परन्तु इस समय तो वैसा कानून लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम कानून पास भी कर लें तो प्रश्न यह आता है कि हम कितनी सहायता दे सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमें ९ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भाड़े के रूप में दे देना ही है और इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होगी। वह राशि चाहे ४० करोड़ रुपए हो अथवा ३६ करोड़ रुपए हो उसका भुगतान करना ही होगा।

†**श्री राज बहादुर** : इसीलिए तो इस समस्त प्रश्न का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा मैं ने कहा था जैसे ही हमें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा भाड़े की दरों के संबंध में आमंत्रित टेंडर मिल जायेंगे और हमें यह मालूम हो जाएगा कि भाड़े का भुगतान किस दर से किया जाएगा तब हमें इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि कितनी सहायता दी जाय, उसका भुगतान किस प्रकार किया जाएगा और क्या उसका भुगतान बिना झंड़े के भेद भाव का दोषारोपण करवाए, जिसकी विदेशी नौपरिवहन द्वारा किए जाने की संभावना है, किया जा सकता है?

†**श्री रंगा** : पहले वैसा कानून क्यों नहीं पास कर लिया जाता?

†**श्री राज बहादुर** : इस के सम्बन्ध में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। हमारे नौपरिवहन समवाय अनेक संगठनों के सदस्य हैं और उन्हें कुछ नियमों, विनियमों अथवा रूढ़ियों का पालन करना होता है। इस मामले में अनेक जटिलतायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सरकार पोत खरीद ले और स्वयं उन्हें चलाए तब तो भेद भाव अथवा सहायता का प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा ।

†**श्री राज बहादुर :** हमारे सरकारी उद्योग क्षेत्र के समवाय और निगम भी कुछ संगठनों के सदस्य हैं, और उन्हें भी कुछ रूढ़ियों और नियमों का पालन करना होता है । परन्तु जैसा मैंने बताया यह प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है । हमें यह विचार करना है कि इस प्रश्न का हल किस प्रकार और किस रूप में किया जा सकता है । यह अभी विचाराधीन है ।

†**श्री रंगा :** आपको पहले वह कानून पास करना चाहिए ।

†**श्री राज बहादुर :** हमें इस बात पर भली प्रकार विचार करना होगा कि वह कानून किस रूप में, कब और कैसे पास किया जाना चाहिए ।

जहां तक श्री हरिश्चन्द्र माथुर के इस प्रश्न का संबंध है कि क्या पोत प्राप्त करने के लिए दो वर्ष का भाड़ा पेशगी दिया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि सिद्धान्ततः तो यह बात ठीक मालूम होती है परन्तु यह हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर निर्भर है । हमें यह देखना होगा कि क्या १८ करोड़ रुपए तुरन्त जुटाए जा सकेंगे ?

यह अनुमान लगाया गया है कि हम जो विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं उस के प्रत्येक रुपए के पीछे अपनी मुद्रा के दो रुपए खर्च करने होंगे (**अन्तर्बाधा**) खाद्यान्न के लिये नौ परिवहन के संचालन के संबंध में वित्तीय स्थिति इस प्रकार है । इसलिए सरकार का यह भी विचार है कि क्या इतनी राशि पेशगी दी जा सकती है ?

यह पूछा गया था कि हमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । हम उसका आकलन प्राप्त किए जाने वाले पोतों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं । एक टी० २ टाइप के टैंकर की लागत लगभग १७,५०,००० रुपये और सूखा माल ढोने वाले पुराने पोत की लागत लगभग ९५ या ९७ लाख रुपये होती है । आगामी चार वर्षों में जो खाद्यान्न आएगा उसकी ७५० खेपें हमारे हिस्से में आती हैं । अर्थात् प्रतिवर्ष लगभग २०० खेपें आयेंगी । यदि हम यह मान लें कि एक पोत तीन चक्कर लगा सकता है तो हमें समस्त माल के लिये लगभग ५०–६० पोतों की आवश्यकता होगी । कुछ अन्य आकलनों के अनुसार हमें इससे कुछ कम पोतों की आवश्यकता होगी । एक आकलन के अनुसार आवश्यक पोतों की संख्या ४५ आती है और एक अन्य आकलन के अनुसार ३५ आती है । यदि हम ३५ को भी ठीक मान लें तो भी हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । प्रश्न यह है कि इतनी विदेशी मुद्रा कैसे कैसे मिल सकती है ?

इस सम्बन्ध में टी० २ टाइप के टैंकरों के लिये हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं । इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है । जैसे ही हमें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से भाड़े की दर मालूम हो जाएगी और हम संचालन में होने वाली हानि के प्रश्न को हल कर लेंगे तभी मैं सभा को इस सम्बन्ध में सही जानकारी दे सकूंगा । अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस अवसर से लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रंगा ने विशाखपटनम बंदरगाह की सूखी गोदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा था। यों तो यह प्रश्न इस वाद-विवाद के विषय से सम्बन्धित नहीं है परन्तु फिर भी मैं बताता हूं कि एक सूखी गोदी वहां पर है लेकिन वह एक छोटी गोदी है।

इसके अतिरिक्त हमें शिपयार्ड के लिये भी एक सूखी गोदी बनानी होगी। प्रश्न यही है कि यह सूखी गोदी है या 'फ्लोटिंग' गोदी। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का ध्यान इस मामले की ओर है और मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र ही इसके बारे में निर्णय कर लेंगे क्योंकि उसके लिए भी हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मंत्रालय के सामने यह समस्या पिछले डेढ़ वर्ष से है और तब भी अब तक यह निर्णय नहीं किया जा सका कि यह सूखी गोदी होगी अथवा फ्लोटिंग गोदी।

†**श्री राज बहादुर** : उस समय हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण इसे छोड़ देना पड़ा था। यद्यपि हम इस पर कुछ धन व्यय कर चुके थे। परन्तु बाद में विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब हो जाने के कारण हमें इसे छोड़ देना पड़ा था। पिछले छः महिने या साल में इसको फिर ले लिया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ करेंगे।

†**श्री रंगा** : विचार करने में एक वर्ष और लग जायेगा।

†**श्री राज बहादुर** : प्रश्न यह है कि इसके लिए लगभग ७० लाख रुपये से ८० लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा चाहिये। और इसकी तुरन्त व्यवस्था करना कठिन है।

श्री मुनिस्वामी ने एक प्रश्न यह पूछा कि हम नौवहन नीति समिति द्वारा १९४७ में निश्चित किए गए २० लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य क्यों पूरा नहीं कर पाये हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है। हम जानते हैं कि हम उस लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाये हैं परन्तु हमें यह संतोष है कि हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। हमें पूरा विश्वास है कि दूसरी योजना में निश्चित नौवहन लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे; हमें यह भी आशा है कि तीसरी योजना में भी नौवहन को निश्चित महत्व दिया जायगा। श्री रघुनाथ सिंह ने जैसा कहा हमने लगभग २,९०० करोड़ रुपया—मैं नहीं जानता कि उनका हिसाब ठीक है— स्वतंत्रता से अब तक आयात निर्यात के भाड़े के रूप में दे कर खो दिया है। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हमने बहुत सा रुपया प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान, मोटर गाड़ियों तथा भारी मशीनों आदि के आयात पर व्यय करके खो दिया है। हमें इन सब चीजों के लिये विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी क्योंकि १५० वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, हमारा भाग्य विधाता कोई और ही था, और अन्य देश इस बीच प्रगति पथ पर अग्रसर थे। अब धीरे-धीरे भारत की स्थिति भी सुधरती जा रही है और हम कमियों को पूरा करते जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि नौवहन के भाड़े के रूप में हमारी विदेशी मुद्रा नष्ट हो रही है और इस धन को बचाने के लिये हमें यथा-संभव शीघ्र कार्यवाही करनी है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकारी क्षेत्र में इसका विकास नहीं किया जा सकता है।

†**श्री राज बहादुर** : इसका विकास सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, इससे अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि विदेशी मुद्रा आदि का व्यय तो उतना ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बार बार विदेशी मुद्रा का प्रश्न हमारे सामने लाया गया है परन्तु जो विदेशी मुद्रा भाड़े पर व्यय की जाती है क्या उसको जहाज खरीदने पर व्यय नहीं किया जा सकता ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि देश के संसाधन अभी ऐसे नहीं हैं कि जिनके द्वारा जहाज खरीदने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। तीसरी योजना में ५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इससे हम टन भार में २ लाख टन की वृद्धि कर पायेंगे। इसलिए हमें अपने संसाधनों के अनुसार ही इस समस्या पर विचार करना है। यदि हमारे साधन बढ़े तो हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकेंगे।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, सभा में व्यक्त विचारों पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। हम इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, ८ सितम्बर, १९६०/१७ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ७ सितम्बर, १९६० / १६ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३५७३—९८
तारांकित प्रश्न संख्या		
११४६	भविष्य-निधि दर पुनरीक्षण समिति	३५७३—७५
११४९	ऐंग्रो-केमिकल परियोजना	३५७५—७६
११५०	ग्राम मकान-निर्माण परियोजनायें	३५७६—७९
११५१	जलयान डीजल इंजन परियोजना	३५७९—८१
११५२	दण्डकारण्य योजना	३५८१—८३
११५४	"जीओफोन"	३५८४
११५५	आन्ध्र प्रदेश में अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों का प्रसारण	३५८४—८५
११५८	कालकाजी (दिल्ली) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्ती	३५८५—८६
११५९	बंगाल की खाड़ी में चीनी पनडुब्बी	३५८६—८७
११६०	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	३५८७—८८
११६१	नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्ती	३५८८—८९
११६२	रेडियो प्रसारण के लेखकों को पारिश्रमिक	३५८९—९१
११६४	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये विकास कार्यक्रम	३५९१—९३
११६५	फिल्मों का निर्यात	३५९३—९५
११६६	हथकरघा-वस्त्र का निर्यात	३५९५—९७
११७०	प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा	३५९७—९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३५९९—३६६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
११४७	भारत से अवैध निष्क्रमण	३५९९
११४८	लद्दाख में तिब्बती शरणार्थी	३५९९
११५३	हीरों का निर्यात	३५९९—३६००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
११५६	मैंगनीज श्रमिक कल्याण निधि संगठन . .	३६००
११५७	भारत-नेपाल सीमा पर अपराध. . .	३६००–३६०१
११६३	बागान जांच आयोग	३६०१
११६६	ब्रिटेन में जाली पारपत्रों वाले भारतीय . .	३६०१–०२
११६७	पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारी	३६०२
११६८	हथकरघों के कपड़े के मूल्य	३६०३
११७१	खादी पर छूट	३६०३
११७२	पोलो के घोड़ों का आयात . . .	३६०३
११७३	लाहौर में भारतीय मिशन का पुनः खोला जाना .	३६०३–०४
११७४	न्यूटन चिकली कोयला खान	३६०४
११७५	भारतीय जीव-शास्त्री का मनीटोबा की झील में डूबना .	३६०४
११७६	दिल्ली में निजामुद्दीन मार्केट और लाजपत नगर में मकान .	३६०४–०५
११७७	नेपाल में अस्पताल	३६०५
११७८	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्लाइवुड का कारखाना .	३६०५
११७९	पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति .	३६०६
११८०	कोयले की किस्म	३६०६
११८१	भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण चिन्ह . .	३६०६–०७
११८२	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आदिम जाति भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें	३६०७
११८३	भिलाई इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग	३६०७
११८४	गोआ . . .	३६०७–०८
११८५	पुनर्वास सलाहकार बोर्ड . .	३६०८
११८६	लन्दन में भारतीयों के लिये कल्याण केन्द्र .	३६०८–०९
११८७	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल	३६०९
११८८	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा विस्फोटक पदार्थों का इकट्ठा किया जाना . .	३६०९–१०
११८९	कोयला खानों में महिला कर्मचारियों की छंटनी . .	३६१०
११९०	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड . .	३६१०–११
११९१	जाली पारपत्र . . .	३६११
११९२	फिल्म संस्था	३६११–१२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२४६ सिंगरेनी कोयला खानों में सहकारी संस्थायें . ३६१२

२२४७ आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग ३६१२

२२४८ कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग ३६१२

२२४९ सिंगापुर में भारतीय ३६१३

२२५० आकाशवाणी के कर्मचारी . . . ३६१३

२२५१ हिमाचल प्रदेश में ऊन की मिलें . . ३६१३

२२५२ पंजाब में मिल . . . ३६१४

२२५३ अनुशासन संहिता का उल्लंघन ३६१४

२२५४ पाकिस्तान के लिये पास पोर्ट . . . ३६१४

२२५५ पंजीबद्ध व्यक्तियों को रोजगार . . . ३६१५

२२५६ ब्रह्माण्ड रश्मि अनुसन्धान केन्द्र, गुलमर्ग . . ३६१५

२२५७ दिल्ली में आवास योजनायें . . . ३६१५

२२५८ चाय की मशीनें . . . ३६१६

२२५९ अखबारी कागज ३६१६-१७

२२६० पंजाब में औद्योगिक बस्तियां . . ३६१७

२२६१ विदेशी फर्मों और बागान का भारतीयकरण . ३६१८

२२६२ निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ की खेती . . ३६१८

२२६३ उड़ीसा मे मध्यम आय वर्ग आवास योजना . . ३६१८

२२६४ कराची में भारतीय दूतावास का भवन . . ३६१८

२२६५ विदेश सेवा निरीक्षणालय ३६१९

२२६६ मैथानोल संयंत्र, सिन्दरी ३६१९

२२६७ ऊनी कपड़ा उद्योग का आधुनीकीकरण . . ३६२०

२२६८ पीतल के बर्तनों का उद्योग . . . ३६२०

२२६९ औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना . ३६२१

२२७० दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण ३६२१

२२७१ केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ३६२१--२२

२२७२ औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन . . ३६२२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२७३	अनिवार्य बचत . . .	३६२२
२२७४	हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गयी सम्पति	३६२२–२३
२२७५	रीठे का उत्पादन . .	३६२३
२२७६	सुपारी और लौंग की कीमतों में वृद्धि	३६२३
२२७७	अग्रिम औद्योगिक परियोजनायें	३६२३–२४
२२७८	तेल की खली का निर्यात	३६२४–२५
२२७९	मकान बनाने के लिये पेशगी	३६२५
२२८०	दिल्ली में भूमि का विकास	३६२५
२२८१	अल्यूमिनियम उद्योग .	३६२५–२६
२२८२	आमों का निर्यात	३६२७
२२८३	सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात . . .	३६२७–२८
२२८४	भारी मशीनी औजार निर्माण संयंत्र . .	३६२८
२२८५	राष्ट्रमंडल के देशों में भारतीय माल पर आयात शुल्क	३६२८–२९
२२८६	खादी हुंडियां . . .	३६२९
२२८७	उल्हासनगर बस्ती म दुकानें	३६२९–३०
२२८८	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से लाभ	३६३०
२२८९	ब्रिटेन के माल का आयात . . .	३६३०–३१
२२९०	आयात	३६३१
२२९१	अखबारी कागज का आयात . .	३६३१–३२
२२९२	विमान, विमानों के इंजन और इंजन के पुर्जे . . .	३६३२
२२९३	भारत द्वारा गेहूं की सहायता . . .	३६३२
२२९४	भारत में पश्मीने का व्यापार .	३६३३
२२९५	सरकारी निवास स्थान का आवंटन . .	३६३३–३४
२२९६	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	३६३४
२२९७	छत्तीसगढ़ी बोली में आकाशवाणी के कार्यक्रम	३६३४–३५
२२९८	केरल में चमड़े का कारखाना	३६३५
२२९९	विजयवाड़ा में प्रसारण स्टूडियो	३६३६
२३००	हिमाचल प्रदेश में उद्योगों का प्रशिक्षण . . .	३६३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३०१ फरीदाबाद के समीप नया उपनगर . . . ३६३७

२३०२ हथकरघा कपड़े का निर्यात . . . ३६३७

२३०३ गिण्डी (मद्रास) में औद्योगिक बस्ती . ३६३८

२३०४ श्रमिक सहकारी समितियां ३६३८

२३०५ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी निदेशालय ३६३८–३९

२३०६ भारत और पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पति . ३६३९

२३०७ त्रिपुरा में औद्योगिक प्रशिक्षण . . . ३६३९–४०

२३०८ त्रिपुरा की सहकारी समितियां ३६४०–४१

२३०९ त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का परित्याग ३६४१

२३१० रेशम उद्योग ३६४२

२३११ फिल्में ३६४२–४३

२३१२ फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में . . . ३६४३

२३१३ नगरपालिका कर्मचारियों के लिए मकान . . ३६४३–४४

२३१४ फिल्म निर्माता ३६४४

२३१५ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी विभाग . . ३६४४–४५

२३१६ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी निदेशालय में विभागीय परीक्षायें ३६४५

२३१७ प्रबन्ध अभिकरण ३६४५–४६

२३१८ मद्रास राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति . . ३६४६

२३१९ नमक का आयात ३६४६

२३२० कास्टिक सोडा और उर्वरकों का उत्पादन . . . ३६४६–४७

२३२१ प्रति व्यक्ति आय . . . ३६४७

२३२२ आकाशवाणी के कर्मचारी ३६४७–४८

२३२३ विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को सहायता . . . ३६४८–४९

२३२४ मध्य प्रदेश में बेकार व्यक्ति ३६४९

२३२५ मंडी की सेंधा नमक की खानें ३६४९

२३२९ आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कर्मचारियों के लिये पुस्तकालय . . . ३६५०

२३३० दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें . . . ३६५०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२३३१ अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग	३६५१
२३३२ भारतीय विदेश सेवा (ख) के संधारण नियम .	३६५१
२३३३ भारतीय विदेश सेवा (ख) में भरती	३६५१—५३
२३३४ छंटनी किये गए सरकारी कर्मचारी	३६५३
२३३५ छंटनी में निकाले गये कर्मचारी . . .	३६५३–५४
२३३६ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सेवा निवृत पदाधिकारी	३६५४
२३३७ आयात तथा निर्यात मंत्रणा परिषदें .	३६५४–५५
२३३८ दण्डकारण्य में कुटीर उद्योग . . .	३६५५
२३३९ काली मिर्च का निर्यात . .	३६५५
२३४० हिमाचल प्रदेश का जमीदारी उन्मूलन अधिनियम	३६५५–५६
२३४१ भारत सेवक समाज	३६५६–५७
२३४२ मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स	३६५७–५८
२३४३ सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	३६५८
२३४४ "कस्तूरी" का निर्यात	३६५८–५९
२३४५ कैमरों का निर्माण	३६५९–६०
२३४६ रिजर्व बैंक उधार प्रत्याभूति योजना . . .	३६६०
२३४७ उत्तर प्रदेश में तिब्बती शरणार्थी . . .	३६६०–६१
२३४८ तिब्बती शरणार्थी	३६६१
२३४८—क तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के छंटनी किये गये गये कर्मचारी	३६६१–६२
२३४८—ख राज्य व्यापार निगम . .	३६६२
२३४८—ग दिल्ली में टेकलीविजन पर शिक्षा कार्यक्रम . .	३६६२–६३
२३४८—घ पेट्रोलियम बरामद करने के लिये पुलिस द्वारा छापा .	३६६३–६४
२३४८—ङ डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्कूल . .	३६६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६६४—६६

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति:—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १—ग्यारहवां सत्र, १९६०

विषय पृष्ठ

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६—दसवां सत्र, १९६०

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९—नवां सत्र, १९५९

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ११—आठवां सत्र, १९५९

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८—सातवां सत्र, १९५९

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३४—दूसरा सत्र, १९५७

(२) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये नारियल जटा बोर्ड की कार्यवाहियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन की ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखा परिक्षित लेखे और वर्ष १९५९–६० के लिये संशोधित प्राक्कलनों तथा वर्ष १९६०–६१ के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों सहित, एक प्रति।

(४) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की ११वें सत्र, के दौरान हुई उन्नीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३६६६

सत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६६७

श्री गोरे ने भिलाई और रूरकेला इस्पात परियोजनाओं में कोयले और लौहअयस्क की कमी के कारण उत्पादन में कमी के समाचार की ओर इस्पात, खान और इंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने उस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ३६६७—७७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७—३७१२

श्री प्र० के० देव ने उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री प्र० के० देव ने वाद-विवाद का उत्तर

विषय	पृष्ठ
दिया । श्री आसर द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
आधे घंटे की चर्चा	३७१२-- २०
श्री रघुनाथ सिंह ने नौवहन विस्तार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के २ अगस्त, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।	
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	

GIPND—LS III—1116 (Ai) LSD—11-10-60—135.